




## संपादक का वक्तव्य

हमारी सम्मति में यह पुस्तक एक अत्यंत सामयिक आवश्यकता की पूर्ति है। इसे प्रकाशित कर इस कार्यालय ने अपने को पवित्र कर लिया है।

लेखों का अनुवाद कैसा हुआ है, इसकी परीक्षा पाठक स्वयं कर लें। लेखों के ऊपर हमने जो संपादकीय नोट दिए हैं, वे केवल लेखों की व्याख्या के लिये, उनके विषयों को स्पष्ट कर देने के लिये तथा उनका संबंध घतला देने के लिये। लेखों का क्रम भी उनकी उपादेयता तथा व्याख्या और आवश्यकता के अनुसार रखा गया है, न कि उनके लिखे जाने के समय के अनुसार।

आशा है, पुस्तक से पाठकों को लाभ होगा।

कवि-कुटीर  
१।३।३४

} 





## अनुवादक के दो शब्द

गांधीजी भारत का दौरा कर रहे हैं। शत्रुतोद्धार के लिये उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी है। अगली अगस्त तक वह बेंगलूर हरिजन-सेवा-कार्य करेंगे। बेंगलूर हरिजन-सेवा उचित है अथवा नहीं, राजनीतिक कार्य अधिक महत्वपूर्ण है अथवा यह कार्य, तथा गांधीजी का हर कार्य के लिये ही अपने प्राणों की बाजी लगा देना उचित है या नहीं, इन विषय में लोगों का भिन्न मत है। मेरा भी अपना मत है। पर यह समस्या इतनी गभीर है कि इस पर हर पहलू से विचार करना ही होगा। गांधीजी इन समय से नहीं, प्रायः २० वर्ष से हरिजनों के लिये मरचे, श्रंष्ट तथा महान् सेवाएँ हैं। इस महान् कार्य के विरोधियों के लिये गांधीजी से बड़ा कोई शत्रु नहीं। अतएव अद्वैत-समस्या पर गांधीजी का संतुष्ट जान लेना आवश्यक है। जिन्हें उनका व्याख्यान सुनने का अवसर न मिला हो, जो उनके विरोधियों के तर्कों से निरस्त हो गए हों, उनके लिये यह आवश्यक है कि एक ही स्थान पर एकत्रित गांधीजी के विचारों का पदपर इस समस्या को अच्छी तरह हृदयंगम कर लें।

प्रायः से एक पर एक अपनी 'हिंदू-हित की हत्या'-पुस्तक लिखने के बाद तथा दीवान गोखलेचंद्र द्वारा-लिखित 'दिल्लियों की समस्या'-पुस्तक को पढ़कर मैंने यह निश्चय किया था कि हरिजन-समस्या पर गांधीजी के लेखों को एक स्थान पर एकत्रित करूँगा। और, अंगरेजी में मैंने २४-२५ जेम्स इकट्ठे भी किए, पर उनका अनुवाद करने का समय न मिला। इसी बीच आर्द गाननाथदास नाम की The Bleeding Wound-नामक सुंदर पुस्तक प्रकाशित हुई। इसमें गांधीजी के लेखों का बड़ा सुंदर समूह है।

## हरिजन

हरिजन तें चाहो भजन, तो हरि-भजन फिन्तूळ,  
जन द्वारा ही करत हैं राजन मिलन कबूल ।

\*

\*

\*

कल्लिजुग ही मै मो मिली अति अचरजमय बात—  
होत पतितपावन पतित द्युवत पतित जन्न गात ।

श्रीदुलारेलाल भार्गव





# अछूत-समस्या

## अछूत-प्रथा और उसकी विपमताएँ

[ १९०४ में, बेलगाँव में, काँग्रेस-मैलाह के अग्रसर पर, अछूत-सम्मेलन में महात्मा गांधी ने एक बड़ा प्रभावशाली व्याख्यान दिया था। नीचे उसका संशानुवाद दिया जा रहा है। इसको पढ़कर पाठकों को यह स्पष्ट ज्ञान हो जायगा कि गांधीजी के हरिजन-संबंधी विचारों को किसी प्रकार भी जड़ कहना कितना अनुचित है। उनके विचार कितने प्राज्ञ हैं।--संपादक ]

मित्रो, अछूतोद्धार के विषय में अपनी सम्मति प्रकट करने के लिये मुझसे कहना एक प्रकार से अनावश्यक ही है। मैंने अगणित बार सार्वजनिक व्याख्यानों में कहा है कि यह मेरे हृदय की प्रार्थना है कि यदि मैं इस जन्म में मोक्ष न प्राप्त कर सकूँ, तो अपने अगले जन्म में भंगी के घर पैदा होऊँ। मैं 'जन्मना' तथा 'कर्मणा' दोनों रूप से 'वर्णाश्रम' में विश्वास रखता हूँ, किंतु भंगी को किसी भी रूप में हीन 'आश्रम' का नहीं समझता। मैं ऐसे बहुत-से भंगियों को जानता हूँ, जो आदर तथा श्रद्धा के पात्र हैं। और, ऐसे बहुत-से ब्राह्मणों को भी जानता हूँ, जिनके प्रति जरा भी श्रद्धा तथा आदर का भाव





से देखना चाहिए। पर उसने ब्राह्मण तथा भंगी के लिये एक ही 'धर्म' नहीं बनलाया है। उसका तो कहना है कि जिस प्रकार ब्राह्मण की पांडित्य के लिये प्रतिष्ठा होती है, उसी प्रकार भंगी की भी होना चाहिए। इसलिये हमारा कर्तव्य है कि इस बात का ध्यान रखें कि अद्वैतों को यह महसूस न होने पावे कि उनसे हिकारत की जाती है। चाहे ब्राह्मण हो या भंगी, यदि वह एक ही ईश्वर की पूजा करता है, तथा अपने शरीर और मन को स्वच्छ रखता है, तो मैं उसे किस प्रकार दो निगाहों से देख सकता हूँ। कम-से-कम मैं तो यह पाप समझता हूँ कि भंगो को रसोई का बचा-बुचा जूठा भोजन दिया जाय, या आवश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता न की जाय।

मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर दूँ। यद्यपि मैं यह मानता हूँ कि हिंदू-धर्म में अद्वैत-प्रथा के वर्तमान रूप का कोई शास्त्रीय आज्ञा नहीं है, पर मिनटों दशाओं में, एक सीमित रूप में, अद्वैत-प्रथा को स्वीकार किया गया है। उदाहरण के लिये जब कभी मेरी माता कोई गंदी चीज छूती था, तो अद्वैत हो जाता था, और स्नान द्वारा उन्हें शुद्ध होना पड़ता था। कोई अपने जन्म से अद्वैत हो सकता है, यह मानना मैं एक वैष्णव होने के नाते अस्वीकार करता हूँ। धर्म में जिस प्रकार के अद्वैत-पन की आज्ञा है, वह प्रकृतितः अस्पर्या है—कर्म तथा क्रिया द्वारा शुद्धि-अशुद्धि होती है, न कि यत्ना द्वारा। इतना ही नहीं, ठीक जिस प्रकार बचपन में अपनी माताओं की सेवाओं,

होना कठिन ही है। मेरे उपर्युक्त विचार होने के कारण मेरी धारणा है कि अछूतों के बीच में ही जन्म लेने से मैं उनकी अधिक लाभदायक सेवा कर सकूँगा, तथा दूसरे समुदायों से उनकी ओर से बोल सकूँगा।

किंतु जिस प्रकार मैं यह नहीं चाहता कि छूत कहलानेवाले अछूतों से घृणा करें, उसी प्रकार मैं यह भी नहीं चाहता कि अछूत के हृदय में छूत के प्रति कोई दुर्भाव हो। मैं नहीं चाहता कि पश्चिम के समान वे हिंसा द्वारा अपना अधिकार प्राप्त कर लें। मैं स्पष्ट रूप से अपने सामने ऐसा समय देख सकता हूँ, जब संसार में शक्ति के क़ैसले से ही अपना अधिकार प्राप्त करना संभव न होगा। इसीलिये जिस प्रकार मैं ब्रिटिश सरकार के विषय में कहता हूँ, उसी प्रकार अपने अछूत भाइयों से आज कहता हूँ कि यदि वे अपनी कार्य-सिद्धि के लिये शक्ति की शरण लेंगे, तो अवश्य ही असफल होंगे।

मैं हिंदू-धर्म का उद्धार करना चाहता हूँ। मैं अछूतों को हिंदू-समाज का अंतर्भाग समझता हूँ। जब मैं एक भी भंगी को हिंदू-धर्म के दायरे के बाहर जाते देखता हूँ, तो मुझे बड़ा क्लेश होता है, किंतु मेरा यह विश्वास है कि समुदाय के सभी भेद मिटाए नहीं जा सकते। मैं गीता में भगवान् कृष्ण द्वारा सिख-लाए गए समानता के सिद्धांत में विश्वास करता हूँ। हमें गीता की सीख है कि चारों जातियों—वर्णों के लोगों को समान भाव

में देखना चाहिए। पर उसने ब्राह्मण तथा भंगी के लिये एक ही 'धर्म' नहीं बनाया है। उमरा तो कहना है कि जिस प्रकार ब्राह्मण की पांडित्य के लिये प्रतिष्ठा होती है, उसी प्रकार भंगी की भी होना चाहिए। इसलिये हमारा कर्तव्य है कि इस बात का ध्यान रखें कि अद्वैतों को यह महसूस न होने पावे कि उनमें हिंसा के लक्षण हैं। चाहे ब्राह्मण हो या भंगी, यदि वह एक ही ईश्वर की पूजा करता है, तथा अपने शरीर और मन को स्वच्छ रखता है, तो मैं उसे किस प्रकार दो निगाहों से देख सकता हूँ। कम-से-कम मैं तो यह पाप समझता हूँ कि भंगी को रसोई का बचानुचा जूटा भोजन दिया जाय, या आरक्ष्यता पड़ने पर उसकी सहायता न की जाय।

मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर दूँ। यद्यपि मैं यह मानता हूँ कि हिंदू-धर्म में अद्वैत-प्रथा के वर्तमान रूप को कोई शास्त्रीय आज्ञा नहीं है, पर किन्हीं दशाओं में, एक सीमित रूप में, अद्वैत-प्रथा को स्वीकार किया गया है। उदाहरण के लिये जब कभी मेरी माता कोई गंदी चीज छूती थी, तो अद्वैतता हो जाती थी, और स्नान द्वारा उन्हें शुद्ध होना पड़ता था। कोई अपने जन्म से अद्वैत हो सकता है, यह मानना मैं एक वैष्णव होने के नाते अस्वीकार करता हूँ। धर्म में जिस प्रकार के अद्वैत-पन की आज्ञा है, वह प्रकृतितः अस्थायी है—कर्म तथा क्रिया द्वारा शुद्धि-अशुद्धि होती है, न कि कर्ता द्वारा। इतना ही नहीं, ठीक जिस प्रकार बचपन में अपनी माताओं की सेवाओं,

हमारे मैले-कुचैलेपन को दूर करने की शुश्रूषाओं के लिये हम लोग उनकी प्रतिष्ठा करते हैं, ठीक उसी प्रकार समाज की सेवा करने के कारण भंगी के सबसे अधिक आदर होना चाहिए।

इसके साथ एक दूसरी बात भी है। मैं सहभोज तथा अंतर्जातीय व्याह को अद्वैत-प्रथा दूर करने के लिये अनिवार्य नहीं मानता। मैं वर्णाश्रम-धर्म में विश्वास करता हूँ, पर भंगियों के साथ खाना भी खाता हूँ। मैं नहीं कह सकता कि मैं संन्यासी हूँ, क्योंकि इस कलियुग में कोई संन्यासी के लिये निर्धारित नियमों का पालन कर सकता है, इसमें मुझे घोर संदेह है। पर मैं जान-बूझकर संन्यास की ओर अग्रसर हो रहा हूँ। इसलिये मेरे लिये किसी बंधन का पालन करना अनावश्यक ही नहीं, प्रत्युत हानिकर भी है। अंतर्जातीय व्याह का प्रश्न मेरी ऐसी दशावाले के लिये उठता ही नहीं। मेरे लिये यही कहना पर्याप्त है कि मेरी योजना में अंतर्जातीय व्याह नहीं है। मैं आपको यह बतला देना चाहता हूँ कि मेरे समाज में सब लोग एक साथ (एक दूसरे के यहाँ) भोजन नहीं करते। हमारे कतिपय वैष्णव-परिवारों में दूसरे का बर्तन या दूसरे की अँगीठी की आग भी काम में नहीं लाते। आप इस प्रथा को अंध-विश्वास कह सकते हैं, पर मैं इसे ऐसा नहीं समझता। यह तो निश्चित है कि इससे हिंदू-धर्म की कोई हानि नहीं हो रही है। मेरे आश्रम में एक 'अद्वैत' साथी अन्य आश्रमवासियों

के साथ बिना किसी भेद-भाव के भोजन करता है, पर मैं आश्रम के बाहर किसी व्यक्ति को ऐसा करने की सलाह नहीं देता। साथ ही आप यह भी जानते हैं कि मैं मालवीयजी की कितनी इज्जत करता हूँ। मैं उनके पैर धो सकता हूँ। पर वह मेरा लुआ खाना नहीं खा सकते। क्या मैं इसे अपने प्रति उनकी उपेक्षा समझकर इससे घुरा मानूँ? हर्गिज नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह उपेक्षा के कारण ऐसा नहीं करते।

मेरा धर्म मुझे 'भर्यादा-धर्म' का पालन करना सिखलाता है। प्राचीन युग के श्रद्धियों ने इस विषय में खूब छान-बीन तथा गवेषणा द्वारा कुछ महान् सत्त्वों का अनुसंधान किया था। इन सत्त्वों की समानता किसी भी धर्म में नहीं वर्तमान है। उनमें से एक यह भी है कि उन्होंने मनुष्य के आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिये हानिकर कतिपय खाद्य पदार्थों का पना लगाया था। अतः उन्होंने उनके सेवन का निषेध किया है। मान लो, किसी को खूब यात्रा करना है, और उसे भिन्न रीति-रिवाज तथा भोजन करनेवाले व्यक्तियों के बीच में रहना है—यह जानकर कि जिस समुदाय के बीच में रहना होना है, उसके व्यक्तियों की समाज-प्रथा नए व्यक्ति पर कितना दबाव टाक सकता है, ऐसी विषम समस्याओं का सामना करने के लिये उन्होंने 'भर्यादा-धर्म' की रचना की। मैं उसे हिंदू-धर्म का अनिवार्य अंग नहीं मानता। मैं एक ऐसे समय की भी कल्पना कर सकता हूँ, जब ये बाधाएँ बिल्कुल ही उठा दी जाएँगी। पर अद्वैतोद्धार-


आंदोलन में जिस प्रकार का सुधार कराने की सलाह दी जा रही है, उसमें सहभोज तथा अंतर्जातीय विवाह की बाधा भी उठा देने की बात नहीं कही जा रही है। अपने ऊपर पाखंड तथा अव्यवस्थित चित्तवाला होने का दोष लगने का भय होने पर भी मैं जनता से इनको एकदम दूर कर देने की सलाह न दूँगा। उदाहरणार्थ मैंने अपने लड़के को मुसलमान-घरों में स्वेच्छा-पूर्वक भोजन करने दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह इस बात की पूरी तरह से क्लिब रख सकता है कि क्या खाद्य है तथा क्या अखाद्य। मुसलिम घर में भोजन करने में मुझे स्वयं कोई एतराज नहीं है, क्योंकि भोजन के विषय में अपने लिये मैंने बड़े कठोर नियम बना रखे हैं। मैं आपको अलीगढ़ की एक घटना बतलाता हूँ—मैं और स्वामी सत्यदेव ख्वाजा साहब के मेहमान थे। स्वामी सत्यदेव मेरे विचारों से सहमत नहीं थे। मैंने आपस में बहुत कुछ तर्क-वितर्क किया, और स्वामी सत्यदेव से समझा दिया कि मेरे जिस प्रकार के विचार हैं, उनको रखते हुए एक मुसलमान के हाथ का भोजन अस्वीकार करना उतना ही अनुचित है, जितना भोजन कर लेना स्वामी के लिये 'मर्यादा का उल्लंघन' करना होगा। अतएव स्वामी के लिये भोजन बनवाने का अलग से प्रबंध करना पड़ा। इसी प्रकार जब मैं बारी साहब का मिहमान हुआ, तो उन्होंने एक ब्राह्मण-रसोइयाँ तैनात किया, और उसे सख्त हिदायतें दीं कि रसोई का सब सामान

बादर मे स्मर स्तोत्र बनाना करे । इसका कारण उन्होंने यह बताया कि यह नहीं चाहते कि जनता के मन में इस प्रकार का दुःख भी संदेह हो कि यह मुझे तथा मेरे साथियों को मर्षादा-भक्त करना चाहते हैं । इन एक घटना ने मेरी नजरों में धारो साहब को बहुत ऊँचा ठठा दिया ।

मैं इन एक गान-गान को ध्यान पर इनके विस्तार के साथ इसीगलने बोध गया कि मैं आपके सामने यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आपके ( अज्ञानों के ) साथ या इन नियम में किसी दूगरे के साथ व्यवहार में कोई पागड हर्गिब नहीं बर्तना चाहता । मैं आपको अंधकार में रखना या झूठा लालच दिखाने अथवा समर्थन प्राप्त करना नहीं चाहता । मैं अज्ञान-प्रया को इसलिये उदा देना चाहता हूँ कि उसका मूलोच्छेदन स्वराज्य-प्राप्ति के लिये अनिवार्य है, और मैं स्वराज्य चाहता हूँ । पर अपने किसी राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिये मैं आपको नहीं मिलाना चाहता । मेरे सामने जो प्रश्न है, वह स्वास्थ्य से मा अधिक बड़ा है । मैं अज्ञान-प्रया का इसलिये अंत करना चाहता हूँ कि यह आत्मशुद्धि के लिये आवश्यक है । अज्ञानों की शुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है, यह निरर्थक बात है, किंतु स्वयं मेरी तथा हिंदू-धर्म की शुद्धि अभीष्ट है । हिंदू-धर्म ने इस दूषण की धार्मिक आज्ञा देकर एक बड़ा भारी पाप किया है, और मैं अपने शरीर पर ही ओढ़कर इस पाप का प्रायश्चित्त करना चाहता हूँ ।



ऐसी दशा में, मेरे कार्य के लिये, मेरे सामने दो ही मार्ग खुल  
 हुए हैं—अहिंसा और सत्य । मैंने एक अछूत-बच्चे को अपना  
 बच्चा बना लिया है । मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मैं अपनी  
 स्त्री को अपने विचार से पूरी तरह सहमन नहीं कर सका हूँ । वह  
 उसे उतना प्यार नहीं करती, जितना मैं । पर मैं उसका  
 मत-परिवर्तन क्रोध द्वारा नहीं, प्रेम द्वारा ही कर सकता हूँ ।  
 यदि हमारे किसी आदमी ने आपका बुरा किया हो, तो मैं  
 आपसे उसके लिये क्षमा माँगना हूँ । जब मैं पूना में था, अछूत-  
 समुदाय के किसी व्यक्ति ने कहा था कि यदि हिंदू उनकी  
 ओर से अपना व्यवहार नहीं बदलेंगे, तो वे जबरदस्ती अपना  
 अधिकार प्राप्त कर लेंगे । क्या इस प्रकार अछूतों की दशा  
 सुधर सकती है ? घोर सनातनी हिंदुओं का मत-परिवर्तन केवल  
 धैर्य-पूर्ण तर्क तथा उचित व्यवहार से ही हो सकता है । जब  
 तक उनका मत-परिवर्तन नहीं होता, मैं आपसे अनुरोध करूँगा  
 कि धैर्य-पूर्वक अपनी वर्तमान दशा को सहन कीजिए । मैं  
 आपके साथ खड़ा रहने, कंधा मिलाकर आपकी पीड़ाओं में  
 हाथ बँटाने के लिये तैयार हूँ । जिस मंदिर में ऊँची जाति  
 के लोग उपासना करते हैं, उसमें आपको भी उपासना का  
 अधिकार मिलना ही चाहिए । स्कूलों में भी अन्य जाति के  
 बच्चों के साथ आपके बच्चों को भी पढ़ने का अधिकार मिलना  
 चाहिए । इस भूमि का सबसे बड़ा सरकारी ओहदा—वाइस-  
 राय तक का पद—भी आपको मिलने का अधिकार होना



## पैशाचिक प्रथा

[ 'बंग-इंडिया' में प्रकाशित महारमात्री के एक तर्क-पूर्ण लेख का यह अनुवाद है। इसमें गांधीजी ने बड़े तर्क-पूर्ण शब्दों में अद्वैत-प्रथा के समर्थकों को उनही गहरी गूल समझाई है।—संपादक ]

दक्षिण के एक देशी भाषा के पत्र में एक विद्वान् पंडित की लेखनी से लिखा एक लेख प्रकाशित हुआ है। एक मित्र ने उसका सारांश मेरे पास भेजा है। अद्वैत-प्रथा को जारी रखने के लिये पंडित के तर्कों का उन्होंने इस प्रकार सारांश लिया है—

( १ ) आदिशंकर ने एक बार एक चांडाल से यह कहा था कि वह उनसे दूर रहे, तथा त्रिशंकु को जब चांडाल बनने का शाप मिला, तब सभी लोग उसको त्यागने लगे। ये पौराणिक सत्य हैं, और इनसे यह प्रमाणित होता है कि अद्वैत-प्रथा कोई नई वस्तु नहीं है।

( २ ) आर्य-जाति से बहिष्कृत को ही 'चांडाल' कहते हैं।

( ३ ) अद्वैत स्वयं अद्वैत-प्रथा के पाप के भागी हैं।

( ४ ) कोई अद्वैत इसीलिये होता है कि वह पशु-हत्या



## पैशाचिक प्रथा

[ 'यंग-इंडिया' में प्रकाशित महात्माजी के एक तर्क-पूर्ण लेख का यह अनुवाद है। इसमें गांधीजी ने बड़े तर्क-पूर्ण शब्दों में अछूत-प्रथा के समर्थकों को उनकी गहरी भूल समझाई है।—संपादक ]

दक्षिण के एक देशी भाषा के पत्र में एक विद्वान् पंडित की लेखनी से लिखा एक लेख प्रकाशित हुआ है। एक मित्र ने उसका सारांश मेरे पास भेजा है। अछूत-प्रथा को जारी रखने के लिये पंडित के तर्कों का उन्होंने इस प्रकार सारांश लिया है—

( १ ) आदिशंकर ने एक बार एक चांडाल से यह कहा था कि वह उनसे दूर रहे, तथा त्रिशंकु को जब चांडाल बनने का शाप मिला, तब सभी लोग उसको त्यागने लगे। ये पौराणिक सत्य हैं, और इनसे यह प्रमाणित होता है कि अछूत-प्रथा कोई नई वस्तु नहीं है।

( २ ) आर्य-जाति से बहिष्कृत को ही 'चांडाल' कहते हैं।

( ३ ) अछूत स्वयं अछूत-प्रथा के पाप के भागी हैं।

( ४ ) कोई अछूत इसीलिये होता है कि वह पशु-दत्या



आचरण का नियंत्रण करें, तो वे बातें मौत के फंदे के समान हो जायँ। इन शास्त्रीय बातों से हमें केवल इतनी ही सहायता मिलती है कि हम मुख्य प्रश्नों पर तर्क-वितर्क कर सकते हैं। यदि किसी धार्मिक ग्रंथ में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति ने ईश्वर तथा पुरुष के विरुद्ध पाप किया, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि हम भी वही पाप दुहराएँ। हमें केवल यही जान लेना—सीख लेना पर्याप्त है कि संसार में केवल एक ही वस्तु मुख्य है और वह सत्य है, तथा सत्य ही ईश्वर है। यह कहना असंगत है कि एक बार युधिष्ठिर भी ऐसे फंदे में फँस गए थे कि उनको झूठ बोलना पड़ा था। यह जानना अधिक संगत है कि जब एक बार वह झूठ बोल गए, उसी समय उनको उसका दंड सहना पड़ा, और उनका महान् यश अथवा नाम भी उनकी रक्षा नहीं कर सका। इसी-लिये हमें यह बतलाना असंगत है कि आदिशंकर ने एक बार चांडाल के स्पर्श से अपने को बचाया। हमारे लिये इतना ही जानना पर्याप्त है कि जिस धर्म में अपने समान सबके साथ व्यवहार करने की शिक्षा दी जाती है, वह कभी एक भी जीव के साथ अमानवी व्यवहार वर्दाश्त नहीं कर सकता, एक समुदाय-भर की बात तो दूर रही। इसके अलावा हमारे पास सभी बातें भी तो मौजूद नहीं हैं, जिससे हम यह निर्णय कर सकें कि आदिशंकर ने क्या किया और क्या नहीं किया। इसके अलावा क्या हम शास्त्र में 'चांडाल'-शब्द के उपयोग का अर्थ जानते हैं? अवश्य इसके कई अर्थ हैं। एक अर्थ है पातकी।





आचरण का नियंत्रण करें, तो वे बातें मौत के फंदे के समान हो जायँ। इन शास्त्रीय बातों से हमें केवल इतनी ही सहायता मिलती है कि हम मुख्य प्रश्नों पर तर्क-वितर्क कर सकते हैं। यदि किसी धार्मिक ग्रंथ में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति ने ईश्वर तथा पुरुष के विरुद्ध पाप किया, तो इसका यह अर्थ नही है कि हम भी वही पाप दुहराएँ। हमें केवल यही जान लेना—सीख लेना पर्याप्त है कि संसार में केवल एक ही वस्तु मुख्य है और वह सत्य है, तथा सत्य ही ईश्वर है। यह कहना असंगत है कि एक बार युधिष्ठिर भी ऐसे फंदे में फँस गए थे कि उनको झूठ बोलना पड़ा था। यह जानना अधिक संगत है कि जब एक बार वह झूठ बोल गए, उसी समय उनको उसका दंड सहना पड़ा, और उनका महान् यश अथवा नाम भी उनकी रक्षा नहीं कर सका। इसी-लिये हमें यह बतलाना असंगत है कि आदिशंकर ने एक बार चांडाल के स्पर्श से अपने को बचाया। हमारे लिये इतना ही जानना पर्याप्त है कि जिस धर्म में अपने समान सबके साथ व्यवहार करने की शिक्षा दी जाती है, वह कभी एक भी जीव के साथ अमानवी व्यवहार वर्दास्त नहीं कर सकता, एक समुदाय-भर की बात तो दूर रही। इसके अलावा हमारे पास सभी बातें भी तो मीज़ूद नहीं हैं, जिससे हम यह निर्गम्य कर सकें कि आदिशंकर ने क्या किया और क्या नहीं किया। इसके अलावा क्या हम शास्त्र में 'चांडाल'-शब्द के उपयोग का अर्थ जानते हैं? असत्य इसके कई अर्थ हैं। एक अर्थ है पानकी।

एक मांस कर्मी करिगे के खाँदा का अङ्ग मन्त्रा होने लगे, तो दुधे मर है कि, एक कर्मी, मरने बंदिन भी, इन अङ्ग में का मर एत जाले। का अङ्ग-प्रय दुगनी है, इने तीन स्तम्भर एत मन्त्रा है। पर यदि एत प्रय दुगी है, तो इगरी प्रार्थनात ही दुर्गा इमरा मन्त्रन नही कम मन्त्रा !

यदि अङ्ग आर्ष-जाति के निरन्तरि जंग है, तो एत जाति के लिये बड़ा मन्त्र की कात है। यदि आर्षों में अत्रगतिमीमात्रा के विचार में किनी मनुष्य की जाति-कार पर दिया हो, तो कोई कारण नही कि, बिना कारण का विचार रिष्ट, अत्र एत मनुष्य की सतानों को भी यही दंड दिया जाय।

यदि अङ्गों में भा आपस में 'अङ्गमन' होता है, तो इमरा यही कारण है कि दुषण गीमित नही, पर व्याप्त प्रभासरात्री होता है। अङ्गों में भी अङ्ग-प्रया का होता मरहन हिदुओं के लिये यद और भी आवश्यक बना देना है कि ये क्षीणानि क्षीण इस शाय से मुक्त हो जायँ।

यदि पशु-हत्या तथा मांस के व्यापार के कारण अथवा मल-मूत्र छूने से कोई अङ्ग होता है, तो हरएक डॉक्टर, हरएक दार्द, हरएक ईसाई और मुसलमान को, जो भोजन या बडि के लिये पशु-हत्या करते है, अङ्ग हो जाना चाहिण्।

यद तर्क कि कसाईखाने तथा भटियारखाने की तरह अङ्गुतों को भी त्याग देना तथा अलग रखना चाहिण्, उनके प्रति घोर अन्याय व्यक्त करता है। कसाईखाने और ताडीखाने अलग हैं,

तथा कर दिए जाते हैं, पर कसई और ताड़ी बेचनेवाले अलग नहीं किए जाते। वेश्याओं को अलग कर देना चाहिए, क्योंकि उनका पेशा समाज के स्वास्थ्य के लिये हानिकर तथा दूषित है। अद्वैतों का पेशा समाज के लिये हानिकर नहीं, बल्कि उसके स्वास्थ्य के लिये आवश्यक है।

यह कहना गुस्ताखी की हद है कि अद्वैत को परलोक की सुविधाएँ नहीं प्राप्त हो सकतीं! यदि परलोक में उन्हें स्थान न देना संभव है, तो यह भी संभव है कि अद्वैत-प्रथा के कट्टर समर्थक उन्हें वहाँ भी अलग करवा सकते हैं।

यह कहना जनता की आँखों में धूल झाँकना है कि एक गांधी अद्वैत को छू सकता है, पर सब नहीं। मानो 'अद्वैत' की सेवा और उसे छूना इतना हानिकर है कि इसके लिये अद्वैत रूपी कीड़े से न प्रभावित होनेवाले व्यक्ति ही चाहिए। ईश्वर ही जानता होगा कि मुसलमानों को क्या दंड मिलने-वाला है। अथवा उन ईसाई आदि समूहों को क्या दंड मिलेगा, जो अद्वैत-प्रथा में विश्वास नहीं रखते!

पाशविक आकर्षक-शक्ति का वहाना एकदम निरर्थक है। ऊँची जाति के सभी लोग मुस्क की तरह मथुर सुगंधवाले नहीं होते, न सभी अद्वैतों के शरीर से दुर्गंध आती है। ऐसे हजारों अद्वैत हैं, जो सदैव 'ऊँची जाति' के कहे जानेवाले लोगों से सर्वांशतः महान् होते हैं।

यह देखकर बड़ा दुःख होता है कि अद्वैत-प्रथा के विरुद्ध

सत्कार बॉच करे कर प्रचार करने पर भी ऐसे दिवान् आदमी  
 निरस्त करने हैं, जो इन कर्तविक तथा बुरी प्रथा का मर्मण  
 करने हैं। एक दिवान् भी कृपण-प्रथा का मर्मण कर सकता  
 है, इनने इन प्रथा की महत्ता नहीं बढ़ती। केवल यह देखकर  
 निराशा होती है कि केवल विद्या से ही चरित्र नहीं बनता,  
 न बुद्धि-विभ्रम दूर होता है।

---

## मैं पहले सुधारक हूँ

[ ६ अगस्त, १९३१ के 'यंग-इंडिया' में, अहमदाबाद में, हारजनों के लिये सर चुनीभाई का मंदिर-द्वार खोलते समय के महात्मा गांधी के व्याख्यान का अधिकांश प्रकाशित हुआ था। इस व्याख्यान से लोगों की यह शंका निवारण हो जाती है कि गांधीजी वास्तव में हरिजन-सेवा को इतना महत्व क्यों देते हैं, तथा राजनीतिक कार्य से भी अधिक तत्परता के साथ यह कार्य क्यों कर रहे हैं।—संपादक ]

अद्वैत कहलानेवाले भाइयों की सेवा मेरे लिये अन्य किसी राजनीतिक कार्य से कम नहीं है। अभी एक क्षण पूर्व मेरे दो पादरी मित्रों ने भी यही भेद बतलाया था, फलतः मैंने उन्हें हल्की झिड़की भी दी थी। मैंने उन्हें समझाया कि मेरा समाज-सुधार का कार्य राजनीतिक कार्य से किसी प्रकार कम या उससे हेय नहीं है। सच तो यह है कि जब मैंने यह देखा कि बिना राजनीतिक कार्य के सामाजिक सेवा नहीं हो सकती, मैंने इसे अपनाया, और उसी सीमा तक, जहाँ तक वह मेरी समाज-सेवा की सहायता कर सकता है। इसीलिये मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मेरे लिये सामाजिक सुधार अथवा आत्मशुद्धि

का वह कार्य शुद्ध राजनीतिक प्रयत्नवादी कार्य में नहीं  
लक्षित प्रिय है।

### हरिजन-सेवा

‘अच्छे’ की सेवा अथवा उनके साथ न्याय करने का क्या अर्थ  
है? इसका केवल यही अर्थ है कि मर्दियों से न्याय पूरी हो  
जानेवाले शर्त को चुम्बना, तथा और युगों से हम जिन पाप  
के भारी बन रहे हैं, उसका कुछ प्रायश्चित्त करना। अपने  
ही रक्त-मांस के संबंधी का श्रेण न चुम्बाना हमारा पाप है, और  
उसका क्षमा करना। हमने अपने इन अमागे बंधुओं के प्रति  
ऐसा ही व्यवहार किया है, जैसा एक नर-पिशाच अपने अन्य  
मांसों (मनुष्यों) के साथ करता है। और, हमने अछूतों-द्वारा का  
जो कार्य-क्रम बनाया है, वह हमारे महान पिशाचिक अन्याय  
का कुछ अंशों में प्रायश्चित्त-मात्र है। चूंकि यह कार्य  
मूलतः प्रायश्चित्त अथवा आत्मशुद्धि की दृष्टि से किया जा  
रहा है, अतएव किसी भी दशा में इसमें भय अथवा पक्षपात की  
संभावना नहीं हो सकती। यदि हम इस भाव से यह कार्य करते  
हैं कि अछूत दूसरे मत को ग्रहण कर लेंगे, या वे हमारे  
ऊपर अपना क्रोध उतारेंगे, या हम एक राजनीतिक चाल के रूप  
में यह कार्य प्रारंभ करते हैं, तो हम हिंदू-धर्म के प्रति अपना  
अज्ञान प्रकट करते या युगों से हमारी सेवा करनेवाले श्रद्धि-  
मुनियों का अपमान करते हैं। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि  
मैंने ही इस प्रश्न को कांग्रेस-कार्य-क्रम में इतना प्रमुख स्थान

दियाया, तथा मुझ पर आक्षेप करनेवाला व्यक्ति यह कह सकता है कि मैंने अज्ञानों के लिये चारा फेंका था। इसका मैं तुरन्त यही उत्तर देता हूँ कि यह आक्षेप निराधार है। अपने जीवन के बहुत प्रारंभिक काल में ही मैं यह महसूस कर चुका था कि जिन्हें अपने हिंदू होने का विश्वास है, यदि वे हिंदू-धर्म पर गर्व करते हैं, तो उनको इस कुप्रथा को मिटाकर प्रायश्चित्त करना चाहिए। और, चूँकि कांग्रेस में हिंदुओं का बहुमत था, और उस समय राष्ट्र के सामने जो कार्यक्रम रखा गया था, वह आत्मशुद्धि का था, अतएव मैं इस प्रश्न को कांग्रेस-कार्य-क्रम में इस भाव से आगे ले आया कि जब तक हिंदू इस धब्बे को मिटाने के लिये तैयार नहीं हैं, वे अपने को स्वराज्य के योग्य नहीं समझ सकते। इस विश्वास की सायंकता मेरे सम्मुख प्रत्यक्ष है। यदि अज्ञान प्रथा का दाप लिए हुए ही आपको स्वाधिकार प्राप्त हो गया, तो, मेरा विश्वास है, आपके 'स्वराज्य' में अज्ञानों की और बुरी दशा होगी, क्योंकि इसका सीधा कारण यह होगा कि अधिकार के मद में हमारी-आपकी दुर्बलता तथा कमजोरियाँ और भी अधिक बढो हो जायँगी। संक्षेप में, मेरी यही स्थिति है, सफाई है, और मेरा सदैव यह मत रहा है कि यह 'आत्मशुद्धि' स्वराज्य के लिये अनिवार्य है। मैं आज इस तथ्य पर नहीं पहुँचा हूँ। जिस समय से मैंने स्वराज्य के विषय में विचार करना शुरू किया, उसी समय से मेरा यह मत रहा है। इसीलिये मैं ईश्वर

की भण्डारघट देना है कि उसने मुझे इन अन्गर पर उतरस्थित होने देग्य जनाता। मैंने सर्वथा ऐसे कार्य के अन्तर को मूल्यवान् समझा है, और इनामिये ऐसे अन्तरों पर मैंने 'राजनीतिक' जगह जलियेके कार्यो को काम पर रग्य दिया है। मैं जानता हूँ, किन्तु 'राजनीतिक' जगहानेसारी उनेजरु यम्पु ही आरम्भिन करनी है, ये मुझ पर टैमेंगे, पर यः कार्य मेरे हृदय के मद्रमे निररु तथा मद्रमे प्रिय है।

### जय परीक्षा का समय होगा !

इस मंदिर को मोररु आपने (श्रंगनी चुनीभाः) अपने जर्तव्य का पालन तथा आत्मशुद्धि का जो कार्य किया है, उनके दिये आपने बधाः देने का आसयसता नहा। किन्तु मुझे, जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ, बधाइ देने का अन्तर शीर् हो उपस्थित होगा। इस मंदिर के ब्राह्मण पुजारियों ने परिस्थिति को स्वीकार कर लिया है, पर यह समथ है, ये एक दिन आपके विमुख हो जायें, और यह कहें कि उनसे मंदिर के पूजा-पाठ से कोई सरोकार नहा है। यह भा समथ है कि समूचा ब्राह्मण-समुदाय, समग्र मनाननी नागर-समुदाय आपके विरुद्ध पड्यत्र कर ले। उस समय भी मैं आशा करता हूँ, और प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने निश्चय पर दृढ़ रहेंगे, और यह सोचकर प्रसन्न होंगे कि उसी दिन मंदिर में शिव की पत्थर की मूर्ति में वास्तविक जीवन का, ईश्वर की जीवित सत्ता का संचार हो गया है। आपके प्रायश्चित्त की यह चरम



सीमा होगी। और, जिस दिन आपका समाज इस आवश्यक आत्मशुद्धि का कार्य करने के लिये आपको जानि बाहर कर देगा, मैं आपको हृदय से बधाई दूँगा।

### हिंदुओं के लिये

आज जो यहाँ पर उपस्थित है, उनसे मैं कह देना चाहता हूँ कि हमारे सिर पर पाप का जो बोझ लदा हुआ है, उसी से हम स्वराज्य नहीं प्राप्त कर रहे हैं। यदि सभी 'छूत' कहलाने-वाले हिंदू अपने 'अछूत' कहलानेवाले भाइयों के प्रति अन्याय का प्रायश्चित्त करें, तो वे देखेंगे कि स्वराज्य आप-से-आप हमारे हाथों में आ जाता है। और, कृपा कर यह भी समझ लें कि केवल शारीरिक छुआछूत दूर करने से ही काम नहीं चल सकता।

अछूत-प्रथा के अंत होने का अर्थ है जन्म से ही किसी को बड़ा-छोटा मानने के भेद-भाव को मिटा देना। वर्णाश्रम-धर्म बड़ा सुंदर धर्म है, पर यदि इसका उपयोग सामाजिक बड़प्पन के प्रतिपादन में होता है, तो यह बड़ी भयंकर बात हो जायगी। अछूत-प्रथा का अंत केवल इस जीवित विश्वास के आधार पर चाहिए कि ईश्वर की दृष्टि में सब लोग एक हैं, तथा परमपिता हम सबके साथ बराबर तथा

।

का निजी मंदिर है। यदि इसका द्वार है, तो सार्वजनिक मंदिर का द्वार कितने

मनस नमः च रहैना । आज का अन्तर हर एक हिंदू की अंतर्गत जागृति का होगा । यह शुभ मुहूर्त उन क्रिया को प्रारंभ करता है, जिसके द्वारा सभी हिंदू-मंदिरों के द्वार अट्टनों के लिये खुल जायेंगे, वित्तु अन्य बातों के समान इस दशा में भी मैं डोर-उमर-स्वर्ग में बचने का अनुरोध करूँगा । कुछ समय पूर्व हम बड़ी जड़ता-पूर्वक इस प्रथा से चिपटे हुए थे, किंतु आज हम इनके प्रति उपेक्षित-ही हो रहे हैं । यह समय दूर नहीं, जब वह उपेक्षा ऐसी जागृति में परिणत हो जायगी, जब हम आत्मशुद्धि के कर्तव्य-भाव से प्रेरित होकर स्वेच्छया यह कार्य करने लगेंगे । पंडित यय पूर्व इस प्रकार की उपेक्षा या ऐसी दशा को बर्दाश्त कर लेना भी असंभव था । हमें यह आशा करना चाहिए, तथा इसके लिये प्रार्थना करना चाहिए कि अब दूसरा पग होगा इच्छा-पूर्वक आत्मशुद्धि का यह कार्य करना ।

अभी कल ही मेरे एक मित्र ने मुझे सत्याह दी थी कि अट्ट अथवा 'अंत्यज' के लिये 'हरिजन' शब्द का उपयोग करना चाहिए । सनातनी नागर ब्राह्मण-समाज के श्रीनरसिंह मेहता-नामक महान् साधु ने अपने समाज के मन की अवहेलना कर, अंत्यजों को अपनाकर, उनके लिये सर्व-प्रथम इस शब्द का उपयोग किया था । इतने बड़े साधु के प्रयोग से शुद्ध किए हुए शब्द को अपनाने में मुझे बड़ा हर्ष होता है, पर मेरे लिये इसका अर्थ आपकी कल्पना से कहीं अधिक गंभीर है । मेरे

लिये, अपनी तुलना में, 'अंत्यज' वास्तव में 'हरिजन' है—ईश्वर का पुरुष है, और हम 'दुर्जन' हैं, क्योंकि हमें आराम तथा सफाई से रखने के लिये वह परिश्रम करता और अपने हाथ को गंदा करता है। हमें तो उसे दबाने में ही आनंद आता है। इन अंत्यजों के सिर जिस दुर्बलता तथा दूषण का हम दोष मढ़ते हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे सिर है। हम अब भी हरिजन हो सकते हैं, पर इसके लिये हमें पहले उनके प्रति अपने अन्याय के लिये हार्दिक पश्चात्ताप करना पड़ेगा।

---

## दलित जातियाँ

[ हरिजनों के दुःस्वों का निश्चय क्या हम बात से हो जायगा कि वे हिंदू-धर्म छोड़ दें ? अन्य धर्मवाले हाथ बढ़ाए हरिजनों को अपमान के लिये तैयार हैं । क्या वे उनका उद्धार कर लेंगे । हम प्रश्न का बड़ा सुंदर उत्तर गांधीजी के 'यंगइंडिया' में प्रकाशित एक लेख 'दलित जातियाँ' से मिल जाता है । पाँचवाँ लेख उनके भद्रास के असहयोग-काल के एक व्याख्यान का अंशात्मक अनुवाद है । असहयोग, स्वराज्य तथा हरिजन-उद्धार का कार्यक्रम गांधीजी ने किस प्लूवी से एक संबद्ध कार्य के रूप में समझाया है ।—संपादक ]

विवेकानंद पंचमों को 'दवाई हुई' जानियाँ कहा करते थे । इसमें कोई संदेह नहीं कि विवेकानंद का यह विशेषण बिलकुल उपयुक्त है । हमने उनको दवाया है, फलतः हम भी दवाए गए हैं । गोखले के शब्दों में—न्यायी ईश्वर ने हमें 'साम्राज्य का पंचम' बनाकर हमारे अन्याय का दंड दिया है । हैरान और रुष्ट होकर एक संशयदाता मुझसे कातरता-पूर्वक पूछता है कि मैं पंचमों के लिये क्या कर रहा हूँ । "अँगरेजों से उनका रक्त-रजित हाथ साफ करने के लिये कहने के पहले क्या हम हिंदुओं को खून से सना अपना हाथ नहीं धो डालना चाहिए ।" यह सामयिक

२८४

तथा उचित प्रश्न है। यदि गुलाम राष्ट्रों का कोई व्यक्ति इन दवाई जातियों को अपने उद्धार के पहले मुक्त कर दे, तो मैं इसे पसंद करूँगा। मैं आज ही ऐसा करने के लिये तैयार हो जाऊँगा। किंतु यह एक असंभव कार्य है। एक दास को इतनी भी स्वाधीनता नहीं होती कि वह कोई उचित कार्य कर सके। मेरे लिये यह सर्वथा न्यायोचित है कि भारत में विदेशी बख्तों का आना रोकूँ, पर ऐसा करने की मेरे में क्षमता नहीं है। यदि मेरे पास सचमुच राष्ट्रीय व्यवस्थापक सभा होती, तो मैं हिंदू-गुस्ताखी का जवाब दवाई जातियों के लिये ही खासतौर से उपयोग में लाने के लिये अच्छे और खास कुएँ बनवाकर देता, उनके लिये अनेक और फहाँ अच्छे स्कूल बनवा देता, इस प्रकार दवाई जाति का एक भी व्यक्ति ऐसा न रह जाता, जिसके बच्चे की शिक्षा के लिये स्कूल का अभाव होना। पर मुझे अच्छे अवसर की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

तब तक क्या ये दलित जातियाँ अपने भाग्य पर छोड़ दी जायँगी, ऐसा हर्षित न होगा। मुझसे जहाँ तक बन पड़ता है, मैं हर प्रकार से अपने पंचम भाई की सेवा करता आया हूँ, और करूँगा।

राष्ट्र के इन उन्मीड़ित व्यक्तियों के लिये केवल यही मार्ग खुला हुआ है। धैर्य छोड़कर वे गुलामों की सरकार की सहायता माँग सकते हैं। यह सहायता उन्हें मिल जायगी, पर वे जलती कढ़ाई में से अग्नि में गिर जायँगे। आज वे



बड़ी संख्या मौजूद है, जो हिन्दू-धर्म से इस धम्बे को मिटा देने के लिये तुल्य गए हैं। अतः मेरा कहना है कि धर्म-परिवर्तन इस समस्या को किसी प्रकार भी नहीं निवृत्त सकता।

---

## पंचम

[ मद्रास में पंचमों की समस्या का निश्चय कैसे हो। उनके प्रति बड़ी निर्दयता का व्यवहार होता है। गांधीजी का विचार नीचे दिया जाता है।—संपादक ]

मद्रास-प्रान्त के समान अङ्गुलों के प्रति और कहीं भी इतनी निर्दयता का व्यवहार नहा होता। उसकी छाया-मात्र से ही ब्राह्मण अपवित्र हो जाता है। वह ब्राह्मणों की सड़क से जा भी नहीं सकता। अब्राह्मण भी उसके साथ कोई अच्छा सड़क नहीं करते। इन दो के बीच में, पंचम कहलानेवाला अष्टुत पित्तकर भर्ता हो जाता है। और, फिर भी मद्रास ऊँचे मंदिरों और प्रगाढ़ धार्मिक भक्ति की भूमि बना है। लंबा टीका, लंबी चुटिया तथा मुँडे सिर लोग श्रियो के समान मादूम होते है। पर ऐसा प्रतीत होता है कि इन बाहरी दिखावे में उनके धर्म का कोप खाली हो गया है। शंकर और रामानुज-ऐसे धर्म-ब्रजियों को उत्पन्न करनेवाली भूमि में पंचमों के प्रति ऐसी डायरशाही समझ में नहीं आती। पर भारत के इस भाग में, अपने ही संबंधियों के प्रति, ऐसा दुर्व्यवहार देखते हुए भी—ऐसा शैतानी व्यवहार देखते हुए भी—इन दक्षिणात्यों में मेरा विश्वास बना ही है। मैंने उनकी प्रायः सभी बड़ी सभाओं में



## एक भयंकर सिद्धांत

[ सत्याग्रह तथा दलितोद्धार क्या संबंध है ? जड़ सनातनिषों की जड़ता का किस प्रकार उच्चार दिया जाय ? सत्याग्रह से ? गांधीजी का सत्याग्रह क्या इस आंदोलन में भी लागू होता है ? ये प्रश्न इस सुंदर लेख से सुलभ जायेंगे । ट्रायकोर में गांधीजी ने उन दिनों एक व्याख्यान दिया था, जय वहाँ राजमाता महारानी का शासन था । यह लेख उसी का अधिकांश अनुवाद है ।— संपादक ]

भारत के इस अत्यंत सुंदर भाग में दूसरी बार आने पर मुझे कितना दर्द हो रहा है, फिर भी यह सोचकर कि भारत के अन्य भागों में सबसे अधिक अछूत-भाव यहाँ पर है, मुझे इतना दुःख होता है कि मैं उसे छिपा नहीं सकता । मुझे यह सोचकर बड़ा अपमानित होना पड़ता है कि एक प्रगतिशील हिंदू-राज्य में अछूतों के प्रति जो असुविधाएँ हैं, उनके स्पर्श तथा दृष्टि-मात्र से ही जो दीप लगता है, उतनी भयंकर दशा और कहीं भी नहीं है । मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह कहता हूँ कि यह अछूत-प्रथा एक ऐसा अभिशाप है, जो हिंदू-धर्म की वैश्वी शक्ति को खाए जा रही है । और, मैं प्रायः यह महसूस करता हूँ कि जब तक हम समुचित रीति से ज़बरदारी न करें, अपने बीच में से इस शाप को न मिटा दें, हिंदू-धर्म के

अत्याचार पर खेद होगा, तथा वह मित्राभनी क्रान्ति का अधिकार कर लेगा, उसी समय वही अंगरेज-अफसर, जिनका हृदय चञ्चल हो गया है, एक स्वतंत्र तथा साहसी राष्ट्र के रूप में उसका स्वागत करेंगे।

और, मेरा विश्वास है, यदि हिंदू चाहे, तो वे 'पंचम' कहलानेवालों को मताधिकार दे सकते हैं, और जो अधिकार वे स्वयं अपने लिये चाहते हैं, उन्हें भी अपना ओर में दे सकते हैं—मैं ऊपर कहीं कहीं मैं भी पूरा विश्वास रखता हूँ। यह हृदय तथा दशान्वरिर्जन किसी पूर्व-निश्चय तथा संशय कार्य-क्रम से नहीं हो सकता। यह नभी संभव है, जब इश्वर की कृपा होगी। यह कौन अस्वाकार कर सकता है कि परमान्ता हमारे हृदय में अद्भुत परिवर्तन उत्पन्न कर रहा है। अस्तु, हर एक स्थान पर, हर एक कार्य-कर्ता का यह कर्तव्य है कि अष्ट-बंधुओं से मित्रता का प्रतिपादन करें, और अहिंदू हिंदुओं से यह बसाए करे कि वेद, उपनिषद्, भगवद्गीता, शस्त्राचार्य तथा रामानुज द्वारा वर्णित हिंदू-धर्म में किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह कितना ही पवित्र क्यों न हो, अष्ट के समान व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं। हर एक कार्यकर्ता को नम्रतम रूप में सनातनियों से यह अनुरोध करना चाहिए कि यह निषेध अहिंसा का भाव का उल्टा है।

सार-सारक पत्र दिया है कि जब तक हम अपने समाज से इस शर को नहीं मिटा देते, स्वराज्य नहीं हो सकता।

मैंने उनसे स्पष्ट कह दिया है कि संपूर्ण संसार के समाज में हमारे साथ कोई के समान व्यवहार इनाइजिये होना है कि हम अपनी ही जाति के लोगों भाग के साथ ऐसा ही सड़क करने हैं। अमरुपोग अंगरेजों में ही नहीं, हममें भी दृश्य-परिवर्तन के लिये एक प्रार्थना-मात्र है। जवदर मैं तो पहले अपने लोगों में, और फिर, समय पाकर, अंगरेजों में दृश्य-परिवर्तन का आशा करता हूँ। ऐसा राष्ट्र जो सदियों के अनिशाप को एक क्षण में फेंक सकता है, ऐसा राष्ट्र जो कष्टों के समान मादिरा के व्यस्तन को त्याग सकता है, ऐसा राष्ट्र जो अपने मूठ उद्योग को पुनः अपना सकता है तथा एक वर्ष में ६० करोड़ रुपए का कपड़ा केवल अपने काल्प समय में तैयार कर सकता है, आर्य ही बढ़ता हुआ राष्ट्र कहलाएगा। उसका परिवर्तन संसार पर प्रभाव डालेगा। खिड़ी उड़ानेवाले के लिये भी यह देवी सत्ता तथा प्रतिभा का विश्वासोत्साहक प्रदर्शन पर सकता है। और, इसीलिये मैं कहता हूँ कि यदि भारत का इस प्रकार परिवर्तन हो सकता है, तो संसार में कोई भी शक्ति उसके स्वराज्य के अधिकार को अस्वीकार नहीं कर सकती। भारत के क्षितिज में चाहे कितना ही घना बादल क्यों न एकत्रित हो जाय, मैं साहसपूर्वक यह भविष्यवाणी करता हूँ कि जिस क्षण भारत को 'अज्ञानों' के प्रति अपने

अत्याचार पर खंड होगा, तथा वह विधायनी कामड़े का बहिष्कार कर लेगा, उसी समय वही अंगरेज-अकसर, जिनका हृदय चटोर हो गया है, एक स्वतंत्र तथा साहसी राष्ट्र के रूप में उसका स्वागत करेंगे।

और, मेरा विश्वास है, यदि हिंदू चाहे, तो वे 'पंचम' कलकत्तनेवालों को मनाबिन्दार दे सकते हैं, और जो अधिकार वे स्वयं अपने लिये चाहते हैं, उन्हें भी अपनी ओर से दे सकते हैं—मैं ऊपर कही बातों में भी पूरा विश्वास रखना हूँ। यह हृदय तथा दशा-परिवर्तन किसी पूर्व-निश्चय तथा यंत्रीय कार्यक्रम से नहीं हो सकता। यह तभी संभव है, जब ईश्वर की कृपा होगी। यह कौन अस्वाकार कर सकता है कि परमात्मा हमारे हृदय में अद्भुत परिवर्तन उत्पन्न कर रहा है। अस्तु, हर एक स्थान पर, हर एक कार्यकर्ता का यह कर्तव्य है कि अद्भुत-ब्रह्मों से मित्रता का प्रतिपादन करे, और अहिंदू हिंदुओं से यह वक्तव्य करे कि वेद, उपनिषद्, भगवद्गीता, शंकराचार्य तथा रामानुज द्वारा वर्णित हिंदू-धर्म में किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह कितना ही पतित क्यों न हो, अद्भुत के समान व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं। हर एक कार्यकर्ता को नम्रतम रूप में सनातनियों से यह अनुरोध करना चाहिए कि यह निच भेद अहिंसा का भाव का उल्टा है।

## एक भयंकर सिद्धांत

[ सत्याग्रह तथा दलितोद्धार क्या संबंध है ? जइ मनातनिषों की जइता का क्रिम प्रकार उत्तर दिया जाय ! सत्याग्रह से ? गांधीजी का सत्याग्रह क्या हम आंदोलन में भी लागू होता है ? ये प्रश्न इस सुंदर लेख से सुलभ जायेंगे । टूथंकोर में गांधीजी ने उन दिनों एक व्याख्यान दिया था, जब वहाँ राजमाता महारानी का शासन था । यह लेख उसी का अधिकांश अनुवाद है ।—संपादक ]

भारत के इस अत्यंत सुंदर भाग में दूसरी बार आने पर मुझे कितना हर्ष हो रहा है, फिर भी यह सोचकर कि भारत के अन्य भागों में सबसे अधिक अछूत-भाव यहाँ पर है, मुझे इतना दुःख होता है कि मैं उसे छिपा नहीं सकता । मुझे यह सोचकर बड़ा अपमानित होना पड़ता है कि एक प्रगतिशील हिंदू-राज्य में अछूतों के प्रति जो असुविधाएँ हैं, उनके स्पर्श तथा दृष्टि-मात्र से ही जो दीप लगता है, उतनी भयंकर दशा और कहीं भी नहीं है । मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह कहता हूँ कि यह अछूत-प्रथा एक ऐसा अभिशाप है, जो हिंदू-धर्म की जीवनी शक्ति को खाए जा रही है । और, मैं प्रायः यह महसूस करता हूँ कि जब तक हम समुचित रीति से खबरदारी न करें, और अपने बीच में से इस शाप को न मिटा दें, हिंदू-धर्म के

ही नाम हो जाने का दर बना रहेगा। इस तरह तथा बुद्धि के युग में, इन चतुर्दश युगों के युग में, नव धर्म-मंडलों के तुलनात्मक अध्ययन के युग में भी ऐसे आदमी पाए जा सकते हैं, जिनमें ने कुछ पढ़े-लिखे भी हों, जो इस मंत्रर सिद्धांत का समर्थन करने हों कि एक भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है, जो अज्ञान हो, अपने धर्म आने देने कायक न हो, या देखने योग्य न हो, यह मेरी कल्पना के परे की बात है। हिंदू-धर्म के एक तुल्य विद्यार्थी को हिंमिनन से तथा हिंदू-धर्म के अनुशामनों का अक्षरशः पालन करनेवाले को हिंमिनन से मैं आपको यह बतला देना चाहता हूँ कि इस भीषण सिद्धांत के समर्थन में मुझे आज कोई बान नहा मिश्री। हमका यह विश्वास कर अपने को धोखा नहा देना चाहिए कि सस्कृत में जो कुछ भी लिखा और छपा है, वह शास्त्र है, तथा उसका पालन करने के लिये हम बाध्य हैं। जो नैतिकता के मौलिक सिद्धांतों के विरुद्ध हो सकता है, जो तर्कशाल बुद्धि के विपरीत है, उसे शास्त्र नहा कहा जा सकता, चाहे वह कितनी ही पुरानी बात क्यों न हो। मेरे इस कथन की पुष्टि के लिये वेद, गीता तथा महाभारत से काफी समर्थन मिलता है। इसलिये, आशा है, द्राविकोर की उन्नतिशील शासिका के लिये यह संभव होगा कि वह अपने शासन-काल में ही इस भूमि से इस अभिशाप को मिटाएँगी। इससे बढ़कर उदार तथा महान् बात और क्या हो सकती है कि एक स्त्री कहे कि उसके शासन-काल में सदियों की दासता से उत्पीड़ित इन 'अज्ञानों' को पूरी स्वाधीनता दे दी गई।

कितु मैं उनकी तथा उनके मंत्रिगणों की कठिनाइयों को भी जानता हूँ। चाहे कितनी ही निरंकुश सरकार क्यों न हो, ऐसा सुधार करने में डरती और सतर्क रहना चाहती है, किंतु बुद्धिमान् सरकार ऐसे सुधारों के पक्ष में आंदोलन का स्वागत करेगी, पर मूढ़ सरकार ऐसे आंदोलनों को दबाने के लिये हिंसात्मक दमन का प्रयोग करेगी। किंतु वाइकोम सत्याग्रह के अपने निजो अनुभव से मैं यह कह सकता हूँ कि तुम्हारे यहाँ एक ऐसी सरकार है, जो ऐसे आंदोलन को सहन ही नहीं करेगी, किंतु उसका इसलिये स्वागत करेगी कि ऐसा सुधार करने में उसी के हाथ मजबूत हो जायं। इसलिये वास्तविक कार्य तथा उसका श्रीगणेश ट्रायंकोर की जनता के हाथ में है, और वह भी 'अछूत' या अनुचित रूप से 'अवर्ण' कहलानेवाले हिंदू भाइयों के हाथ में नहीं। मेरे लिये तो 'अवर्ण' हिंदू का नाम ही गलत है, और हिंदू-धर्म के प्रति अपवाद है। अधिकांश दशाओं में इसका निदान या ओपधि, श्रीगणेश तथा प्रारंभ 'सवर्ण' कहलानेवाले हिंदुओं के हाथ में है, जिन्हें अछूत-प्रथा के पाप से अपने को मुक्त करना है। किंतु मैं तुमको यह बतला देना चाहता हूँ कि निष्क्रिय रूप से केवल यह विश्वास-मात्र ही पर्याप्त नहीं है कि अछूत-प्रथा एक पाप है—अपराध है। जो निष्क्रिय रूप से किसी अपराध को अपने सामने होते हुए देखता रहता है, कानूनन्वय वह उसमें क्रियाशील रूप से भाग लेनेवाला समझा जाता है। इसलिये आपको अपना

आंदोलन हर प्रकार से जायज तथा वैध रूप से चलाना चाहिए। यदि मेरी आवाज उन तक पहुँच रही है, उन्हें चाहिए कि मेरे संदेश को उन ब्राह्मण-पुरोहितों के पाम तक पहुँचा दें, जो इस आवश्यक तथा शीघ्र वांछनीय सुधार का विरोध कर रहे हैं। यह ऐतिहासिक सत्य होते हुए भी दुःखद सत्य है कि वही धर्म-पुरोहित जिनको धर्म का रक्षक होना चाहिए था, उसके भक्षक तथा विनाशक बन रहे हैं। ट्रावकोर तथा अन्य स्थानों में मैं अपनी आँखों के सामने उन्हीं ब्राह्मण-पुरोहितों को, जो धर्म की ध्वजा तथा रक्षक होते, अज्ञान या उससे भी बुरी वस्तु के कारण, धर्म का नाश करते देख रहा हूँ। जब वे अपने समूचे पांडित्य का उपयोग एक भयंकर अंध-विश्वास तथा भीषण भूल के समर्थन के लिये करते हैं, उनकी विद्या धूल में मिल जाती है। इसलिये मैं आशा करता हूँ कि समय रहते वे समय की गति पहचान लेंगे, तथा वर्तमान स्थिति के साथ— जो इच्छया या अनिच्छया सत्य के मार्ग की ओर हमें लिए जा रही है—चलने की चेष्टा करेंगे। संसार के सभी धर्म, चाहे वे अन्य बातों में भिन्न हों, सर्व-सम्मत रूप से यह घोषित करते हैं—

“सत्यमेव जयते नानृतम्”

### सुधारकों से

किंतु मैं सुधारकों धरे भी सावधान कर देना चाहता हूँ कि उनका मार्ग तंग और दुर्गम है, अतएव यदि वे धैर्य छोड़ देंगे, और न्याय-पथ से विचलित हो जाएँगे, तो वे अपनी ही हानि करेंगे, और



सुधार के मार्ग में बाधा पैदा कर देंगे। मैं यह कहने का साहस करता हूँ कि मैंने सुधारकों के हाथ में एक अमूल्य तथा अजेय अख सत्याग्रह के रूप में दे दिया है। यदि वह ईश्वर में विश्वास रखता है, उसे अपने में विश्वास है, अपने उद्देश्य की पवित्रता में विश्वास है, तो वह कभी हिंसात्मक न होगा। अपने अत्यंत भयंकर शत्रु के प्रति भी—उस पर अन्याय, अज्ञान, हिंसा का दोष लगाते हुए भी—हिंसक भाव न धारण करेगा। मैं विरोध का भय किए बिना ही कह सकता हूँ कि हिंसा द्वारा कभी सत्य का प्रतिपादन नहीं किया जा सका है, इसलिये सत्याग्रही हिंसात्मक शक्ति द्वारा नहीं, प्रत्युत प्रेम और मत-परिवर्तन द्वारा अपने कथित शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। उसकी विधि सदैव उदार होगी तथा वह उदारचेता होगा। वह कभी अतिशयोक्ति का अतिक्रमण न करेगा। और, चूँकि अहिंसा का दूसरा नाम प्रेम है, उसका एकमात्र अख है आत्मपीड़ा। और, सर्वोपरि अद्वैत-प्रथा उठाने के आंदोलन में—जो मेरी सम्मति में मूलतः एक धार्मिक तथा आत्मशुद्धि का कार्य है—घृणा, जल्दबाजी, अविचारशीलता तथा अतिक्रमण के लिये स्थान ही नहीं है। चूँकि प्रत्यक्ष कार्य में सबसे अमोघ अख सत्याग्रह है, इसलिये सत्याग्रह की शरण लेने के पूर्व सत्याग्रही अन्य हरएक उपाय का प्रयोग कर लेता है। इसलिये वह निरंतर तथा प्रायः वैध अधिकारियों के पास जायगा, सर्वजन-सम्मति को अपनाने की चेष्टा करेगा, शांत तथा व्यवस्थित चित्त से जो सुनना चाहेगा,

उसके सामने अपना विचार प्रकट करेगा, और जब इन सब विधियों को असफल पावेगा, वह सत्याग्रह करेगा। पर जब उसकी अंतरात्मा उसे सत्याग्रह के लिये प्रेरित करेगी, और वह उस पर उतारू हो जायगा, वह अपना सर्वस्व छोड़कर उस पर उतर पड़ेगा, और तब पीछे लौटना नहीं हो सकता। किंतु मुझे आशा करनी चाहिए कि इस प्रांत में जनता के लिये इतने प्रत्यक्ष अपराध को मिटाने के लिये सत्याग्रह की आत्मपीढाएँ न झेलनी पड़ेंगी।

---

## हिंदू-धर्म का अभाव

[ अछूतोद्धार की मार्मिकता क्या है ? इसका सत्याग्रह से क्या संबंध है ? साथ ही, कितने शांत रूप में हरिजन-सेवा-कार्य करना चाहिए, यदि यह समझना हो, तो ट्रिबेनल में आज से ६ वर्ष पूर्व महात्माजी ने जो व्याख्यान दिया था, जिसे हम प्रकाशित कर रहे हैं, पढ़ना अनिवार्य है ।—संपादक ]

ट्रांबंकोर में एक बार आने के बाद मैं इस मोहक भूमि में पुनः-पुनः आने के अवसर की प्रतीक्षा करता रहता था । इसके अत्यंत रमणीय दृश्य, ट्रांबंकोर में कन्याकुमारी की पर्वत-मालिका और ट्रांबंकोर की स्त्रियों की सादगी तथा स्वाधीनता ने मेरे पहले आगमन के समय ही मेरा हृदय मोहित कर लिया था । किंतु इन भावों और अवस्थाओं के आनंद को यह सोचकर गहरा धक्का पहुँचता है कि इस अत्यंत प्राचीन हिंदू-राज्य में, जिसे शिक्षा में प्रगति की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, अछूत-प्रथा अत्यंत भयंकर रूप में वर्तमान है । और, इस दशा में मुझे सदैव सबसे अधिक पीड़ा इसीलिये होती है कि मैं अपने को पक्का हिंदू समझता हूँ, और अपने हृदय को हिंदुत्व के भाव से ओत-प्रोत देखता हूँ । हम आज अछूत-प्रथा का जैसा पालन करते हैं, और उस पर जैसा

विश्वास करते हैं, उसकी आत्मा में ऐसे किसी भी ग्रंथ में नहीं पाता, जिसे हिंदू-शास्त्र कहते हैं। किंतु, जैसा मैंने अन्य स्थानों में बार-बार कहा है, यदि मुझे यह माझम हो जाय कि हिंदू-धर्म में वास्तव में अट्टन-प्रथा है, मुझे हिंदू-धर्म का ही छोड़ने में कोई हिचक न होगी। क्योंकि मेरा विश्वास है, वह धर्म नहीं है, जिसमें नैतिकता और कर्तव्य-शास्त्र के मूल-सत्यों का समावेश न हो, तथा उसका कोई सिद्धांत इनके विपरीत हो। किंतु, मेरा दृढ़ विश्वास है कि अट्टन-प्रथा हिंदू-धर्म का अंग नहीं है। मैं हिंदू बना ही हुआ हूँ, और दिन-प्रति-दिन इस मयंकर पाप से छुटकारा पाने के लिये अधीर होता जा रहा हूँ। इसलिये जब मैंने यह देखा कि यह आंदोलन ट्रांस्कोर में प्रबल होता जा रहा है, तो मैं बिना किसी संशोच के इसमें कूद पड़ा। यदि मैंने इस प्रश्न को अपनाया है, तो इसलिये नहीं कि मैं किसी प्रकार इस रियासत को परेशान करूँ। क्योंकि, मेरा विश्वास है, श्रीमती महारानी अभिभाविका अपनी प्रजा के कल्याण का पर्याप्त ध्यान रखती हैं। वह इन्हीं मार्गों पर सुधारक होने का भी दावा करती हैं। और, मैं सोचता हूँ कि मैं यह कहने में कोई गुप्त बात नहीं बनला रहा हूँ कि वह स्वयं निकटतम भविष्य में इस अन्याय को दूर करा देना चाहती हैं।

---

\* यह व्याख्यान उ वर्ग बढ़ले दिया गया था। उस समय महारानी राज गद्दी पर नहीं बैठे थे—महारानी, राजमाता, अभिभावक थीं।

## राज्य और प्रजा का कर्तव्य

किन्तु वेदों की सरकार सुधार के मामले में अनुशासक नही बन सकती। प्रकृति: सरकार अपनी दानित प्रजा की प्रकृति अनुसार और भावों का अर्थ निहायनेवाली और उनकी कर्तव्य में परिचित करनेवाली हुआ करती है। और, चाहे किसी ही निरंकुश सरकार क्यों न हो, यह ऐसा सुधार नहीं करेगी, जो उनकी प्रजा हबम न कर सके। किन्तु इन एक बात का संतोष हो जाने पर मैं धाम-धाम में हरएक के सामने इस सुधार का संदेश लि जाने से नारा रहूँगा। मुनिपतिन, निरंतर आंदोलन ही राष्ट्र प्रगति की आत्मा होती है, और मैं तब तक सरकार को चीन न लेने दूँगा, जब तक यह सुधार न चाइ हो जाय। पर सरकार को चीन न लेने देने का यह अर्थ कदापि नहीं होता कि सरकार में ऐश्वर्यानां की जायगी। मुस्लिमान् ऐसे आंदोलन की सहायता, समर्थन तथा प्रोत्साहन का स्वागत करती है, जिससे स्वयं यह सुधार चाइ कर सके, जिसे यह चाहती है। मुझे माइम है, जब मैं पिछली मर्नवा यहाँ पर आया था, मुझसे कहा गया था कि यहाँ समर्थन या दून हिंदू एक प्रकार से उत्सुक हैं कि इस रूप में यह सुधार चाइ कर दिया जाय। पर मुझे कहते संकोच होता है कि सबणें हिंदू अपनी इच्छा को दबाए सोते रहे। उन्होंने अपनी इच्छा को ठोस रूप नहीं दिया। मेरा विश्वास है कि राज्य के हरएक हिंदू का यह आवश्यक कर्तव्य है कि वह

अपने इस कर्तव्य के प्रति सचेत हो जाय, और अपने आलसी भाइयों को भी उनके कर्तव्य का ध्यान दिलाकर उनकी तंद्रा दूर कर दे। मुझे बरा भी संदेह नहीं कि यदि सवर्ण हिंदू एक आवाज से अपनी कामना प्रकट कर दें, इस अछूत-प्रथा का भूत तुरन्त भाग जायगा। इसलिये हमें अपनी तंद्रा और आलस्य को सरकार के सिर मढ़ना अनुचित है।

पर हर समुदाय और देश में सुधारकों की संख्या इतनी थोड़ी है कि वे उँगलियों पर गिने जा सकते हैं। और, मैं यह भी जानता हूँ कि इन सब सुधारों का भार उन्हीं थोड़े-से सच्चे सुधारकों के सिर पड़ता है। इसलिये इतने समय की पुरानी कुप्रथा के सम्मुख सुधारक क्या करें! यही प्रश्न हल करना है। संसार के सभी सुधारकों ने निम्न उपायों में से एक या दो उपाय ग्रहण किए हैं। उनकी बहुत बड़ी मख्या सुधारों के लिये नीत्र आंदोलन करती और हिंसा की शरण लेती थी। वे ऐसा आंदोलन करते थे, जिसमें सरकार और जनता तन आ जाती तथा जनता के—नागरियों के—शांत जीवन में अप्पक्षपात उत्पन्न हो जाता था। दूसरे प्रकार का सुधारक, जिसे मैं अहिंसात्मक श्रेणी का कहता हूँ, अधिक उदार रूप से आंदोलन करता है। यह मनसा वाचा कर्मणा दिशात्मक कार्य द्वारा नष्ट, अग्निदु आत्मपीडा द्वारा अपनी ओर ध्यान आकर्षित करता है। वह बाल बराबर भी सत्य से नष्टा दिग्गता, और बुराई दूर करने के लिये अशर होते हुए भी बुराई करनेवाले के प्रति भी दुः

भाव नहीं लाता। इसी के लिये मैंने एक छोटा-सा नाम रखा है, और दक्षिण-आफ्रिका के समान भारत के सामने भी मैं इसे 'सत्याग्रह' कहकर उपस्थित करता हूँ। कृपया सत्याग्रह और सिविल-नाकरुमानी को मिलाए नहीं। दूसरी चीज सत्याग्रह की ही एक शाखा है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर वह प्रारंभ में नहीं, एकदम अंत में आती है। उसके आरंभ के पूर्व ही अत्यधिक संयम का होना आवश्यक है। उसके लिये आत्मनियंत्रण अनिवार्य है। सत्याग्रह दानशीलता पर निर्भर करता है। सत्याग्रही अपने शत्रुओं के कार्यों और भावों का भी मनमाना या अनुचित अर्थ नहीं लगाता, क्योंकि वह दबाकर नहीं, मत-परिवर्तन कराकर उसे अपनी ओर मिलाना चाहता है। इस-लिये आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि जब विरुधनगर में मेरे एक मित्र ने मुझसे भेंट कर मेरे समूचे सिद्धांतों का गलत अर्थ लगाया, तो मुझे कितना दुःखद आश्चर्य हुआ। उसने 'ट्रिब्यून एक्सप्रेस' में मेरे साथ अपनी बातचीत की रिपोर्ट छपवाई थी, जिसे मैंने देखा है। मेरी उसके साथ जो बातचीत हुई थी, उसका शुरू से आखीर तक गलत और उल्टा रूप दिया गया है (एक आवाज—धिकार ! धिकार ! )। पर आपको 'धिकार' कहने का अधिकार नहीं है। जिन सज्जन ने 'धिकार' कहा है, वह दानशीलता या उदारता का गुण या अर्थ ही नहीं जानते, क्योंकि एक क्षण के लिये भी मेरा यह तात्पर्य नहीं है कि जो सज्जन मुझसे मिले थे, उन्होंने जान-भूलकर अर्थ का

स्वयं किया है। आज प्रायःसर्व उन्टोंने मुझे जो मर्काई दी, मैं उसका विस्तार करने के लिये तैयार हूँ। किंतु मैंने आपराध मंत्री और इतना ध्यान इनीलिये आकर्षित किया है कि मैं स्वयंको सत्याग्रह का अर्थ समझ सकूँ, और साथ ही जो लोग इस अर्थ को चन्दा नही जानते, उनके ऐसा करने में जो रुकने हैं, वे भी दिग्बला हूँ। मैं यह उदाहरण इनीलिये दे रहा हूँ कि भावी सुधारक को ऐसा पथ अपनाने का खतरा समझा दूँ, और सचेत कर दूँ कि जब तक उसे यह विश्वास न हो जाय कि जिस पथ पर वह खड़ा है, वह मजबूत है या नहीं, जब तक उसे माधारण से अधिक आत्मनियंत्रण प्राप्त नहीं हो गया है, मेरे लिये सत्याग्रह बड़ा प्रिय और अमोघ अस्त्र होने हुए भी मैं यह नहीं चाहता कि अपने भरसक इसका दुरुपयोग या अनुचित उपयोग होने दूँ। इसीलिये मैंने इस मित्र को मलाह दी कि यह इस प्रश्न को तब तक न अपनावे, जब तक यह सत्याग्रह का पूरा मर्म समझकर उसका तथ्य न ग्रहण कर सके।

पर ऐसा कहकर मैं एक भी सुधारक का उत्साह टडा नहीं करना चाहता। इस समस्या का मैं इतने विस्तार के साथ इसलिये पर्यालोचन कर रहा हूँ कि मैं शीघ्रतम रूप से इसको हल करने के लिये, इससे काम लेना चाहता हूँ। इसलिये मैं विनम्रतापूर्वक यह सलाह देता हूँ कि आपमें से जिसको भी सार्वजनिक जीवन का कुछ अनुभव है, इस आंदोलन को अपने



हाथ में लेकर, अपना बनाकर उन युवकों की दृढ़ता तथा क्रिया शक्ति का सारथ्य करे, जो इसमें रुचि रखते हैं, पर कार्य करना नहीं जानते। और, मैं आपको यह भी सलाह देता हूँ कि आप अधिकारियों के संपर्क में भी आवें, और जब तक यह सुधार चाञ्च न हो जाय, उनको चैन न लेने दें। क्योंकि मैं स्वतंत्रता-पूर्वक आपसे यह कह सकता हूँ कि केवल महारानी ही नहीं, पर दीवान साहब भी इस सुधार के पक्षपाती है। पर चूँकि वह दूसरे धर्म के हैं, हम और आप हिंदू यह जानते हैं कि वह किस सीमा तक जा सकते हैं। मेरी सम्मति में, जहाँ तक सरकार का संबंध है, वह सुधार के पक्ष में है, पर उसका श्रीगणेश आपकी ओर से होगा, उसका प्रोत्साहन आप करेंगे, न कि सरकार। आप मुझे इस बात के लिये क्षमा करेंगे कि मैंने बड़े विषय तथा तार्किक रूप में इस समस्या पर विचार किया है। मैं और करता ही क्या, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं नेताओं को बुलाकर, उनके साथ इसके हरएक पहलू पर विचार करता। इसलिये मैं समझता हूँ कि अद्वैत-प्रथा के विरोध में इतनी बड़ी सभा के सम्मुख आप मेरे व्याख्यान को विषमता का ध्यान न करेंगे।

---

## वर्णाश्रम-धर्म और अछूत-प्रथा

[ हरिजन-उद्धार वर्णाश्रम-धर्म के प्रतिष्ठान नहीं है । यह विचार धर्म-पूर्ण है । गोर्वाजी भी वर्णाश्रम के कट्टर समर्थक है । दोनों का क्या संबंध है, यह जानने के लिये गोर्वाजी के टिप्पण के ही व्याख्यान का यह अंश पढ़ लेना आवश्यक है ।—संवादक ]

अछूत-प्रथा पर व्याख्यान देने के निम्नलिखित में आज एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ है, और मुझसे पूछा गया है कि अछूत-प्रथा का वर्णाश्रम-धर्म से क्या संबंध है । इसका अर्थ यह है कि मैं वर्णाश्रम-धर्म पर अपना विचार प्रकट करूँ । जहाँ तक मैं जानता हूँ, हिंदू-धर्म में सबसे सरल बात है 'वर्णाश्रम-धर्म' का अर्थ । 'वर्ण' का अर्थ अत्यन्त सरल है । इसका केवल यही अर्थ है कि वर्तव्य के मूल सिद्धांतों का विचार रखते हुए, जीविका-निर्वाह का कार्य वही होना चाहिए, जो कुल-परंपरा से हमारे पूर्वज करने आ रहे हैं । यदि हम सभी धर्मों में मनुष्य की जो परिभाषा की गई है, उसे मानने के लिये तैयार हैं, तो मैं इस बात को अपनी सत्ता-मात्र का मूल-नियम समझता हूँ । ईश्वर के बनाए सभी जानवरों में मनुष्य ही ऐसा पशु है, जिसकी सृष्टि इसलिये की गई है कि वह अपने विधाता को पहचाने ।

इसलिये मनुष्य का यह प्येव नहीं है कि वह सदैव अपनी भौतिक श्रो-शुद्धि करना जाय, किंतु उसका मुख्य और प्रधान कार्य है अपने विद्याया या सृजनहार के निवृत्त पहुँचने की चेष्टा करने रहना, और इसी परिभाषा के आधार पर हमारे प्राचीन ऋषियों ने हमारी सत्ता का यह नियम ढूँढ़ निकाला। आप समझ सकेंगे कि यदि हम सब इस 'वर्ण-विधान' का अनुकरण करें, तो हमारी भौतिक महत्वाकांक्षा सीमित हो सकेंगी। हमारी क्रिया-शक्ति को समय मिलेगा कि वह ईश्वर को जानने के लिये जिस विशाल तथा महत्त्व से चलना होता है, उसमें अपना उपयोग करेगा। इसलिये आप यह भी देख लेंगे कि संसार के जिन अधिकतम कार्यों की ओर हमारा ध्यान रहता है, वह निर्भयक प्रतीत होगा। इन बातों को सुनकर आप यह कह सकते हैं कि आज जिस 'वर्ण' का हम पालन करते हैं, वह मेरे वर्णित 'वर्ण' के बिल्कुल ही विपरीत है। यह बात सत्य है, पर जिस प्रकार असत्य को सत्य के रूप में माने जाते देखकर भी आप सत्य से घृणा नहा करते, किंतु असत्य को सत्य से दूर कर सत्य को ही अपना देने की चेष्टा करते हैं, उसी प्रकार 'वर्ण' के नाम पर प्रचलित अनुचित वस्तु को भी हम दूर कर सकते हैं, और हिंदू-समाज की वर्तमान कुदशा को परिष्कृत कर शुद्ध कर सकते हैं।

आश्रम तो वर्ण का परिणाम है। और, यदि 'वर्ण' ही खराब हो गया है, तो आश्रम का एकदम लोप हो जाना आश्चर्य-जनक

है। मनुष्य के जीवन की चार श्रेणियों को आश्रम कहते हैं। यहाँ पर एकत्रित कॉलेज के विज्ञान तथा कला-विभाग के छात्रियों ने मुझे घेर लिया और मैंने कहा कि वे मुझे यह आश्वासन दिला सकें कि वे प्रथम आश्रम अर्थात् ब्रह्मचर्याश्रम के नियमों का पालन करते हैं, और मनसा वाचा कर्मणा वे ब्रह्मचारी हैं, तो मुझे आंतरिक हर्ष होगा। ब्रह्मचर्याश्रम का निर्देश है कि कम-से-कम २५ वर्ष की उम्र तक जो ब्रह्मचारी रहता है, उसे ही गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का अधिकार है, और, चूँकि हिंदू-धर्म का संपूर्ण भाव ही यह है कि मनुष्य की वर्तमान दशा में सुधार करना हुआ उसे ईश्वर के निश्चय लेता जाय, इसीलिये श्रद्धियों ने गृहस्थाश्रम की भी एक सीमा बनवा दी, और हमें वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रमों को भी क्रमशः अपनाते का निर्देश किया। पर आज भारत के हर कोने को घान डालिए, इनमें से किसी भी आश्रम का सच्चा पालन करने-वाला एक भी न मिलेगा। आज की सम्यता तथा नवीन बुद्धिमत्ता के युग में हम जीवन की इस योजना पर हँस सकते हैं। पर इनमें मुझे कोई संदेह नहीं कि हिंदू-धर्म की महान् सफलता का यही रहस्य भी है। हिंदू-सम्यता अभी जीवित है, और मिस्री, असीरियन या बैबीलोनियन सम्यता अभी की मर चुकी। ईसाई-सम्यता तो केवल दो हजार वर्ष पुरानी है। इसलिये तो अभी पट्ट की चीज है। ये दोनों ही महान् सम्यताएँ हैं, पर मेरी तुलना में, अभी इनका निर्माण हो रहा है। ईसाई-योरप में

इसलिये मनुष्य का यह ध्येय नहीं है कि वह सदैव अपनी भौतिक श्रो-वृद्धि करता जाय, किंतु उसका मुख्य और प्रधान कार्य है अपने विधाता या सृजनहार के निकट पहुँचने की चेष्टा करते रहना, और इसी परिभाषा के आधार पर हमारे प्राचीन ऋषियों ने हमारी सत्ता का यह नियम ढूँढ़ निकाला। आप समझ सकेंगे कि यदि हम सब इस 'वर्ण-विधान' का अनुकरण करें, तो हमारी भौतिक महत्त्वाकांक्षा सीमित हो सकेगी। हमारी क्रिया-शक्ति को समय मिलेगा कि वह ईश्वर को जानने के लिये जिस विशाल तथा महत्पथ से चलना होता है, उसमें अपना उपयोग करेगा। इसलिये आप यह भी देख लेंगे कि संसार के जिन अधिकतम कार्यों की ओर हमारा ध्यान रहता है, वह निर्भयक प्रतीत होगा। इन बातों को सुनकर आप यह कह सकते हैं कि आज जिस 'वर्ण' का हम पालन करते हैं, वह मेरे वर्णित 'वर्ण' के बिल्कुल ही विपरीत है। यह बात सत्य है, पर जिस प्रकार असत्य को सत्य के रूप में माने जाते देखकर भी आप सत्य से घृणा नहीं करते, किंतु असत्य को सत्य से दूर कर सत्य को ही अपनाने की चेष्टा करते हैं, उसी प्रकार 'वर्ण' के नाम पर प्रचलित अनुचित वस्तु को भी हम दूर कर सकते हैं, और द्विदू-समाज की वर्तमान कुदशा को परिष्कृत सकते हैं।

आश्रम तो वर्ण का परिणाम है। और, गया है, तो आश्रम का एकदम उ

हैं। मनुष्य के जीवन की चार श्रेणियों को आश्रम कहते हैं। यहाँ पर एकत्रित कॉलेज के विज्ञान तथा कला-विभाग के विद्यार्थियों ने मुझे पैलियों भेंट की हैं। यदि वे मुझे यह आश्वासन दिला सकें कि वे प्रथम आश्रम अर्थात् ब्रह्मचर्याश्रम के नियमों का पूणतः पालन करने हैं, और मनसा वाचा कर्मणा वे ब्रह्मचारी हैं, तो मुझे आंतरिक हर्ष होगा। ब्रह्मचर्याश्रम का निर्देश है कि कम-से-कम २५ वर्ष की उम्र तक जो ब्रह्मचारी रहता है, उसे ही गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का अधिकार है, और, चूंकि हिंदू-धर्म का सपूर्ण भाव ही यह है कि मनुष्य की वर्तमान दशा में सुधार करता हुआ उसे ईश्वर के निवृत्त लेता जाय, इसीलिये ऋषियों ने गृहस्थाश्रम को भी एक सीमा बनवा दी, और हमें वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रमों को भी क्रमशः अपनाने का निर्देश किया। पर आज भारत के हर कोने को छान डालिए, इनमें से किसी भी आश्रम का सच्चा पालन करने-वाला एक भी न मिलेगा। आज की सम्यता तथा नवीन बुद्धिमत्ता के युग में हम जीवन की इस योजना पर हँस सकते हैं। पर इसमें मुझे कोई संदेह नहीं कि हिंदू-धर्म की महान् सफलता का यही रहस्य भी है। हिंदू-सम्यता अभी जीवित है, और असीरियन या बैबीलोनियन सम्यता कभी की मर चुकी सम्यता तो केवल दो हजार वर्ष पुरानी है। इस्लाम कल की चीज है। ये दोनों ही महान् सम्यताएँ हैं, तुच्छ राय में, अभी इनका निर्माण हो रहा है।

विश्व-मार्ग ही इंग्लैण्ड नदी है, वह ओर में। मनुष्य में इतना भी अन्तर्गत मनुष्य की शक्ति में अन्तर्गत है। और, आज इन दो मनुष्य-धर्मों में इतना-पर-तथा अन्तर्गत अन्तर्गत दोनों प्रकार की प्रतिस्पर्धा हो रही है। अन्तर्गत में मनुष्य होगा जाता है, में। यह धारणा रह जाती है कि मानवी जीवन के लिये 'वर्ण' का होना आवश्यक है, और इसी-लिये में इंग्लैण्ड और मुगलमान तथा हिन्दू की रक्षा के लिये समान रूप में आवश्यक समझता है। इस-लिये में यह मानना अस्वीकार करना है कि 'वर्णाश्रम' हिन्दू-धर्म का अन्तर्गत है। आज दक्षिण में देखा कठना कुछ हिन्दुओं के लिये कौशल की बात हो गई है। पर इसका यह अर्थ नहीं कि हम आप आज-कल के वर्णाश्रम के भयंकर रूप को सदन करें या उसके वर्तमान स्वरूप के प्रति उदार भाव रखें। 'वर्णाश्रम' या जाति-प्राप्ति का कोई संबंध नहीं। यदि आप चाहें, तो यह मान सकते हैं कि हिन्दू-प्रगति में इस-वस्तु ने बड़ी बाधा पहुँचाई है। और, अन्तर्गत-प्रथा इसी वर्णाश्रम का मूल है। जिस प्रकार धान या गेहूँ के खेत में घास-पान को नहीं उगने दिया जाता, उखाड़ फेंका जाता है, उसी प्रकार इस मूल को भी हटा देना चाहिए। 'वर्ण' के इस भाव में किसी की बड़ाई-हुंदाई का कोई स्थान ही नहीं है। यदि मैं हिन्दू-भाव को ठीक प्रकार से व्यक्त कर सकता हूँ, तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि सभी व्यक्तियों का, सभी प्राणियों का जीवन समान है, कोई बड़ा या छोटा नहीं

है। इसलिये ब्राह्मण का यह कहना या सोचना कि वह अन्य वर्णवालों से बड़ा है, नितान्त अनुचित है। प्राचीन समय के ब्राह्मण यह नहीं कहा करते थे। वे आदरणीय इसलिये नहीं थे कि वे बड़प्पन का दम भरते थे, पर इसलिये कि पुरस्कार की लेश-मात्र भी कामना किए बिना ही वे दूसरों की सेवा करने के अधिकार का दावा रखते थे। पर आजकल के पुरोहितों ने इन पूर्वजों की महत्ता तथा आदर को अपनाने का पाखंड-मात्र किया है। वे हिंदू-धर्म या ब्राह्मणत्व की रक्षा नहीं कर रहे हैं। ज्ञात या अज्ञात रूप से वे अपनी ही डाल काट रहे हैं, और जब वे आपसे यह कहते हैं कि शास्त्रों में अद्वैत-प्रथा का निर्देश है, मैं निस्संकोच यह कहने के लिये तैयार हूँ कि वे अपने कर्तव्य तथा धर्म की अवज्ञा कर रहे हैं और हिंदू-धर्म के भाव की गलत व्याख्या कर रहे हैं। इसलिये आज इस समाज के थोते हिंदुओं पर ही यह निर्भर करता है कि वे अपने लिये अत्यावश्यक कर्तव्य पहचानकर इस दिशा में क्रियाशील हों, और इस शाप से अपना छुटकारा करें। आप एक प्राचीन हिंदू-राज्य की प्रजा हैं। आपको इस सुधार में अगुआ बनने का गर्व होना चाहिए। जहाँ तक मैं आपके चारों ओर के घातावरण से पढ़ सकता हूँ, मुझे यही दिखाई पड़ता है कि यदि आप सच्चाई तथा मिहनत से कार्य करना चाहें, तो वास्तव में यही अनुकूल अवसर है।



## सवर्णों से अनुरोध

[ गांधीजी एक क्षण के लिये भी अछूत-प्रथा को सहन नहीं कर सकते । यह भ्रम है कि इस विषय में वह 'क्रमागत विकास' की प्रतीक्षा करने को तैयार है । क्लिप्त में उनके एक व्याख्यान से यह स्पष्ट प्रकट होता है ।—संपादक ]

जिस प्रकार जरा-सा संखिया समूचे दूध को विषैला बना देता है, उसी प्रकार अछूत-प्रथा हिंदू-धर्म को विषैला कर रही है । दूध के गुण और संखिया के विषैलेपन को जानते हुए हम दूध के पास संखिया का एक कनरा भी नहीं आने देंगे । ठीक इसी प्रकार मैं हिंदू-धर्म और अछूत-प्रथा का संबंध मानता हूँ, और एक क्षण के लिये भी इस प्रथा को जारी रखना घानक समझता हूँ । एक हिंदू होने के नाते मैं इस विषय में धैर्यशीलता को, शनैः-शनैः प्रगति करने के भाव को, हानिकार समझता हूँ । इसीलिये मैं निस्संकोच यह सलाह देता हूँ कि ट्रायकोर की रियासत एक क्षण में इस कलंक को मिटा दे । किसी दूषण को धैर्य-पूर्वक सहना उसके और अपने साथ गिलवाइ करना है । पर यह मैं जानता हूँ कि किसी हिंदू रियासत के लिये भी इस प्रकार का सुधार करना तब तक संभव नहीं, जब तक राज्य की हिंदू प्रजा स्वयं इस विषय में आगे न बढ़े । इसलिये

शब्द के प्रथम के शब्द पर आशय है कि इस सना में उभरिपन प्रत्येक सन्तों हिंदू में ही निजी नीर पर अनुरोध करना चाहता हूँ। अतः उद्वेगलेकले भाष्यों के प्रति हम आर बहुत मनन में करने कर्तव्य की अनेकना करने का रहे हैं। इस प्रकार हम लोग काननव में हिंदू-धर्म के झूठे प्रतिनिधि हैं। सिना देश-मात्र संकोच के मैं आरमे अनुरोध करूँगा कि आर इस वृत्रया के सिनी भी समर्पक की कोई बात सुनने से इनकार कर दें। इस युग में सिनी एक व्यक्ति या समुदाय का कोई कार्य किया नहीं रह सकता। जब तक हम लोगों के हृदय में इन वृत्रया का भाव वर्तमान रहेगा, हमारी परीक्षा का परिणाम हमारे प्रति-कृत सिद्ध होना रहेगा, और हमारी दुर्बलता प्रकट होनी रहेगी। यह तो आरको स्मरण ही करना चाहिए कि इस समय संसार के सभी धर्मों का रूप शीघ्रता-पूर्वक परिवर्तित हो रहा है। ऐसी दशा में अगर हम अनुमुर्ष की तरह अपना चेहरा छिपाकर सामने आनेवाली मुसीबत को भुला देना चाहें, तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। होनी होकर रहेगी। इस विषय में मुझे किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान हलचल के युग में या तो अद्वैत-प्रथा ही नष्ट हो जायगी, या हिंदू-धर्म ही नष्ट हो जायगा।

किंतु मैं इतना जानता हूँ कि हिंदू-धर्म नहीं मर रहा है, न मरनेवाला है, न इसकी कोई संभावना है, क्योंकि अद्वैत-प्रथा एक मुर्दे के रूप में ही इस समय दिखाई पड़ रही

है। वास्तव में यह प्रथा अपनी अंतिम साँसें ले रही है, और मुर्दा हो जाने पर भी जी उठने की निरर्थक चेष्टा कर रही है।

---

## वर्णाश्रम की दलील

[ वर्णाश्रम-धर्म का पालन तथा कर्तव्य-प्रथा का भाग—दोनों होने पर भाग देने संभव है। भाग ही वैजानिचों का विचार है कि वर्णाश्रम-प्रथा कर्तव्यनिष्ठ है। वे गृह शंकर हैं, त्रिलोक संतोष-जनक महात्मा गांधीजी ही कर सकते हैं। —संग्रह ]

एक सवाददाना दिवने है—

हाल ही में मद्रास में आपने जो व्याख्यान दिया था, उसमें चतुर्वर्ण-विभाग में अपना विश्वास प्रकट किया था। किंतु क्या वर्ण-प्रथा का परंपरागत होना उचित है? कुछ लोगों की राय में आर्य परंपरागत विभाग में, उत्तराधिकार और वैदिक विभाग में विश्वास रखते हैं। कुछ कहते हैं कि बात इससे उल्टी ही है। आपकी लेखनी से तो पट्टी बात ही टोक जान पड़ती है। उदाहरणार्थ, आपके इस कथन का क्या अर्थ है कि “अज्ञानों को शूद्र समझना चाहिए, और उनको अमात्यों के समीप अधिकार प्रदान करने चाहिए। शासन-अशासन के इस स्वेच्छाचार-पूर्ण भेद से क्या लाभ? क्या वे दोनों दो भिन्न जीव ही हैं। दो भिन्न जंतु हैं। यदि अज्ञान इसी जीवन में अशासन हो सकता है, तो शासन भी क्यों नहीं हो सकता। पुनः यदि अज्ञान इस जन्म में शूद्र हो सकता है, तो वैश्य क्षत्रिय और

क्षत्रिय ब्राह्मण क्यों नहीं हो सकता। जो लोग कर्म-विधान में अविश्वास करते हैं, उन्हें आप यह विधान मानने के लिये विवश क्यों करते हैं? क्या संसार में श्रीनारायण गुरु स्वामी से बढ़कर कोई पूर्ण ब्राह्मण होगा? मैं बनिया गांधी से बढ़कर कोई ब्राह्मण नहीं देखता। मैं ऐसे सैकड़ों अब्राह्मणों को जानता हूँ, जो अधिकांश 'जन्मना' ब्राह्मणों से अच्छे हैं।

“यदि आप जन्मना वर्ण के सिद्धांत के पक्के समर्थक न होते, तो द्विज-वर्ग में वर्तमान समान धर्म, समान रीति, समान नियम होने पर भी, उनमें अंतर्विवाह की आज्ञा क्यों न देते? मेरी समझ में इसी कारण आप इतनी तत्परता-पूर्वक निरामिय ब्राह्मण-अब्राह्मण में सहभोज का भी विरोध करते हैं।

“इसमें कोई संदेह नहीं कि 'परंपरा' जीवन का एक महान् नियम है, पर उसकी रहस्यमयी योजना के पालन के विषय में और भी महान् तथा रहस्यमय कारण हैं। एक तो जीव-विज्ञान के विकास के सिद्धांत में, उसकी भाषा में, 'विभिन्नता' पर निर्भर करता है। यह विभिन्नता ही विश्व का प्रधान सिद्धांत है, जिस पर उसकी संपूर्ण प्रगति निर्भर करती है। इसी वस्तु को, कोई अधिक उपयुक्त नाम न होने के कारण, आप 'उन्नति-प्रगति' कहते हैं। इसलिये इस विभिन्नता के नियम का पालन हरएक समाज के हित में आवश्यक है, अपालन हानिकर होगा। भारत में वर्ण-प्रचार का इतिहास इसका पर्याप्त प्रमाण है। इससे यह प्रमाणित होता है कि इस प्रथा को उपयुक्त करने में,

इस नियम के पालन में जो सबसे मदी भूल हो सकती है, वह अपने धर्म, अपनी विद्या, अपने आध्यात्मिक कार्यों के लिये एक परंपरागत पुरोहित तथा रक्षक-समुदाय का निर्माण है, जो सदैव केवल इसी एक कार्य का जिम्मेदार और सर्वेसर्वा होगा।

“बा० भगवानदास-ऐसे टोस सनातनी ब्राह्मण ने भी, जिन्होंने इस विषय पर गवेषणा-पूर्ण विचार किया है, भारत के समाज के पुनर्निर्माण पर अपनी यह सम्मति प्रकट की है कि जन्मना वर्ण का सिद्धान्त छोड़ देना चाहिए। पर यह बड़े आश्चर्य की बात है कि आप-ऐसे आदमी इसका टोस पालन करने की सलाह देते हैं। चूंकि बहुत-से आदमी इस विषय में आपकी सम्मति स्पष्ट रूप से नहीं जानते, इसलिये मैं आशा करता हूँ कि आप अपने सम्मानित पत्र में इस पत्र को तथा अपना उत्तर प्रकाशित कर देंगे।”

मेरी समझ में मैंने ‘वर्णाश्रम’ के विरुद्ध संवाददाता की सभी दलीलों का समय-समय पर उत्तर दे दिया है। किंतु निरसदेह पाठक भुलने होते हैं, या जो बात जिनके विषय में लिखी जाती है, वही उसे पढ़कर रह जाते हैं। उदाहरणार्थ, मैंने वर्णाश्रम तथा अद्वैत-प्रथा के भेद को कई बार बतलाया है। पहली प्रथा को मैं सुद्धिमत्ता-पूर्ण वैज्ञानिक वस्तु समझता हूँ, तथा दूसरी को घोर अशुभ और पूर्व-प्रथा का मैत्र। संभव है, अज्ञान-बरा में जो भेद देखाता हूँ, वह न हो, या जिसे वैज्ञानिक समझता हूँ, वह केवल धर्म और अंध-विश्वास हो। किंतु मैं वर्णाश्रम का विभाग

व्यवसाय के आधार पर निर्धारित मानता हूँ, और मेरी समझ में यह बड़ा उपयोगी विभाग है, पर आजसूठ जानि-संबंधी भाव मूल-भाव के बिल्कुल ही विपरीत है। बर्द्ध-दुर्द्ध का तो मेरे सामने कोई सवाल ही नहीं उठता। यह केवल कर्तव्य का प्रश्न है। मैंने यह अवश्य कहा है कि वर्ण-विभाग जन्मता है, पर मैंने यह भी कहा है कि शूद्र के लिये भी यह संभव है कि वह वैश्य बन जाय। पर वैश्य का कर्तव्य-पालन करने के लिये उसे वैश्यत्व का पट्टा नहीं चाहिए। स्वामी नारायण गुरु संस्कृत के विख्यात पंडित हैं, पर उनको अपना पांडित्य प्रकट करने के लिये ब्राह्मण कहलाने से कोई लाभ नहीं होगा। जो इस जन्म में ब्राह्मण के कर्तव्यों का पालन करता है, वह बड़ी सरलता-पूर्वक अगले जन्म में ब्राह्मण के घर पैदा होगा। पर इसी जन्म में एक वर्ण से दूसरे वर्ण में परिवर्तन से बड़ी गड़बड़ पैदा होगी। बड़ी धोखा-धड़ी चल निकलेगी। इसका प्राकृतिक परिणाम यह होगा कि वर्ण का नामोनिशान ही मिट जायगा। पर इस वस्तु को मिटाने का कोई कारण मेरी समझ में नहीं आता। भले ही इससे भौतिक महत्त्वाकांक्षा में बाधा पड़ती हो। किंतु धार्मिक उद्देश्य से रची व्यवस्था के साथ भौतिक उद्देश्य का सम्मिश्रण मैं नहीं कर सकता। मैं इसके लिये क्षमा चाहता हूँ।

मेरे संवाददाता का उदाहरण भी उचित नहीं। मैं पंचम को शूद्र इस वास्ते कहता हूँ कि मेरा विश्वास है कि भारत में कोई पंचम वर्ण था ही नहीं। पंचम का वही कार्य है, जो शूद्र

का है। अतः उसे पंचम कहने की आवश्यकता ही क्या है! मेरा तो विश्वास है कि अद्वैत-प्रथा तथा 'वर्णाश्रम' के संबंध में इतना भ्रम तथा वर्णाश्रम का विरोध और अद्वैतोद्धार का सम-येन—इन विपरीत बातों से अद्वैत-सुप्रथा के निवारण में बड़ी बाधा पहुँचती है।

यह तो स्पष्ट है कि वर्णाश्रम-विधान से 'जीव-मेद-विज्ञान' के विधान में कोई बाधा नहीं पड़ती। न तो इसकी कोई भी गुंजा-यश ही है। पर एक टंग की चीज में कुछ वर्ष या पीढ़ियों में मेद नहीं पैदा हो जाता। ब्राह्मण या अद्वैत में कोई मूल-मेद नहीं है। पर जो चाहे, वह खोजकर देख ले कि दोनो में या चतुर्वर्ण में एक विशेष मेद द्रष्टव्य है। मैं चाहता हूँ कि मेरे संवाददाता महोदय मेरे साथ मिलकर ब्राह्मण या किसी के भी ब्रह्मण के विचार का विरोध करते, उससे लोहा लेते। वर्णाश्रम में जो अवगुण आ गए हैं, उनको दूर करना चाहिए, न कि वर्णाश्रम को ही।

---



## वर्णाश्रम और अछूत-प्रथा

[ पिछले उत्तर से भी लोगों की शंका का पूरा निवारण नहीं होता । कुछ शंकाएँ रह जाती हैं । पर यह लेख उनका पूरा समाधान कर देता है ।—संपादक ]

एक संवाददाता लिखते हैं—

“वर्णाश्रम-संबंधी मेरे पत्र के उत्तर में आपने जो आलोचना की है, उसके संबंध में मुझे यही लिखना है कि मैं वर्णाश्रम और अछूत-प्रथा में भेद को भले प्रकार समझता और मानता हूँ, और यह भी स्वीकार करता हूँ कि पिछली वस्तु की हिंदू-शास्त्र में कहीं भी आज्ञा नहीं है, किंतु जैसा आप स्वयं कहते हैं, ‘कार्य-विभाग जन्मना होना चाहिए—’ ऐसी दशा में हमारे समाज में अछूत-समुदाय सदा के लिये बना रहेगा । क्या यह स्वाभाविक नहीं है कि जिनका यह कौटुंबिक तथा पुस्तैनी पेशा समझा जाता है, जो श्राद्ध लगाएँ, मुर्दा ढोएँ, या कब्र खोदें, उनको हम बहुत गंदा समझकर हिकारत की नजर से देखें । हम उनको घृणे से भी घृणा करें ! अन्य किसी भी देश में ऐसा व्यक्ति इसलिये अछूत नहीं समझा जाता कि वहाँ इस प्रकार के कार्य पुस्तैनी नहीं समझे जाते, और समाज का कोई भी व्यक्ति योग्यता

प्राप्त कर सिपाही, अध्यापक, व्यापारी, वकील, पादरी या राजनीतिज्ञ हो सकता है। इसलिये, मेरी समझ में, इस कुप्रथा की जड़ इसीलिये जमी है कि हम लोग ऐसी कुप्रथाओं को पुस्तैनी समझते हैं। और, मुझे यह भी प्रतीत होता है कि जब तक हम लोग इस पुस्तैनी कानून को मानेंगे, हमारा इस कुप्रथा से कभी छुटकारा नहीं हो सकता। यह संभव है कि रामानुज ऐसे महान् सुधारकों के प्रभाव के कारण उसकी जड़ना में कुछ कमी आ जाय, पर इस दुर्गुण को एकदम दूर करना असंभव ही है। मेरी समझ में जाति-धर्म का बंधन बिना तोड़ अद्वैत-प्रथा का अंत करने की चेष्टा वैसे ही निरर्थक है, जैसे पेड़ का सिरा काटकर उसको निमूट करने का विचार।”

यह पत्र बहुत विचार-पूर्ण है, और यदि सुधारक मार्ग न रहेंगे, तो संकटदायक पर भय कटू चारुविक्रता में परिणत हो सकता है। पर इस तर्क में एक स्पष्ट रिश्ता भी है। क्या भंगी या मोची जन्मना या धर्म के कारण अद्वैत समझा जाता है? यदि जन्मना अद्वैत समझा जाता है, तो यह बड़ी भयंकर प्रथा है, और इसका अंत करना ही चाहिए। यदि धर्म-द्वारा व्यक्ति अद्वैत होता है, तो मार्ग के विचार से यह बड़ी महत्त्व की बात है। जोधरे की स्थिति में धर्म धरनेवाला अद्वैतों जब तक धर्म करता है, अद्वैत बना रहता है, और जब उससे हटप गिनता भी चाहे, तो वह यह धरकर अद्वैत धर देगा कि

“मैं बहुत गंदा हो रहा हूँ।” पर काम समाप्त कर, स्नान कर, वस्त्र बदलकर वह सबके साथ, ऊँचे-से-ऊँचे लोगों के साथ मिलता है। इसीलिये ज्यों ही हम ‘जन्मना’ के भाव को अर्थात् बड़प्पन-छुटपन के भाव को दूर कर देते हैं, हम ‘वर्णाश्रम’ को शुद्ध कर उसे निमल बना देते हैं। ऐसी दशा में भंगी की संतान भी हेय नहीं समझी जायगी, और उसका ब्राह्मण के समान आदर होगा। अतएव दोष पुस्तैनी कानून का, बाप-दादों के कार्यों को अपनाने का नहीं, पर असमानता के अनुचित भाव का है।

मेरी समझ में वर्णाश्रम की रचना किसी संकुचित भाव से नहीं हुई थी। इसके विपरीत इसमें तो मजदूरी करनेवाले शूद्र को वही स्थान दिया गया, जो विद्वान् ब्राह्मण को। इसका ध्येय था गुण का विस्तार, दुर्गुण का नाश तथा मानवी सांसारिक महत्त्वाकांक्षा को स्थायी आध्यात्मिक महत्त्वाकांक्षा में परिणत करना। ब्राह्मण और शूद्र का—दोनों का ही लक्ष्य था संसार की झूठी माया-ममता से मुँह मोड़कर मोक्ष प्राप्त करना। समय पाकर यह प्रथा कुप्रथा केवल निम्न रीति-रिवाजों में, फँस गई, और इसका कार्य किसी को ऊँच, किसी को नीच बनाना रह गया। यह बात स्वीकार कर मैं इस वस्तु की दुर्बलता नहीं बतला रहा हूँ, पर यह तो मानव-स्वभावं की ही दुर्बलता है, जिसमें कभी उच्च ‘स्व’ प्रधान हो जाता है, कभी हेय ‘स्व’। वर्तमान सुधारक का कार्य अद्वैतपन के शाप को दूर कर वर्णाश्रम को उसके पूर्व

में स्थापित करना है। इस सुधार के बाद परिष्कृत वर्णाश्रम अधिक दिन चलेगा या नहीं, यह परीक्षा की बात है। यह बात उस नए ब्राह्मण-वर्ग के हाथ में है, जिसकी नई रचना हो रही है, जो मनसा वाचा कर्मणा देश-सेवा तथा धर्म-सेवा में जुट रहा है। यदि वे निष्काम तथा दैवी भाव से प्रेरित होकर कार्य करेंगे, तो हिंदू-धर्म पर कल्याण होगा, अन्यथा अकल्याण होगा, और अनुचित दायों में पड़कर, संसार के अनेक धर्मों के समान, हिंदू-धर्म का भी नाश हो जायगा। किंतु मेरा दृढ़ विश्वास है कि हिंदू-धर्म इतना शक्तिशाली है कि समय-समय पर उसमें जो अशुभित्तियाँ समाविष्ट हो जाती हैं, उसे दूर कर दे। मेरी समझ में उसरी यह क्षमता अभी तक वर्तमान है।

---

## बंगाल के अछूत

[ अछूतों में भी अछूत होने हैं। यह एक विषम समस्या है कि इनका सुधार कैसे हो। गांधीजी के पास इमकी अचूक धारणा है।—संपादक ]

एक बंगाड़ी संवाददाता पूछते हैं—

१—“बंगाल में अछूत कुँए से पानी नहीं खींचने पाते, न तो वे उस कमरे में जाने पाते हैं, जिसमें पीने का पानी रखा रहता है। इस दुर्गुण को दूर करने का क्या उपाय है? यदि हम उनके लिये अलग कुँए खुदवाएँ या अलग स्कूल खोलें, तो इस दुर्गुण को स्वीकार ही कर लेना होगा।

२—“बंगाल के अछूतों की मनोवृत्ति में एक विचित्रता यह है कि वे यह तो चाहते हैं कि ऊँचे वर्णवाले उनके हाथ का छुआ पानी पीएँ, पर वे स्वयं अपने से नीचे वर्ण या समुदाय-वालों का छुआ पानी नहीं पीते। उनकी इस भूल का सुधार कैसे कराया जाय।

३—“बंगाल की हिंदू-महासभा तथा साधारण बंगाली हिंदू जनता लोगों से कहती फिरती है कि आप ( गांधीजी ) अछूतों के हाथ का छुआ पानी पीना उचित नहीं समझते।”

मेरा उत्तर है—

१—इस दुर्गुण को दूर करने का एक उपाय यह है कि हम उनके हाथ से पानी पीना शुरू करें। मेरी समझ में उनके लिये अन्न कुआँ खोदने से यह सुराई स्थायी नहीं हो जायगी। अछूत-प्रथा के प्रभाव को मिटाने में काफ़ी समय लगेगा। इस मय से कि दूसरे उनको अपने घुरें पर चढ़ने न देंगे, उनके लिये अन्न घुरें बनाकर उनकी सहायता न करना अनुचित होगा। मेरा तो विश्वास है कि अगर हम अछूतों के लिये अच्छे घुरें बनवाएँगे, तो बहुत-से लोग उनका प्रयोग करेंगे। अछूतों में तभी सुधार होगा, जब सबको का उनके प्रति म बढ़ेगा, तथा सबका उनके प्रति अपना कर्तव्य पहचाने जायँगे।

२—जब 'उच्च वर्ग' कहलानेवाले हिंदू अछूतों को दृष्टि पर देंगे, तो अछूतों में अछूत-प्रथा का भी स्वभाव अंत हो जायगा। हमारा धर्म अछूतों में सबसे नीची श्रेणी प्रारंभ होना चाहिए।

३—मैं नहीं जानता कि बंगाल की हिंदू-महासभा मेरे से क्या कहती है। मेरी स्थिति स्पष्ट है। मैं अछूतों को बराबर समझता हूँ। मैं हिंदू हूँ। हम सबके हाथ का सुआ पीने है, अछूतों के हाथ का पानी पीने में कोई फ़रक नहीं होगा।

## कठिन समस्या

[ माझस तथा चरून की समस्या अंध तथा सुदूर दक्षिण में बड़ी विषम है । इनका हीम निरमल नही दिवार्द परता । बाजार होकर अमाझस वगं उलंजिग होगा जा रहा है । पर गांधी जी माझस्य का प्रतिरान, माझस-समुदाय की रचा तथा माझसों की महण का गंधारन भी चाहते हैं, चीर इनकी अन्वी विधि भी उनके पात है ।—संवादक ]

आंध से एक विप्र अपनी कठिनाइयों को इन शब्दों में व्यक्त करते हैं—

“...बंगाल के एक गदाशय के पत्र के उत्तर में आपने लिखा है कि चूंकि हम शर्दों के हाथ का पानी पीते हैं, इसलिये हमें अशुतों के हाथ का पानी पीने में कोई एतराब नही होना चाहिए । ‘हम’ से आपका तात्पर्य ‘सबर्ण हिंदुओं’ से है । किंतु क्या आपको यह माझम है कि आंध तथा भारत के सुदूर दक्षिण भाग में माझण अमाझणों ( तीन में से किसी भी जाति के लोगों ) के हाथ का पानी ही नहीं पीते, प्रत्युत घोर सनातनी अमाझणों को छूते तक नहीं ।

“आपने प्रायः कहा है कि उच्च वर्णों का बइप्पन का स्रु माव मिटाने के लिये अंतर्भोज-सहभोज अनिवार्य नहीं है ।

आपने इसी संबंध में एक बार महामना मालवीयजी का उदाहरण देकर बतलाया था कि यद्यपि आप लोग एक दूसरे का पर्याप्त आदर करते हैं, फिर भी यदि मालवीयजी आपके हाथ का छूआ पानी तरु नहीं पीते, तो इससे आपके प्रति कोई उपेक्षा नहीं प्रकट होती। उपेक्षा तो नहीं प्रकट होनी, यह मैं स्वीकार कर सकता हूँ। किंतु क्या आपको यह मात्स्य है कि हमारी तरफ़ के ब्राह्मण का भोजन यदि सौ गज की दूरी से भी अब्राह्मण देख ले, तो वह भोजन त्याग देगा। छूने की बात तो दूर रही। मैं आपको यह भी बतला दूँ कि यदि सड़क पर कोई अब्राह्मण या शूद्र किसी ब्राह्मण के भोजन के समय बोट दे, तो क्रुद्ध होकर वह भोजन छोड़ देगा। उस दिन वह भोजन ही नहीं करेगा। यदि इस दशा को घोर उपेक्षा न कहा जाय, तो इसका क्या अर्थ लगाया जा सकता है। क्या ब्राह्मणों ने अपने को अत्यधिक उच्च नहीं समझ लिया है! क्या आर शूद्रा पर इस विषय में अपना विचार प्रकट करेंगे। मैं स्वयं एक ब्राह्मण युवक हूँ, इसलिये मुझे इन बातों का निजी तौर पर ज्ञान है।”

अद्वैत-प्रथा शान-मुलपात्र पिशाच है। यह एक घोर नैतिक तथा धार्मिक प्रश्न है। मेरे लिये अंतर्भोज सामाजिक प्रश्न है। इस अद्वैत-प्रथा के भीतर अबश्य दूसरों के लिये एक घृणा-भाव जिया हुआ है। समाज की जीवनी शक्ति में घुन की तरह उगडर यह सत्पानारा कर रही है। यह प्रथा मनुष्य के



अभिप्रेत को ही धरती पर करना है। इसमें तथा अंतर्गत-संज्ञान का कोई संकल्प नहीं है। और, मैं समान-सुधारकों से आग्रह करूँगा कि वे इन दोनों चीजों को मिटाने का महत्त्व न करें। यदि वे ऐसा करेंगे, तो 'अष्टम तथा अस्तित्व लोगों' के उत्थार के पवित्र कार्य को भयावह कर देंगे। ब्राह्मण संवाददाता का कर्तव्य गारुडिक है। इससे पता चलता है कि जिस हद तक यह धृष्ट पुरुष सक्त है। प्रार्थन दुग के सुनान ब्राह्मण शब्द विनयना, शार्तनना, पांडित्य, विद्या, त्याग, विनयना, सादस, धनारीयना तथा सत्य-ज्ञान के त्रिये पर्यायवाची होना चाहिए था। पर आज यह पवित्र भूमि ब्राह्मण-अब्राह्मण के भेद से विनष्ट हो रही है। अनेक-दशाओं में ब्राह्मण का यह बहूपन चला गया है, जो उसकी सेवा के कारण जन्म-सिद्ध अधिकार हो गया था, पर जिसका यह कभी दावा नहीं करता था। आज जिस यस्तु का उसे अधिकार नहीं रह गया है, उसी पर वह हताश होकर अपना स्वत्व प्रकट कर रहा है, और इसीलिये दक्षिण भारत के कुछ भागों में अब्राह्मण उससे ईर्ष्या करने लगे हैं। पर हिंदू-धर्म तथा देश के सौभाग्य से इस संवाददाता-ऐसे भी ब्राह्मण मौजूद हैं, जो हृदय-पूर्वक इस अनुचित स्वत्व का निरादर कर रहे हैं, इसकी माँग का विरोध कर रहे हैं, और अपनी परंपरागत महत्ता के अनुसार अब्राह्मणों की निस्स्वार्थ सेवा कर रहे हैं। हर जगह ब्राह्मण ही आगे बढ़कर अद्वैत-प्रथा का विरोध कर रहे हैं।

आंध्र-संवाददाता ने जिस प्रकार के ब्राह्मणों का उल्लेख किया है, उनसे मैं आग्रह-पूर्वक अनुरोध करूँगा कि समय की गति पहचानें, और बड़प्पन के झूठे भाव त्याग दें, तथा अत्राक्षण को देखने-मात्र से जो पाप लगने का अंध-विश्वास उन्हें हो गया है, या उसके वचन-मात्र से उन्हें भोजन खराब हो जाने का जो भ्रम हो जाता है, उसका त्याग कर दें। ब्राह्मणों ने ही संसार को यह उपदेश दिया था कि वे हर एक वस्तु को ब्रह्ममय देखें। ऐसी दशा में कोई बाहरी वस्तु उन्हें अपवित्र नहीं कर सकती। अपवित्रता तो भीतरी वस्तु है। ब्राह्मणों को चाहिए कि वे पुनः यह संदेश दें कि हमारे मन के दुर्भाव ही वास्तविक अदृष्ट तथा अदर्शनीय हैं। उन्हीं ने संसार को यह सिखलाया था—

“मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः।”

आंध्र-संवाददाता ने जो कुछ कहा है, उससे अत्राक्षणों को उत्तेजित नहीं हो जाना चाहिए। उसकी ओर से देशभक्त ब्राह्मण ही इस संवाददाता के समान उदाई उड़ लेंगे। आजकल अत्राक्षणों में कुछ ब्राह्मणों के कुचाळ के कारण ब्राह्मणों के प्रति जो दुर्भाव उत्पन्न हो गया है, वह अनुचित है। उनमें इतनी शास्त्रीयता होती चाहिए कि जो लोग स्वयं अपने प्रति दुराचरण पर रहे हैं, उनसे सदाचरण की आशा करें। यदि मेरी बण्ड से निश्चल जानेवाला अपने को अपवित्र समझता है, या यह समझता है कि बंद मेरी वायु के स्पर्श से दूषित हो गया है, तो

मुझे अपमानित नहीं होना चाहिए। हमारे लिये इतना ही पर्याप्त है कि उसके फटने से रास्ता न छोड़ दें या इस डर से कि मेरी याणी उसे दूषित कर देगी, बोलना न बंद कर दें। जिस प्रकार अपने प्रति उपेक्षा-भाव मुझे पसंद नहीं है, उसी प्रकार उसके प्रति भी उपेक्षा-भाव दिखलाना मेरे लिये अनुचित है। हाँ, उसके अंध-विश्वास तथा अज्ञान के प्रति हमारे हृदय में दया-भाव होना उचित है। यदि अब्राहमण में लेश-मात्र भी असंयमशीलता रह जायगी, तो उसका उद्देश्य सफल न होगा— उसका काम पूरा न होगा। किसी भी दशा में उसे सीमा से आगे बढ़कर अब्राहमण को परेशान नहीं करना चाहिए। हिंदू-धर्म तथा मनुष्यता का सबसे सुंदर फूल अब्राहमण है। मैं ऐसी कोई बात नहीं होने देना चाहता, जिससे वह मुर्झा जाय। यह मैं जानता हूँ कि वह अपनी रक्षा कर सकता है। इसके पहले वह बहुत-से तूफानों का सामना और अपनी रक्षा कर चुका है। अब्राहमणों के सिर यह कलंक नहीं होना चाहिए कि उन्होंने फूल की सुगंधि तथा ज्योति छीनने की चेष्टा की। अब्राहमणों का नाश कर अब्राहमणों का उदय मुझे अभीष्ट नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वे उस उच्च पद को प्राप्त करें, जिसे अब्राहमण पहले प्राप्त कर चुके थे। अब्राहमण जन्मना होते हैं, अब्राहमणत्व नहीं। हममें से निम्न-से-निम्न भी इस गुण का प्रतिपादन कर सकता है।

## उचित प्रश्न

[ मद्रास से एक व्यक्ति ने गांधीजी के पाम, हरिजनों के संबंध में, उनकी समस्या के संबंध में, बड़े बुद्धिमत्ता-पूर्ण प्रश्न भेजे थे। गांधीजी का उत्तर भी बड़ा मार्मिक तथा पठनीय है। इस प्रश्नोत्तर से संपूर्ण प्रथा का—आदि से अंत तक—समीक्षण हो जाता है। प्रश्न कोई नए नहीं हैं। गांधीजी उनका बार-बार उत्तर दे चुके हैं। पर पूछने का ढंग नया—उत्तर का ढंग भी नया है।—संवादक ]

कुछ समय पूर्व अटून-प्रथा के संबंध में बंगाल से प्राप्त एक विचार-पूर्ण पत्र मैंने प्रकाशित किया था। इस दिशा में लेखक अभी तक परिश्रम-पूर्वक अनुसंधान कर रहा है। इस समय मेरे पास मद्रास से एक प्रश्नावली भेजी गई है, जिससे लेखक की अनुसंधान-वृत्ति का पता चलता है। यह बड़ा शुभ लक्षण है कि सनातनी हिंदू इस कंट्रार्कीर्ण प्रश्न पर गवेषणा कर रहे हैं। उनके हृदय में जिज्ञासा तो उत्पन्न हो गई है। प्रश्नकर्ता की उत्सुकता में तो कोई संदेह हो ही नहीं सकता। किंतु ये प्रश्न उसी ढंग के हैं, जैसा कि अपनी यात्रा के सिलसिले में मुझसे बार-बार पूछा गया है। इसलिये इस आशा से कि त्यों से प्रश्नकर्ता का पत्र प्रकाश हो जाय, और उसकी उत्तर-प्रदान करयकर्ताओं और सत्य मार्ग के अवलंबियों

की विज्ञाना शक्ति ही नारा, मैं भीतर-द्वारा द्वारा उत्प्रेषित मन-  
रत्नजो को सुझाने की चेष्टा करना है—

( १ ) अछूत प्रकाश को निशाने के लिये क्या व्यापारिक  
कार्य करना चाहिए ?

अ—ऐसे सभी शूद्र, मार्गविक फलकान्त, मंदिर,  
सादर, पुष्ट आदि का मार्ग अछूतों के लिये मातृ देना, जहाँ  
अप्राप्तन का जाना निमित्त न हो, और जो किसी एक छान  
समुदाय का जाना के लिये ही न निर्मित हों ।

ब—सर्व हिंदुओं को चाहिए कि अछूतों की संतानों के  
लिये स्कूल, पुस्तकालय, वृष्ट सुदकार, और उनकी हर प्रकार से  
आरक्षक निर्मा सेवा करें । उदारदर्शनार्थ मादक द्रव्य-निषेध  
तथा स्वास्थ्य-सुधार, सहाई आदि का कार्य करना और उनकी  
औषधि आदि से सहायता करना ।

( २ ) जिस समय अछूत-वाधा एकदम उठ जायगी, अछूतों  
का धार्मिक पद-महत्त्व क्या रहेगा ?

धार्मिक महत्त्व बड़ी होगी, जो अन्य सर्व हिंदुओं का है ।  
इसलिये उन्हें अनिश्चय न कहकर शूद्र कहा जायगा ।

( ३ ) अछूत-प्रथा के मिट जाने पर अछूतों तथा उच्च वर्ण  
के सनातनी हिंदुओं का क्या संबंध रहेगा ?

जैसा अब्राहमण हिंदुओं के साथ ।

( ४ ) क्या आप सभी जातियों का सम्मिश्रण चाहते हैं ?  
मैं सभी जातियों को मिटाकर केवल चार भेद ही रहने दूँगा ।

(५) अङ्गन अपनी उपासना के लिये स्वयं मंदिर क्यों नहीं बनाते ? वर्तमान मंदिरों में पैर अड़ाने से क्या लाभ ?

उच्च वर्णवालों ने उनको इस योग्य नहीं छोड़ा है कि वे ऐसा कर सकें। यह सोचना कि वे हमारे मंदिरों में दस्तंदाजी करेंगे, इस प्रश्न को गलत ढंग से सोचना है। हम सबकों को मंदिरों में उन्हें भी प्रवेशाधिकार देकर सबके लिये मंदिरों का द्वार खोल देना चाहिए।

(६) क्या आप सांप्रदायिक मताधिकार के समर्थक हैं ? क्या आपके मत में शासन के सभी विभागों में अङ्गनों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए ?

ऐसी बात नहीं है। किंतु यदि अङ्गनों के लिये जान-बूझकर मार्ग बंद कर दिया जाता है, और प्रभावशाली समुदाय उन्हें प्रवेश नहीं देता, तो इस अनुचित कार्य से स्वराज्य का मार्ग ही बंद हो जायगा। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व में नहीं पसंद करता,

पता नहीं है। धर्म का अर्थ यत्न लगाया जा रहा है। हमें अपनी संपूर्ण प्रणाली को दुहराकर उसे धर्म-संबंधी नवीनतम शोध की श्रेणी में लाना पड़ेगा।

(८) क्या आपको इस बात में विश्वास नहीं है कि भारत कर्म-भूमि है? इस संसार में जिसका जिस दशा में जन्म होता है, वह उसके पूर्व जन्म के संस्कार तथा कर्म के अनुसार ही होता है?

किंतु मैं इस बात में उस दृष्टि से विश्वास नहीं करता, जिस दृष्टि से संवाददाता पूछ रहा है। जो जैसा बोएगा, वैसा काटेगा। किंतु भारत प्रधानतः कर्म-भूमि है, भोग-भूमि नहीं।

(९) क्या अद्वैतों की शिक्षा तथा समाज-सुधार हो जाने के बाद तब अद्वैतोद्धार होना उचित नहीं है? क्या ये बातें पहले नहीं जरूरी हैं?

किंतु बिना छुआदूत मिटाए उनमें शिक्षा और सुधार हो ही नहीं सकता।

(१०) क्या यह उचित तथा स्वाभाविक नहीं है कि मांसाहारी निरामिय से तथा निरामिय मांसाहारी से और अ-मदिरा-सेवी मदिरा-सेवी से दूर तथा पृथक् रहने की चेष्टा करे?

यह कोई आवश्यक बात नहीं है। मदिरा-निषेध का समर्थन अपना यह कर्तव्य समझेगा कि मदिरा-सेवी के बीच में रहकर उसके दुर्गुण को दूर करे। यही बात निरामिय के लिये भी कही जा सकती है।

( ११ ) क्या यह सत्य नहीं है कि एक शुद्ध व्यक्ति ( शुद्ध इस विचार से कि वह निरामिष-भोजी तथा मांसहारी का सेवन करनेवाला नहीं है ) किसी मदिरा-सेवी तथा मांसाहारी का साथ करने से अशुद्ध ( मांसाहार तथा मदिरा-सेवन के कारण ) हो जाता है ?

जो आदमी अज्ञान-वश मांस-मदिरा का सेवन करता है, वह अपवित्र नहीं ब्रह्मा जा सकता, पर दुराचारी के साथ मेल-जोल से सदाचारी भी दुराचारी हो सकता है, यह मैं मान सकता हूँ। किंतु मेरे कार्य-क्रम में किसी को अशुद्धों के साथ 'मिलाने' या 'सहचार' कराने की बात नहीं है।

( १२ ) क्या यह सत्य नहीं है कि उपरिलिखित कारण से घोर सनातनी ब्राह्मण अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिये केवल अशुद्धों से ही नहीं, किंतु अन्य जातियों से भी घृणक् रहकर, अपना एक अलग समुदाय बनाकर ही रहते हैं ?

मेरी समझ में ऐसी आध्यात्मिकता का कोई महत्त्व नहीं है, जिसकी रक्षा के लिये उसे ताले में बंद कर रखना पड़े। इसके अलावा वह दिन चले गए, जब लोग स्थायी एकांतवास द्वारा अपने गुणों की रक्षा किया करते थे।

( १३ ) यदि आप अशुद्ध-प्रथा को मिटाने की सलाह देते हैं, तो क्या इसका यह अर्थ नहीं है कि अच्छा या बुरा, जैसा भी हो, आप भारत के वर्णाश्रम-धर्म को ही अव्यवस्थित करना चाहते हैं ?



एक सुधार का प्रतिपादन कर मैं किसी धर्म या व्यक्ति के कार्य में किस प्रकार हस्तक्षेप करता हूँ, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। हस्तक्षेप तो तब होता, जब मैं अछूतों को यह सलाह देता कि छूतों से अवदंस्ती स्पृशास्पृश्य का भाव उठवा दो।

( १४ ) घोर सनातनी ब्राह्मणों के प्रति क्या यह हिंसा नहीं है कि आप बिना उन्हें इस बात का तथ्य समझाए, और उनके हृदय में विश्वास जमाए उनके धर्म में हस्तक्षेप करते हैं ?

हिंसा का दोषी तो मैं हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिना उनके हृदय में विश्वास जमाए मैं धर्म में हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहता।

( १५ ) अछूतों की बात तो जाने दीजिए। पर क्या ब्राह्मण अपने ही समाज के पृथक् वर्गों के हाथ का भोजन न कर, शादी-व्याह न कर 'अछूतपन' के दोषी नहीं हैं ? वे तो दूसरों को छूते भी नहीं ?

यदि ब्राह्मण दूसरी जातिवालों को नहीं छूते, तो वे अछूतपन के पाप के भागी हैं।

( १६ ) ब्राह्मण राजनीति से अधिक धर्म की चिंता तथा परवा करता है। ऐसी दशा में यदि अहिंसात्मक असहयोग का मर्म पूरी तरह समझनेवाला अछूत सत्याग्रह करता है, तो क्या वह सत्याग्रह हत्याग्रह में नहीं परिणत हो सकता ?

यदि संवाददाता का तात्पर्य वाइसरोय-सत्याग्रह से है, तो वहाँ

तो अद्वैतों ने अद्भुत आत्मसंयम दिखलाया है। प्रश्न के दूसरे भाग से तो ब्राह्मणों की ओर से हिंसा की संभावना प्रतीत होनी है। यदि वे हिंसा का प्रथम लें, तो मुझे दुःख होगा। मेरी सम्मति में, ऐसी दशा में, वे अपना धर्म-भाव नहीं, किंतु धर्म के प्रति अपनी उपेक्षा तथा अज्ञान ही व्यक्त करेंगे।

(१७) क्या आपका यह कहना है कि संसार में सभी बराबर हो जायें, और जाति, धर्म, वर्ण तथा व्यवसाय के अनुसार कोई भेद न रह जाय ?

मानवता के मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए यही विधान उचित प्रतीत होता है। यह स्पष्ट देखने में आता है कि जाति-धर्म-वर्ण आदि का भेद रहने पर भी मनुष्यों में कुछ बानें समान रहती हैं—जैसे भूख, प्यास इत्यादि।

(१८) धर्म बंधन समाप्त कर संसार की माया-ममता से परे पहुँचनेवाली महान् आत्माओं ने जिस महान् दार्शनिक सत्य को अपनाया है, क्या वह साधारण गृहस्थ को जिये भी उपयुक्त होगा, जिसके लिये धर्म-बंधन को त्यागने तथा जन्म-मरण से मुक्ति प्राप्त करने के लिये ऋषि-मुनि एक निरिच्छ विधान बना गए हैं, तथा जिस पर चलने से ही उदात्त ब्रह्मदान हो सकता है ?

जन्मना मिली व्यक्ति को अज्ञान नहीं समाप्त हो सकता है। यह एक शीघ्र-मादी शक्ति का प्रमाण है, जिसके भीतर कोई बहुत बड़ा दार्शनिक सत्य नहीं मिलता है। यह शक्ति सामान्य सत्य है

कि केवल घोर सनातनी हिंदुओं को छोड़कर संसार के हर कोने में इसका मान तथा पालन होता है। मैं तो इस बात में विश्वास ही नहीं रखता कि ऋषियों ने छुआद्वैत की ऐसी शिक्षा दी थी, जिस प्रकार हम उसका पालन करते हैं।

---

## सहस्रमुखी राजस

[ किन्तु प्रश्नों की लड़ी समाम नहीं हुई। लोगों की कुछ धार्मिक, कुछ शारीरिक, कुछ वैज्ञानिक तथा कुछ सामाजिक शंकाएँ बनी ही रही। फलतः गार्धारी पुनः शंका-समाधान करने लगे।—संगठक ]

दक्षिण में सुआट्टन नवमे अग्रिम भयकर रूप में प्रचलित है। सहस्र मुख वाले राक्षस के समान यह प्रया अर्थात् उठरीन्नी जीव से समाज को ढस रहा है। एक स्थान से एक संसादनाता छिपने हैं—

“सनातनियों को ऐसा भय हो रहा है कि सुआट्टन-भेद-भाय को मिटाने के प्रचारक इस ममरपा और उमरी विपन्नताओं को ऐसी सीमा तक ले जाने की चेष्टा करेंगे, जिससे घबरा मचेंगे, और अनावश्यक झगड़ा पैदा होगा। मैं आपसे नीचे कुछ प्रश्न कर रहा हूँ, जिससे यह माझम हो जाय कि आप किस दर्जे तक इस सुधार-कार्य को ले जाना चाहते हैं, और आपकी दृष्टि में इस कार्य की क्या व्याख्या है।”

मैं नहीं समझता कि इस प्रया में सुधार कराने का प्रचारकों ने अभी तक कोई ऐसा काम किया है, जिससे कोई ऐसा झगड़ा पैदा हो जाय। पर मैं इस प्रश्न का उत्तर दे देना चाहता हूँ।

ऐसे सज्जनों के मन में भी, जो इस आंदोलन का समर्थन करना चाहते हैं, पर यगों से जमे हुए अंध-विश्वासों के कारण इसमें योग नहीं दे सकते, ऐसी शंकाएँ उठ सकती हैं। इसलिये मैं इस प्रश्नावली का उत्तर देना ही उचित समझता हूँ।

संवाददाना का पहला प्रश्न है—

क्या आपकी सम्मति में वर्णाश्रम-धर्म के सिद्धांत भारतीय राष्ट्रीयता की रचना में असंगत हैं ?

पहले तो वर्णाश्रम और आजरूढ़ की जाति-पॉलि तथा हुआद्वैत का कोई संबंध नहीं है। दूसरे, जहाँ तक वर्णाश्रम का मेरा ज्ञान है, भारतीय राष्ट्रीयता की प्रगति में उससे कोई असंगति नहीं होती। इसके विपरीत, यदि वर्णाश्रम की मेरी परिभाषा सत्य है, तो उससे वास्तविक राष्ट्रीय भावना का विकास ही होगा।

दूसरा प्रश्न है—

क्या आपकी सम्मति में स्पर्श तथा दर्शन का दोष वैदिक काल से ही माना जाता है ?

यद्यपि इस विषय में मुझे निजी तथा त्रिलकुल ठीक ज्ञान नहीं है, फिर भी मुझे वेदों की पवित्रता में पूरा विश्वास है। इसीलिये मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं होता कि वेदों में ऐसे किसी दोष की कोई आज्ञा नहीं है। किंतु इस विषय में मुझसे कहीं अधिक अधिकार-पूर्वक श्रेयुत चिंतामणि विनायक वैद्य और पंडित सातबलकेर बोल सकते हैं। फिर भी मैं यह कह देना चाहता हूँ कि वैदिक काल से ही कोई वस्तु क्यों न

चली आ रही हो, पर यदि वह नैतिकता की दृष्टि से कलुषित है, तो उसे यह सोचकर कि यह वैदिक मूल-भाव के ही नहीं, कर्तव्य-शास्त्र के मूल-भाव के विपरीत होने के ही कारण त्याज्य है।

अन्य चार प्रश्नों को संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है—  
क्या आपको यह नहीं मायूम है कि आर्जुन-शक्ति के विधान के ज्ञान पर ही 'कर्मकांड' का सिद्धान्त निर्भर करता है। इसीलिये स्पर्श तथा दर्शन-दोष, जन्मना अपवित्रता तथा मृत्युना अपवित्रता का दोष मन की शुद्धि के विचार से माना जाना है।

जहाँ तक इनका इस दृष्टि से संबंध है, उनका कुछ सापेक्षिक मूल्य भी है। पर वेद, शास्त्र, पुराण संसार के अन्य सभी धर्मों के समान स्पष्ट रूप से यह घोषित करते हैं कि मन की शुद्धि आंतरिक विषय है। जितना मन का मन पर प्रभाव पड़ता है, उतना शरीर का शरीर पर नहीं। यदि केवल बाहरी शुद्धि की क्रियाएँ की जायँ, तो उससे आत्मा का हनन होता है। बाहरी शुद्धि की क्रियाओं का परिणाम यह होता है कि आदमी अपने को दूसरों से बड़ा समझने लगता है, दूसरों के साथ पशु का-सा व्यवहार करता है, और इस प्रकार उसकी आत्मा का हनन होता है।

सातवाँ प्रश्न है—

क्या आपसी सम्मति में जो वस्तु, जो नियम जीवन्मुक्तों के लिये लागू होता है, वह साधारण पुरुषों के लिये भी दिनकर हो सकता है ?

मेरी समझ में, संसार में रहनेवाला, नर-देह-धारी चाहे कितनी भी उच्च आत्मा क्यों न हो, उसका कार्य तथा उसके लिये लोगों के प्रति व्यवहार-नियम ऐसा विशिष्ट होगा कि दूसरा यदि उसे अपनाएगा, तो वह घातक सिद्ध होगा। छुआ-छूत का भूत आत्मा के विकास के लिये हानिकर सिद्ध हो चुका है। यह नियम हिंदू-धर्म के श्रेष्ठतम तथा उदार सिद्धांतों के विपरीत है।

तब प्रश्न होता है—

क्या आप वर्ण-धर्म में विश्वास नहीं रखते ?

मैं इस विषय में अपना मत प्रकट कर चुका हूँ। मेरी सम्मति में वर्ण-धर्म में छुआछूत तथा बड़प्पन-छुटाई को कोई स्थान नहीं है।

फिर प्रश्न है—“छुआछूत का किस समय ध्यान नहीं रखना चाहिए, यह निम्न-लिखित श्लोक से प्रकट होता है—

कल्याणे तीर्थयात्रायां राष्ट्रकोपे च संभ्रमे ;

देवोत्सवे च दारिद्र्ये सृष्टिदोषो न विद्यते ।

( अण्डे अवसर पर, तीर्थ-यात्रा में, राजनीतिक आंदोलन में, भय के अवसर पर, देवतों के उत्सवों पर तथा दरिद्रता में स्पर्श-स्पर्श का दोष नहीं रहता । )

इन विशेष अवसरों की आज्ञाओं से ही मेरा सिद्धांत प्रतिपादित है। क्या आप इस अधिकार-पूर्ण श्लोक का समुचित धर सीमा का निर्धारण कर देंगे ?

जिस बुद्धिमान् ने इस श्लोक को बनाया है, उसने विशेष अवसरों की इतनी लंबी सूची दी है कि आदमी के जीवन में कभी ऐसा अवसर आ ही नहीं सकता, जब इनमें से कोई बात न हो ! अटून-प्रथा के समर्थकों से मैं पूछता हूँ कि कोई ऐसा अवसर बनलाएँ, जब व्यक्ति सुखी-दुखी, मयान्वित, हर्षोत्फुल्ल तथा दरिद्र-व्यथादि में से किसी एक की दशा में न रहता हो । फिर भी संशयदाना को पना नहीं कि उन लोगों पर विचार कितना शून्य तथा दरिद्रता-पूर्ण है, जो अटून-प्रथा का समर्थन केवट्ट इसीलिये करते हैं कि यह परंपरा में चली आ रही है । अभी तक मुझे तो अरपदर्द, अटून, अटूननाय व्यक्ति की समझ में आने लगता कोई व्याख्या पढ़ने-देखने को नहीं मिली ।

अंतिम प्रश्न है—

राजनीति को आध्यात्मिक रूप प्रदान करने की दृष्टि में आप किस सीमा तक इस प्रथा को गिठाना चाहते हैं ?

हमारी तो कोई सीमा ही नहीं है । राजनीति के आध्यात्मिक-करण का प्रारंभ हमी से होता है नि. आजकल अटून प्रथा तीन प्रकार चलेगान है, उसका समूह उभोदन कर दिया जाय । जन्मना किसी को अटून मानना बही गठिन बात है, तथा मानसी रचनाय को धार्मिक वृत्ति के निन्दे एक वृत्ति सिद्धांत है ।





नम्रता-पूर्वक सूचिन फर्क कि अटून पहले त्पार्थीन तपा सुखी थे । पंचमों का भूत तपा वनमान इतिहास देखकर मैं उनकी आत्मा की सराहना नहीं कर सकता । उसने उन्हें कहीं का न छोड़ा । शिक्षा कही जानेवाली वस्तु तपा सरकारी ओहदों के दुकड़ों की प्यास ने उन्हें और भी दुर्गति में डाल रक्खा है । जो भी व्यक्ति शारीरिक परिश्रम त्यागकर नौकरी-चाकरी या ओहदे पर आता है, वह और भी बुरी दशा को प्राप्त करना है । हम ब्राह्मणों का यही दुःखदायी अनुभव है । मुझे वह दिन याद है, जब पंचमों को बुद्धुंब का एक अग समझा जाता था । प्रतिमास उनके भोजन-आजन का प्रबंध किया जाता था । पर अब वे दिन चले गए । अधिकांश अटून या तो विदेश जाकर युलामी कर रहे हैं, या क्रीज में १५) रुपए माहवार के शाही वेतन पर नौकरी कर रहे हैं । मुझे भय है कि यदि आप उनका ऐसा उद्धार करना चाहते हैं, तो वह सफल न हो सकेगा । निजी तौर पर मैं यह महसूस करता हूँ कि उनका सामाजिक सुधार करना चाहिए, पर ऐसा तो एक दिन में जादू से नहीं हो सकता । उनकी शिक्षा के लिये करोड़ों रुपया खर्च करना होगा । उनकी आर्थिक दुर्दशा सुधारने और सम्भार पर लाने के लिये करोड़ों रुपया खर्च करना होगा । सदियों से जीव-हत्या तपा गो-मांस-भोजन, मदिरा-सेवन की लत को सुधारना होगा । इन्हीं तीन बातों ने प्रधानतः उन्हें समाज का एक बहिष्कृत अंग बना दिया । वे प्राम के एक कोने में अलग रहने के लिये

छोड़ दिए गए। यदि ऐसा न होगा, और केवल दूसरे वर्गों से यह कहा जायगा कि वे हरिजनों को गले से लगावें, तो इससे समाज की मर्यादा भंग होगी, और मैं नहीं समझता कि आप ऐसा करना चाहते हैं।”

मर्यादा तो भंग होती है अद्वैत को न छूने में। मदिरा-सेवन, गो-मांस-भक्षण तथा त्याज्य भोजन के भक्षण से क्या होता है? वह निस्संदेह बुरा काम करता है, पर यह काम उतना बुरा नहीं है, जितना अधिक परिश्रम तथा गुप्त पाप करना। जैसे समाज किसी घोर पापी को अद्वैत नहीं समझता, इसी प्रकार वह भी अद्वैत नहीं समझा जा सकता। पापियों से घृणा नहीं करना चाहिए। उन पर दया करना चाहिए। उनकी सहायता करना चाहिए कि वे पाप से मुक्त हो जायें। हमें अपनी अहिंसा का गर्व है, पर जब तक हिंदुओं में छुआद्वैत है, हम अपने को अहिंसक नहीं कह सकते। अद्वैतों में जिन दुर्गुणों की लेखक शिकायत करता है, उनकी जिम्मेदारी हमारे सिर है। हम उनके सुधार के लिये क्या कर रहे थे? अपने परिवार के किसी व्यक्ति के सुधार के लिये हम कितनी बड़ी संपत्ति लगा देते हैं! क्या अद्वैत हिंदू-परिवार के एक अंग—व्यक्ति—नहीं हैं। हिंदू-धर्म की तो शिक्षा है कि विश्व-मात्र को, मनुष्य-मात्र को अविभक्त कुटुंब समझो, और संसार में हर एक परस्पर के दोष—पाप—का जिम्मेदार और भागी होता है। यदि हम इस महान् सिद्धांत को व्यापक रूप में न स्वीकार कर सकें,

ना कम-से-कम हिटू होने के नाते अट्टनों को तो अना समझे ।

और, गंदा भोजन करना या गंदा विचार धारण करना, दो में से कौन चीज घुरी है ! रोड हमारे हृदय में असंख्य धाट्टन अपना गंदे विचार उटा करते हैं । हमें अपनी रक्षा उन्हीं से करनी चाहिए, क्योंकि वे ही वास्तविक अट्टन और त्याग्य वस्तुएं हैं । हमने अपने अट्टन माइयों के साथ जो अन्याय किया है, उसका प्रायश्चित्त उनके प्रेम-पूर्ण आलिंगन से ही होगा । संवाददाता को अट्टनों की सेवा करने के बर्तव्य के संबंध में कोई आशंका नहीं है । हम उनकी किस प्रकार सेवा कर सकते हैं, यदि उनके दर्शन-मात्र से ही हम गंदे हो जाते हैं ।

---

## अहम्मन्यता

[ ब्राह्मण की अनुचित अहम्मन्यता का अब समय नहीं रहा ।  
रसों या वायु-दोष की कल्पना करना भी अनुचित प्रतीत होता है ।  
ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो, पवित्र है । हरिजन चाहे कितना ही पवित्र  
नहीं, अछूत ही होना चाहिए, यह कोरी आत्म-प्रवंचना है । गांधीजी ने  
'महात्मा' में इस महात्व-पूर्ण बात को साफ़ कर दिया है ।—संपादक ]  
द्वारवाकोर से एक महाशय लिखते हैं—

“ब्राह्मण और उनके रीति-रिवाजों, आचारों के संबंध में कुछ  
उत्तमहमी मालूम होती है । आप अहिंसा की प्रशंसा करते  
हैं, पर केवल हम ब्राह्मण ही धार्मिक रूप से इस वस्तु का पालन  
करते हैं । जो व्यक्ति इसकी अवज्ञा करता है, उसे हम जाति-बाहर  
कर देते हैं । जीव-हत्या करनेवाले, या मांस खानेवाले के संपर्क को  
पाप-पूर्ण मानते हैं । कसाई, मछुए, ताड़ी निकालनेवाले के  
संयोग-मात्र से ही या मांस खानेवाले, मदिरा सेवन करनेवाले  
या अधार्मिक लोगों के स्पर्श-मात्र से ही भौतिक वायुमंडल  
दूषित हो जाता है । तपस् नष्ट होकर शुद्ध आकर्षण-शक्ति नष्ट  
जाती है ।

“इसी को हम गंदा होना समझते हैं । इन्हीं नियमों के पालन  
कारण ब्राह्मण इतने युग से अपने परंपरागत सदाचार को

निभाते आ रहे हैं। तब-से उनका समय, उनका भाग्य बहुत बदल गया है, पर ब्राह्मण न बदले। यदि इन्हें बिना रोक-टोक के हर एक के साथ स्वतंत्रता-पूर्वक मिलने दिया जाय, तो ब्राह्मण गर्द-गुजरी अत्यंत गिरी जातियों से भी हीन दशा को प्राप्त होंगे, वे खराब-से-खराब पाप आसानी से करने लगे, वे छिपे-छिपे सभी दुर्ब्यसनों का सेवन कर सकेंगे, जिसे छुआछूत के कारण गुप्त रखना बहुत कठिन होना, और ऊपर से पवित्रता का आड-कर बनाए रहेंगे। हमें मायूम है कि आजकल नाम-मात्र के बहून-से ब्राह्मण ऐसे ही हैं, और वे दूसरों को भी अपनी गिरी दशा में मिलाने के लिये दीन-दुनिया एक कर रहे हैं।

“एक ऐसे देश में, जहाँ पर समुदायों की विभिन्नता आचार-विचार की विभिन्नता पर निर्भर करती है ( पश्चिम की तरह रंग, धन या शक्ति की विभिन्नता पर नहीं ), और भिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक, सामाजिक तथा पारिवारिक सुविधाओं के विचार से रहती है, जैसा कि हमारे देश में उनके बीच की स्पष्ट विभिन्नता से प्रतीत होता है, यदि कोई समुदाय या व्यक्ति अपने आचार-विचार बदल दे, तो यह बहुत समय तक छिपा नहीं रह सकता।

“इस दशा के विपरीत, यदि किसी को कसई, मांसाहार और मद्य के बीच रहने दिया जाय, तो उसके लिये यह असंभव होगा कि यहाँ पर अपने उन गुणों का पालन कर सके, जो उस समुदाय के लिये नए, अनोखे तथा अज्ञात हैं। यह तो स्वभाविक बात है कि हर एक व्यक्ति अपनी रुचि तथा प्रवृत्ति के

अनुकूल वातावरण में रहना चाहता है। इसीलिये यह आवश्यक है कि भौतिक, नैतिक और धार्मिक रूप से ब्राह्मणों के निवास-स्थल को कसाई, मछुए, ताड़ी निकालनेवाले आदि के प्रवेश से मुक्त रखा जाय।

“भारत में व्यवसाय और जाति-प्रथा का अविभक्त संबंध है। इसीलिये यह स्वाभाविक बात है कि जिस जाति का व्यक्ति होगा, उसी जाति के व्यवसाय का पालन करता होगा।

• “इन्हीं कारणों से हमारे लिये अद्वैत का स्पर्श या उसे छूना, दोनो मना किया गया है। इससे हमारा समुदाय केवल दूषित होने से हो नहीं बचता, किंतु ऐसे पापकर्ता को समाज बाहर निकालने या धार्मिक दंड देने की व्यवस्था करता है, और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से उन लोगों को बुरे आचरण के परित्याग की सीख देता है, जो हमसे स्वतंत्रता-पूर्वक मिला चाहते हैं।

“इसलिये आप उनसे सार्वजनिक रूप से पाप के परित्याग तथा नित्य स्नान, ध्यान, व्रत, पाठ आदि के साथ चर्खा और बुनना को अपनाने की सलाह दें, और बतला दें कि यदि वे कुछ वर्षों में अपने को सबके सामने जाने लायक बनाना चाहते हैं, तो यही एकमात्र उपाय है। साथ ही, वे उन लोगों का संपर्क छोड़ दें, जो उन्हीं के समुदाय के होते हुए भी अपनी आदत नहीं बदलने को तैयार हैं। शास्त्रों ने भी उनके उद्धार की यही विधि बतलाई है। चूंकि मनुष्य के गुणावगुण की परख का कोई उपाय नहीं है, इसलिये किसी की मानसिक पवित्रता-अपवित्रता

की बात करना ही व्यर्थ है। सार्वजनिक आचार से ही निती व्यक्ति का निजी गुण जान लेना चाहिए। इसलिये जो व्यक्ति हमारा-आपका अहिंसा-धर्म कम-से-कम इस सीमा तक अपनाने के लिये तैयार नहीं है कि जीव-वध, मछली या मांस खाना छोड़ दे, वह इस योग्य नहीं है कि परंपरा से उसके दर्शन-मात्र का निर्धारित दोष दूर कर दिया जाय।”

मैंने संवाददाता के प्रश्नों का कई बार उत्तर दिया है। फिर भी उसके तर्कों की निरस्तारता को जाहिर कर देना उचित है। पहले तो ब्राह्मणों का निरामिषता का दावा बिल्कुल ठीक नहीं है। यह बात केवल दक्षिण के ब्राह्मणों में ही लागू हो सकती है। पर अन्य स्थानों में—काश्मीर, बंगाल आदि प्रांतों में—मछली और मांस का आजादी से उपयोग होना है। इसके अलावा सभी मांसाहारी को देखना दोष नहीं माना जाता। पर पूर्ण पवित्र होने पर भी ‘असृश्य’ परिवार में जन्म लेने के कारण ही अछूत को छूना, देखना, या उसका पास आना पाप समझा जाता है। क्या ब्राह्मण मांसाहारी, अधिवाराग्रह सरकारी अमात्रणों से कंधा नहीं मिन्यते? क्या वे मांस-भरी देशी नदरों का अभिवादन नहीं करते ?

संवाददाता-ऐसे संश्रान्त तथा सररुत व्यक्ति का एक तर्क-हीन तथा गिनए-प्राप प्रपा के समर्पन में यह अंध-उत्साह देख-कर आश्चर्य होता है। संवाददाता स्वयं अपने तर्कों का स्पष्ट



अनुकूल वातावरण में रहना चाहता है। इसीलिये यह आवश्यक है कि भौतिक, नैतिक और धार्मिक रूप से ब्राह्मणों के निवास-स्थल को कसई, मट्ट, ताड़ी निकालनेवाले आदि के प्रवेश से मुक्त रखा जाय।

“भारत में व्यवसाय और जाति-प्रथा का अविभक्त संबंध है। इसीलिये यह स्वाभाविक बात है कि जिस जाति का व्यक्ति होगा, उसी जाति के व्यवसाय का पाठन करता होगा।

“इन्हीं कारणों से हमारे लिये अद्वैत का स्पर्श या उसे छूना, दोनों मना किया गया है। इससे हमारा समुदाय केवल दूषित होने से हो नहीं बचता, किंतु ऐसे पापकर्ता को समाज बाहर निकालने या धार्मिक दंड देने की व्यवस्था करता है, और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से उन लोगों को बुरे आचरण के परित्याग की सीख देता है, जो हमसे स्वतंत्रता-पूर्वक मित्र्य चाहते हैं।

“इसलिये आप उनसे सार्वजनिक रूप से पाप के परित्याग तथा नित्य स्नान, ध्यान, व्रत, पाठ आदि के साथ चर्चा और बुनना को अपनाने की सलाह दें, और बतला दें कि यदि वे कुछ वर्षों में अपने को सबके सामने जाने लायक बनाना चाहते हैं, तो यही एकमात्र उपाय है। साथ ही, वे उन लोगों का संपर्क छोड़ दें, जो उन्हीं के समुदाय के होते हुए भी अपनी आदत नहीं बदलने को तैयार हैं। शास्त्रों ने भी उनके उद्धार की यही विधि बनाई है। चूंकि मनुष्य के गुणावगुण की परंपरा का कोई उपाय नहीं है, इसलिये मित्रि की मानसिक परिवर्तना-अपरिवर्तना

की बात करना ही व्यर्थ है। सार्वजनिक आचार से ही निस्ती व्यक्ति का निजी गुण जान लेना चाहिए। इसलिये जो व्यक्ति हमारा-आपका अहिंसा-धर्म कम-से-कम इस सीमा तक अपनाने के लिये तैयार नहीं है कि जीव-शत्रु, मछली या मांस खाना छोड़ दे, यह इस योग्य नहीं है कि परंपरा से उसके दर्शन-मात्र का निर्धारित दोष दूर कर दिया जाय।”

मैंने संवाददाता के प्रश्नों का कई बार उत्तर दिया है। फिर भी उसके तर्कों की निस्तारता को अहिर बर देना उचित है। पहले तो ब्राह्मणों का निरामिषता का दावा बिलकुल ठीक नहीं है। यह बान केवल दक्षिण के ब्राह्मणों में ही लागू हो सकती है। पर अन्य स्थानों में—काश्मीर, बंगाल आदि प्रांतों में—मछली और मांस का आजादी से उपयोग होता है। इसके अलावा सभी मांसाहारी को देखना दोष नहीं माना जाता। पर पूर्ण पवित्र होने पर भी ‘अस्पृश्य’ परिवार में जन्म लेने के कारण ही अद्वैत को छूना, देखना, या उसका पास आना पाप समझा जाता है। क्या ब्राह्मण मांसाहारी, अधिकाराखंड सरकारी अब्राह्मणों से कंधा नहीं मिलाते? क्या वे मांस-भक्षी देशी नरेशों का अभिवादन नहीं करते?

संवाददाता-जैसे सभ्रांत तथा सहृदय व्यक्ति का एक तर्क-हीन तथा विनष्ट-प्राय प्रया के समर्थन में यह अंध-उत्साह देख-कर आश्चर्य होता है। संवाददाता स्वयं अपने तर्कों की स्पष्ट

विपत्तियों को मूठ जाना है। संवाददाता मांस-भक्षण के एक मच्छट्ट को समान तर्क को इतना वृत्त देना है, पर एक छयाली पवित्रता की रक्षा के लिये जान-बूझकर करोड़ों भारतीयों को दवाने की चेष्टा में जो तिगुनी हिंसा होती है, उसके ऊँट को सरलता-पूर्वक निगल जाता है। संवाददाता को मेरी सलाह है कि ऐसी निरामिषता से क्या लाभ, जिसकी रक्षा के लिये अपने भाइयों को जानि-बाहर करना पड़े। इस प्रकार से जिस चीज की रक्षा की जायगी, वह जरा से दवा के झोंके से उड़ जायगी। मैं स्वयं निरामिषता को बहुत बड़ी चीज समझता हूँ। मैं यह मानता हूँ कि अपनी अन्य संप्रशीलता के साथ घोर निरामिषता के कारण ही ब्राह्मणों की इतनी आध्यात्मिक उन्नति हुई है। जिस समय वे अपनी उन्नति की चरम सीमा पर थे, उनके बाहरी संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती थी। जो गुण बाहरी प्रभाव से अपनी रक्षा नहीं कर सकता, उसकी जीवनी-शक्ति नष्ट हो जाती है।

इसके अनिश्चित अब वह समय नहीं रहा कि संवाददाता जिस प्रकार का संरक्षण चाहता है, वह ब्राह्मणों को प्राप्त हो सके। सौभाग्य से ऐसे ब्राह्मणों की संख्या नित्य बढ़ती जा रही है, जो अपने साधियों की नित्य की कटुता तथा विरोध की लेश-भात्र भी परवा न कर सुधार-आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, और ऐसे संरक्षण से घृणा करते हैं। और, उन्हीं के हाथों सुधार की प्रगति की सबसे अधिक आशा है।

संस्कृत-विद्या की इच्छा है कि मैं बहुत जल्दियों को संस्कृत की शिक्षा दूँ। अतएव यह 'यंग इंडिया' नहीं पढ़ते, क्योंकि उन्हें मात्तम हो गया होता कि मैं उन्हें फिर ऐसी भाँव देता हूँ। मुझे उन्हें सूचित करते हुए होता है कि वे मेरी प्रार्थना के अनुसार यही संतोष-जनक उत्तर दे रहे हैं। मैं संस्कृत-विद्या को निमंत्रण देता हूँ कि वे भी उन व्यक्तियों में शामिल हो जायें, जो इन सदियों से पीड़ित श्री पुरुषों में अपने लिए के समान, न कि संरक्षकों के समान, सेवा कर रहे हैं।

---

## जातियों का अपराध

[ अदालतों में भी हरिजनों के साथ न्याय हो सकता है या नहीं ? असहयोग का सिद्धांत मानते हुए भी क्या सचरों को अदालत की शरण लेकर हरिजनों के स्वत्व का प्रतिपालन करना चाहिए । स्वराज्य के समय जब कि कानून और दंड हमारे हाथ में होगा, उस समय हरिजन की क्या दशा होगी ? उसके अधिकार बढ़ेंगे ? यदि हाँ, तो अभी से क्यों नहीं वे अधिकार दे दिये जाते । यदि नहीं, तो ऐसे लोगों को स्वराज्य-कार्य मिल ही नहीं सकता । हम दक्षिण आफ्रिका में भारतीयों के साथ अन्याय के नाम पर रोते हैं । पर स्वयं अपने देश में हरिजनों के साथ हम क्या कर रहे हैं ?—संपादक ]

दक्षिण आफ्रिका में रंग तथा जाति-भेद के कारण हम दंडित हो रहे हैं । भारत में हम हिंदू अपने सहधर्मियों को जाति-अपराध के कारण दंड देते हैं । सबसे बड़ा अपराध पंचमों ने किया है कि उसे छूआ नहीं जाता, देखा नहीं जाता, इत्यादि । हमारे इन दलित भाइयों की घोरतम दुर्दशा का पता मद्रास-प्रेसिडेंसी-कोर्ट के एक मुकदमे से लगता है । साफ-सुथरा कपड़ा पहने एक पंचम दर्शन की अभिलाषा से तथा किसी को जरा भी दुःख पहुँचाने का जरा भी विचार न रखते हुए एक मंदिर में जाता है । प्रतिवर्ष वह मंदिर जाकर भगवान् को

अणाम कर आना था, किंतु मंदिर के भीतर नहीं जाता था। पर गत वर्ष वह इतना प्रेम-विभोर हो रहा था कि मंदिर के भीतर चला गया। जब उसे अपनी भूल याद आई, तो वह निषिद्ध स्थान में आ जाने के कारण डरकर मंदिर से भागा, पर उसे पहचाननेवाले कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया, और पुलिस के हवाले किया। जब मंदिर के अधिकारियों को इसका पता चला, तो उन्होंने मंदिर की शुद्धि करा ली। तब मुरुदमा चला। एक हिंदू मैजिस्ट्रेट ने अपराधी पर ७५) का जुर्माना या एक मास की कड़ी कैद का दंड दिया। उसने मैजिस्ट्रेट के धर्म की बेइज्जती की थी। पर अपील की गई। अदालत में खूब तर्क-वितर्क हुआ। फैसला रोकना पड़ा। और, जब सजा रद्द कर दी गई, तो इस कारण नहीं कि बेचारे पंचम को मंदिर-प्रवेश का अधिकार था, प्रत्युत इसलिये कि छोटी अदालत बेइज्जती नहीं साबित कर सकी थी। यह न्याय स्वत्व, धर्म या नैतिकता की विजय नहीं है।

अपील की सफलता से पंचम को यही तसल्ली प्राप्त हुई कि भूलकर मंदिर-प्रवेश उसके लिये निषिद्ध नहीं है, वह यदि भक्ति के अतिरेक में मंदिर के भीतर चला गया, तो उसे जेल नहीं जाना पड़ेगा। पर यदि वह या उसके साथी फिर कभी मंदिर जाने की जुर्रत करेंगे, तो यह बहुत संभव है कि उनसे घृणा करनेवाले उन्हें मार न डालेंगे, तो कम-से-कम बहुत बटोर दंड तो दिया ही जायगा।

यह एक विचित्र परिस्थिति है। दक्षिण अफ्रीका में बने देश-भाषियों के साथ व्यवहार हमें पसंद नहीं। हमें उम्मीद दुःख है। हम स्वराज्य स्थापित करने के लिये उत्सुक हो रहे हैं। पर हम स्वयं अपना अन्याय नहीं देखते कि अपने सहधर्मियों (पंचम अंश) के साथ कितना बुरा व्यवहार कर रहे हैं। उनके साथ हम पुत्रों से भी बुरा व्यवहार करते हैं, क्योंकि कृत्ते भी अज्ञान नहीं होते। हममें से कुछ तो उन्हें सदैव अपने साथ रखते हैं।

हमारी स्वराज्य की योजना में अज्ञान का क्या स्थान होगा? यदि उस समय उन पर कोई बाधा-बंधन या रुकावट बरह जायगी, तो हम आज से ही इसकी घोषणा क्यों नहीं कर देते? और, यदि आज हम शक्ति-हीन हैं, ऐसा नहीं कर सकते, तो क्या हम स्वराज्य के समय और भी शक्ति-हीन न हो जायेंगे?

हम इन प्रश्नों की ओर से अपना कान बंद कर दें, आँख मूँद दें, पर पंचमों के लिये ये बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। यदि हम सभी इस सामाजिक तथा धार्मिक निरंकुशता को दूर करने के लिये नहीं उठ खड़े होंगे, तो क्रैसला हिंदू-धर्म के ही विरुद्ध होगा।

इस दिशा में बहुत कुछ किया गया है, पर जब तक मंदिर-प्रवेश के कारण पंचमों पर कौजदारी का मुकद्दमा चल सकता है, जब तक पंचमों को मंदिर में प्रवेश और उपासना का अधिकार नहीं दिया जा सकता, तथा स्कूल, कुएँ और अन्य

सार्वजनिक स्थान खोल नहीं देते, तब तक हमारा पार ज्यों-ज्यों बना ही रहेगा। दक्षिण आफ्रिका में हम योरपियनों से जो अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, हमें वे ही अधिकार पहले अपने देश में पंचमों को प्रदान करना चाहिए।

पर इस मामले से कुछ तसल्ली भी होती है। सजा रर कर दी गई। यदि बहुत-से संवर्ण हिंदुओं ने कथित अपराधी का पक्ष न लिया होता, तथा उसकी सहायता न की होती, तो अपील की सुनवाई का प्रबंध नहीं हो सकता था। सबसे रोचक बात तो यह थी कि श्रीयुत सी० राजगोपालाचारी अभियुक्त की ओर से पैरवी कर रहे थे, और मेरी समक्ष में असहयोग के सिद्धांत का उन्होंने सर्वथा उचित उपयोग किया। यदि उनके दृष्टिक्षेप से अभियुक्त छूट सकता था, और फिर भी अदालत में जाकर यदि वे चुपचाप बैठ रहते, और मन में अपनी असहयोग की पवित्रता पर हर्ष मनाते रहते, तो वह उसकी सजा के अपराधी होते। पंचम को असहयोग के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। यह जुमनि या क्लैड से बचने के लिये अपील कर रहा था। मैं चाहता हूँ, हर एक हिंदू 'अद्वैत' का मित्र बने, और धर्म के नाम पर उस पर अत्याचार करनेवाली रीतियों से संवर्ण करने या छुड़ाने में उसकी सहायता करे। उसे यह कार्य अपना कर्तव्य समझना चाहिए। 'अद्वैत' का मंदिर-प्रवेश नहीं, किंतु मंदिर-प्रवेश-निषेध अनुप्यता तथा धर्म का अपमान है।



## में विजय के लिये रोता हूँ

[ सत्य तथा अहिंसा गांधीजी के जीवन के दो मुख्य सिद्धांत हैं। पर जब यह हरिजनों के लिये प्राण देने लगने हैं, सत्य शंका होती है कि पैसा क्यों करते हैं ? सत्य के लिये प्राण क्यों नहीं देते। पर सत्य तथा अहिंसा, एकर तथा 'अपूत' का कितना संबंध है, तथा हरिजन के लिये प्राण देना सत्य के लिये प्राण देना किय प्रकार क्या जायगा, यह इस व्याख्यान से स्पष्ट हो जायगा।—संगदर ]

१९२५ में गांधीजी ने काठियावाड़ का दौरा किया था, और उसी सिञ्जिले में राजकोट गए थे। राजकोट में प्रतिनिधि-सभा ने उनको मान-पत्र भेंट किया था, और उसकी ओर से श्रीमान् ठाकुर साहब ने वह मान-पत्र गांधीजी के हाथ में दिया था। यह सोना का पानी चढ़ाये चाँदी के एक भारी पात्र में था, तथा उसमें गांधीजी की हिंदू-मुसलिम ऐक्य, सत्य तथा अहिंसा के प्रति सेवाओं की प्रशंसा की गई थी। खदर-कार्य या हरिजन-सेवा का कोई जिक्र न था, यद्यपि गांधीजी ने इस दौरे में इन दोनों बातों पर काफी जोर दिया था।

मान-पत्र पढ़े जाने के पूर्व कुछ शास्त्रियों ने गांधीजी को आशीर्वाद-स्वरूप, इस अवसर के लिये रचे, संस्कृत-श्लोक पढ़े।

दरबार-नाद में आज पैर रखते ही मुझे अपने बचपन की एक घटना याद आ गई। घटना यहीं की है, और तब से मुझे अभी तक याद है। उन दिनों यह रिवाज था कि राजा के यहाँ व्याह पड़ने पर दूल्हनवाले राज्य में, व्याह के पहले, एक डेपुटेशन भेजा जाता था। उस डेपुटेशन में मंत्रियों के लड़के शामिल होते। मेरे पिता उस समय मंत्री थे, पर वह कभी अपने लड़कों को नहीं भेजते थे। मैं जिस समय की घटना का वर्णन कर रहा हूँ, खानपुर और धर्मपुर ऐसा ही जल्था जानेवाला था। पर पिताजी ने हम लोगों को न जाने दिया। मेरी भली माता में सांसारिकता अधिक थी, और वह यह नहीं चाहती थी कि इस पद के पुरस्कारों से हम बंचित रखे जायें। अनपेक्षित रूप से मेरे भाई तथा मुझसे यह जोर दिया कि हम लोग स्वर्गीय टाकुर साहब के पास जाकर रोने लगे। जब वह हमसे पूछे कि मामला क्या है, तो हम कह दें कि हम धर्मपुर जाना चाहते हैं। हमने इस सलाह के अनुसार काम किया, और धर्मपुर नहीं, बल्कि खानपुर भेजे गए। आज भी मैं अपनी सफलता और विजय के लिये रोऊँगा। मैं नाम, यश, संपत्ति या पद के लिये नहीं रो रहा हूँ। जिन शास्त्रियों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, उन्होंने कहा है कि कीर्ति को उपयुक्त भर्ना न मिलने के कारण वह कभी तक अक्षत-योनि क्वमारी ही है, और उनका आशीर्वाद है कि वह उज्ज्वलीय सुंदरी अंत में मेरा धरण करे। ईश्वर करे, वह सदैव धौमार्य का मुख भोगे। यदि उसने मुझे चुना, तो मैं तो

कहाँ का न रहूँगा। इसीलिये मैं कीर्ति के लिये नहीं रो रहा हूँ, मैं उन दो-एक बातों के लिये रो रहा हूँ, जिन्हें आपने मुझे नहीं दिया है।

मेरे विषय में आपने जो उदार तथा कृपालु भाव प्रकट किए हैं, उसके प्रति मैं आप लोगों का बड़ा कृतज्ञ हूँ। ईश्वर करे, मैं उन शुभ कामनाओं के योग्य होऊँ। मैं यह विश्वास कर अपने को प्रसन्न नहीं करना चाहता कि आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है, मैं उसके योग्य हूँ। मैं उन लोगों में से हूँ, जो ऐसे रहना चाहते हैं। ईश्वर करे, मैं आपकी प्रशंसा से, प्रतिष्ठा से अविचलित रहूँ।

इसलिये धन्यवाद देते हुए भी मैं आपसे दो-एक बात की शिकायत कर देना चाहता हूँ। जान-बूझकर या अनजान से आपने उन सब बातों का जिक्र ही अपने 'अभिनंदन' में नहीं किया है। आपका यह कहना सत्य है कि सत्य तथा अहिंसा मेरे जीवन का प्रधान लक्ष्य (सिद्धांत) है। इन दो जीवन-लक्ष्यों के बिना मैं निर्जीव शव के समान हो जाऊँगा। पर मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि आपने दो चीजों का एकदम जिक्र नहीं किया है, जिनका पालन, अनुकरण अहिंसा तथा सत्य के सिद्धांत से अविभाजनीय है। मेरा मतलब खदर और अद्वैतोद्धार से है। एक प्रकार से ये दोनों बातें हिंदू-मुसलिम ऐक्य से भी अधिक जरूरी हैं, क्योंकि बिना इनके हिंदू-मुसलिम ऐक्य हो ही नहीं सकता। जब तक कि हम हिंदू-धर्म को अद्वैत-प्रया. के

अंशक में मुक्त नहीं कर देने, तब तक वास्तविक हिंदू-मुसलमान  
द्वन्द्व प्रश्न करना अनभव है।

एक अन्य विचारशील मुसलमान ने मुझमें कहा था कि जब  
तक अष्टन-प्रथा हिंदू-धर्म में वर्तमान है, मुसलमान उस धर्म  
या उनमें अनुयायी ना बहुत कम आदर कर सकते हैं। मैं  
अगणित बार कह चुका हूँ कि शाखाओं में अष्टन-समुदाय का  
कहा उल्लेख-नाश नही है। शाखाओं में यह कहा नहीं दिया है  
कि जुदाहे या भंगी अष्टन हैं। मैं तो दोनों हूँ। बचपन के  
समय मेरा मठ साफ़ करने के कारण मेरी माता तो सचमुच  
भंगिन थी, पर इन्हीं कारण यह भंगिन नही बन गई। तब फिर,  
इसी प्रकार की सेवा करनेवाला भंगी अष्टन क्यों कहा जाय ?  
यदि संसार के सभी शाखा मेरे विरुद्ध हो जायें, फिर भी मैं  
धर की छतों पर खड़े होकर यह चिह्नाकर कहने के लिये  
तैयार हूँ कि वे गलत कर रहे हैं—हिंदू-धर्म में अष्टन-प्रथा  
को स्थान देकर भूल कर रहे हैं।

इस संबंध में मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ,  
जिससे मुझे शोक और हर्ष दोनों हुआ। यह देखकर हर्ष  
होता है कि आज के कार्यक्रम का पहला कार्य शाखियों  
के आशीर्वाद से प्रारंभ होता है। पर मुझे आश्चर्य होता  
है कि कहां इसमें कोई छुटाई तो नहीं थी। क्या उन्होंने  
इस संबंध में मेरी कार्रवाइयों के प्रति स्वीकृति प्रकट का,  
या उन्होंने केवल इस संबंध में ठाकुर साहब की सूचित या

अनुमानित इच्छा का पाठन किया, और मुझे आशीर्वाद दे दिया।

अट्टनोद्धार-संबंधी मेरे आंदोलन का जिक्र न कर आने आशीर्वाद की ध्वनि ही असत्य प्रतीत हुई। टारुन साहब, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अट्टनों के प्रति दया हो, अपने राज्य के दलित वर्गों से मित्रता करें। शशी और मुद्द दोनों ही अनुमानतः अट्टन थे, पर राम ने उनको अपना सखा बनाया था। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि उनको स्कूल, मंदिर तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश का अधिकार दें।

साठवर्षों की विधवा की छाती पोशाक पहने देगार मुझे पेट दुःख होता है। मुझे उम्मीद थी कि कम-से-कम ये लोग मरने नहीं पाएंगे। यदि आनेके साठवर्षों का पतन का मर जाते, और अपनी पुत्रिय मरने पड़ती हो, तो दरिद्र, अट्टन, निम्नजात विरासत के दुःख को क्या दूर कर सकते हैं। हमारे टारुन साहब, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, और आनेके प्रतिनिधित्व-भाव में अनुरोध करता हूँ कि मरने पड़ने को निवारण करें, और राज्य के सभी वर्ग-व्यक्तियों के हितों का रक्षण करने दें। आनेके मुझे पता चला ही भेद ही है। मैंने पता चला कि कोई विवेक है न देना मरने का मरना, जहाँ मैंने देना मरने। मैंने पता चला है, जो देना मरना का विवेक होने पर उन्हीं को मरने देंगे। हमारे में देना मरने

जर्मनी चीलों को गेट जमनाशय बजाज को दे देता हूँ कि सार्वजनिक उपयोग के लिये यह इनकी रक्षा करें। पर मेरे पाम गदर इकट्ठा करने के लिये यकी स्थान और कमरा है, इसलिये मैं जिमसे मिटना हूँ, खदर की भांख मोंगता हूँ। मैं लॉर्ड रीडिंग से मों यह अनुरोध करने में नहीं हिचकिचाता कि यह स्वयं गदर पहनें और अपने अर्दली को भी पहनावें।

ऐ सुयोग्य शासक, आपकी तलवार एक शक्तिशाली निशानी है। आपका मार्ग आपकी तलवार की धार की तरह है, आप सत्य के मार्ग से एक चाट बराबर भी नहीं टिग सकते। यह इस बात का सूचक स्मरण दिलाता रहता है कि आपके राज्य में एक भी शराबी या अपवित्र आदमी या औरत नहीं रहना चाहिए। यह आपका कर्तव्य है कि जहाँ दुर्बलता हो, वहाँ शक्ति प्रदान कराएँ; जहाँ गंदगी हो, वहाँ स्वच्छता का प्रवेश कराएँ। दलितों और दरिद्रों को अपना मित्र बनाइए। आपकी तलवार दूसरे की गर्दन के लिये नहीं, आपकी गर्दन के लिये है। आप अपनी प्रजा से कह सकते हैं कि ज्यों ही आप अपने अधिकार की सीमा के आगे बढ़ें, वह तलवार के घाट आपको उतार सकती है। मैं इन शब्दों में इसलिये आपसे बात कर रहा हूँ कि आपके प्रति मैं अपना कुछ कर्तव्य समझता हूँ। टाबुर साहब, आपके पिताजी ने मेरे पिताजी को बिना शर्त कुछ भूमि की बख्शीश दी थी।

इसलिये मैंने आपका कुछ नमक खाया था, और मैं अपनी नमकझारी नष्टां अदा करूँगा, यदि अवसर पर राजा के स्पष्ट कर्तव्यों की ओर आपका ध्यान नहीं आकर्षित करूँगा। आपने मेरा जो सम्मान किया है, उसके प्रति मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हूँ। मैं सबसे बड़ा सम्मान यह समझना हूँ कि दरिद्र, दलित तथा अछूत की सहायता की जाय। मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि आपने ग्राम और स्कूलों में चर्खा चला दिया है, अपने हर विभाग में खदर चला दिया है, आपकी हर एक सार्वजनिक संस्था में अछूतों को प्रवेशाधिकार है। यह सुनते ही मैं दुगुनी इज्जत महसूस करूँगा, और आपका सादर अभिवादन करूँगा। ईश्वर आपको प्रजा-सेवा की शक्ति दे।

---

## प्रवेश-सत्याग्रह

प्रह आजकल बड़ा महत्व-पूर्ण रूप धारण  
अनशन के समय हिंदू, मुसलमान, ईसाई,  
न में भाग लेने लगे थे। पर वास्तव में  
के लिये है, अन्धधर्मावलंबी केवल सहा-

कि यह प्रश्न कानून द्वारा हल हो सकता  
।।। सुंदर उत्तर देते हैं। नीचे जो लेख  
ज्हाँने पिछले वर्ष जेल जाने के पहले  
को बोल दिया था। उस समय हर  
मन और गिरफ्तारी की प्रतीक्षा हो

किंग कमेटी की बैठकों के सिलसिले में  
के संबंध में कई प्रश्नों पर मैं केरल के  
पेनार्ताओं से परामर्श कर रहा था। उन  
वातचीत हुई, यह देना तो व्यर्थ होगा,  
उल रह जाँ, जिनको प्रश्नों का उत्तर  
इस प्रकार लिखे जाते हैं कि प्रश्नों  
संख्या नहीं रह जाती। यद्यपि यह



इसलिये मैंने आपका कुछ नमक खाया था, और मैं अपनी नमकखारी नहीं अदा करूँगा, यदि अवसर पर राजा के स्पष्ट कर्तव्यों की ओर आपका ध्यान नहीं आकर्षित करूँगा। आपने मेरा जो सम्मान किया है, उसके प्रति मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हूँ। मैं सबसे बड़ा सम्मान यह समझता हूँ कि दरिद्र, दलित तथा अछूत की सहायता की जाय। मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि आपने ग्राम और स्कूलों में चर्खा चलवा दिया है, अपने हर विभाग में खदर चला दिया है, आपकी हर एक सार्वजनिक संस्था में अछूतों को प्रवेशाधिकार है। यह सुनते ही मैं दुगनी इज़्जत महसूस करूँगा, और आपका सादर अभिवादन करूँगा। ईश्वर आपको प्रजा-सेवा की शक्ति दे।

## मंदिर-प्रवेश-सत्याग्रह

[ मंदिर-प्रवेश का सत्याग्रह आरम्भ हुआ महात्मा-जी के घर धारण कर रहा है । महात्माजी के घनगन के समय हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सभी मिलकर इस आंदोलन में भाग लेने लगे थे । पर वास्तव में यह प्रश्न केवल हिंदुओं के लिये है, अन्धधर्मांधली केवल महा-पता-भ्रात्र दे सकते हैं ।

बुद्ध लोग यह पढ़ते हैं कि यह प्रश्न शान्त द्वारा हल हो सकता है । पर गांधीजी इसका सदा सुंदर उत्तर देने हैं । नीचे जो लेख धारा जा रहा है, वह उन्होंने पिछले वर्ष जेल जाने के पहले 'संग इंडिया' के संपादक को बोल दिया था । उस समय हर मिनट पुलिस के आगमन और गिरफ्तारी की प्रतीक्षा हो रही थी ।—संपादक ]

१—पिछले सप्ताह वर्किंग कमेटी की बैठकों के सिलसिले में ही मंदिर-प्रवेश-सत्याग्रह के संबंध में कई प्रश्नों पर मैं केरल के तथा अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं से परामर्श कर रहा था । उन परामर्शों के समय क्या बातचीत हुई, यह देना तो व्यर्थ होगा, पर मैं नीचे कुछ बातें लिख रहा हूँ, जिनको प्रश्नों का उत्तर समझना चाहिए । उत्तर इस प्रकार लिखे जाते हैं कि प्रश्नों को देने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती । यद्यपि यह

सत्य है कि अछूतोद्धार का राजनीतिक महत्त्व है, पर. इसका प्रधान महत्त्व धार्मिक है, और इसका सुलझाना हिंदुओं का काम है, अतएव उनके लिये इस प्रकार से यह कार्य राजनीति से भी अधिक महत्त्व-पूर्ण हो जाता है। अर्थात् छूतों का अछूतों के प्रति कर्तव्य किसी राजनीतिक विपमता के कारण भी कम नहीं हो सकता, अतएव वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति के कारण अछूतोद्धार के प्रश्न को टाल देना किसी प्रकार से भी संभव नहीं है।

२—किसी धार्मिक तथा सत्यनिष्ठ और न्याय-पूर्ण कार्य में सुधारक को हर प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता है, और उसे अधिकारी समुदाय का अस्थायी वैर भी सहना पड़ता है। इसलिये जिनका यह विश्वास है कि अछूत-प्रथा एक अभिशाप है, और उसको हर हालत में मिटा देना चाहिए, वे इस भय से कि उनके-ऐसों की संख्या नितांत कम है, अपना प्रयत्न लेश-मात्र भी कम नहीं करेंगे।

३—यदि वर्तमान पुजारी काम करना छोड़ दें, और अभी तक जिस खास वर्ग से पुजारी मिलते आए हैं, उनमें से कोई दूसरा पुजारी न मिले, तो मैं यह निस्संकोच कहने के लिये तैयार हूँ कि पुजारी के गुणों से संपन्न किसी भी दूसरी जाति का आदमी नियुक्त कर लेना चाहिए। जहाँ तक मुझे माझम है, अधिकांश पुजारी अपनी जीविका के लिये इसी कार्य पर इतने आश्रित हैं कि वे काम नहीं छोड़ेंगे—हड़ताल नहीं

करेंगे। पूजा का अधिकार पैगुरु है, इस बात में मुझे भी संदेह नहीं है। पर यदि कोई पुजारी स्वयं यह अधिकार छोड़ देना है, तो इसमें दोष उसी का है।

४—यदि मंदिर के अधिकारी मंदिर का एक कोना अट्टनों को दे दें, उनको वहीं से दर्शन या पूजा का अधिकार दे दें, तो यह पर्याप्त नहीं समझना चाहिए। अन्य अत्रायणों के लिये जो बाधाएँ नहीं हैं, वह इन अत्रायणों के लिये नहीं होनी चाहिए। किंतु जो लोग अट्टनों से नहीं मिलना चाहते, उनके लिये दूर पर एक कोना छाड़ी कर देना चाहिए। इस प्रकार वे ही स्वयं अट्टन हो जाते हैं।

५—मंदिरों के घेरे को तोड़ना ठीक नहीं। यह एक प्रकार का हिंसा-जनक कार्य होगा। यह सत्य है कि घेरे निर्जीव हैं, पर उनको बनानेवाले हाथ तो सजीव हैं।

ऊपर लिखी बातों से यह स्पष्ट है कि मंदिर-प्रवेश-सत्याग्रह करनेवाले को लिये मंदिरों में विश्वास करना आवश्यक है। मंदिर-प्रवेश एक धार्मिक अधिकार है। इसलिये किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मंदिर-प्रवेश-सत्याग्रह नहीं कहा जा सकता। वैरम सत्याग्रह में जब जॉर्ज जोसेफ जेल गए, मैंने उनको सूचित किया था कि वह भूल कर गए। वह मुझसे सहमत हुए, तुरंत क्षमा-याचना की, और छूट गए। मंदिर-प्रवेश-सत्याग्रह छूट हिंदू का प्रायश्चित्त है। उसने पाप किया है, इसलिये इन अट्टन सहधर्मियों को मंदिर ले जाने की चेष्टा करते हुए

वह स्वयं दंड भोगने को तैयार है। अतएव अहिंदू केवल सत्याग्रह के अलावा और सहायता दे सकते हैं। उदाहरणार्थ यद्यपि अन्य समुदाय के लोग भी गुरुद्वारा-आंदोलन के समय सिक्खों की सहायता कर रहे थे, पर अखंड पाठ में विश्वास करनेवाले ही सिक्ख सत्याग्रह करने के अधिकारी थे, और सत्याग्रह कर रहे थे।

मेरी सम्मति में केवल अद्वैतों को ही सत्याग्रह नहीं करना चाहिए। इसका अगुआ दृष्ट-सुधारक होना चाहिए। यह आवश्यकता की बात है। एक ऐसा समय भी आ सकता है, जब अद्वैत स्वयं सत्याग्रह कर सकते हैं। यहाँ मैंने जो विचार प्रकट किए हैं, उनका भावार्थ यह है कि सत्याग्रह प्रारंभ करने के पहले दृष्ट हिंदुओं में पर्याप्त जागृति तथा क्रियाशीलता का हो जाना आवश्यक है। यह शक्ति की सफलता सावजनिक सम्मति पर निर्भर करती है। अतएव इसके उपयोग के पहले प्रायः सभी ज्ञात पुराने उपायों का प्रयोग करना होता है।

७—एकदम निजी संपत्तिवाले मंदिरों में प्रवेश का अधिकार नहीं माँगा जा सकता। जब कोई अपने निजी मंदिर को जनता के उपयोग के लिये दे देता है, पर अद्वैतों को आने की मनाही कर देता है, उसी समय वह मंदिर निजी संपत्ति नहीं रह जाता।

८—कुछ की सलाह है कि सत्याग्रह द्वारा मंदिर-प्रवेश रोक जाय, और यह कार्य व्यवस्थापक कानूनों के हाथ छोड़

छोड़ दिया जाय। मैं इन सम्मति में निश्चिंत ही असम्मत हूँ। यह तो निश्चय ही है कि व्यवस्थापक सभा के गानून, कम-से-कम प्रजातंत्र में तो व्यवस्था ही, सार्वजनिक मत के अनुसार ही बनते हैं, और सार्वजनिक सम्मति की रचना के लिये सत्याग्रह से बढ़कर शीघ्र उपाय में कोई जानना ही नहीं।



## असली जड़

[ यह लेन छोटा तथा बहुत पुराना है । अर्थात् १३ अक्टोबर, १९२१ का है । पर आज हमसे एक बड़े भारी प्रश्न का उत्तर मिलता है कि राजनीतिक जड़ें क्या हैं ?—संपादक ]

एक संवाददाना का प्रश्न है—

“क्या आप यह नहीं समझते कि वर्तमान विदेशी सरकार की सफलता का कारण उच्च वर्णों द्वारा दरिद्र, दुर्बल तथा अज्ञान कहलानेवाले भाइयों का दमन है।”

इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे द्वारा अपने सगे-संबंधियों का दमन ही मूल कारण है । यह आध्यात्मिकता से पतन है । धर्म के नाम पर हम अपनी जाति के छठे अंश की अप्रतिष्ठा करते हैं, तथा उनके हितों का अपहरण कर रहे हैं, उसका सबसे न्याय-पूर्ण दंड ईश्वर ने यह दिया है कि एक विदेशी सरकार हमारी अप्रतिष्ठा तथा अपहरण कर रही है । इसीलिये मैंने अज्ञानोद्धार को स्वराज्य-प्राप्ति के लिये अनिवार्य बतलाया है । चूंकि हमारे यहाँ स्वयं दासत्व प्रथा है, हमने स्वयं दास बना रखे हैं, इसलिये हमको दूसरों से अपनी दासता के लिये झगड़ा करने का अधिकार नहीं है, जब तक कि हम स्वयं अपने दासों को बिना शर्त मुक्त न कर दें, तथा उनके

अस्मिन् न दे दे । हमे पहले अपनी आँखों से अदृश्यता का  
 सहनार निगल देना चाहिए, तब हम अपने माथियों की आँखों  
 से दास्ता का 'निर्' निगलने की चेष्टा करें ।

---



## यदि मेरा पुनर्जन्म हो

[ इस पुस्तक का यह १०वाँ तथा अंतिम संग्रह है। गांधीजी के विचारों का हर पक्ष में अध्ययन हो सकेगा, पर अंत में हम उनके एक व्यासगत का अंगानुवाद दे देना चाहते हैं। १९२१ की १२-१४ एप्रिल को अदमदावार में दलित-जाति-सम्मेलन हुआ। गांधीजी उस अवसर पर गभारति थे। उस समय का भाष्य आज हम हमलिये दे रहे हैं कि हम समय वही सबसे मनीष व्याख्यान है। उमर्दा प्रत्येक पंक्ति में गांधीजी का मार्मिक उद्गार, दलितों के प्रति अपार स्नेह तथा हरिजनों के प्रति अगाध अनुत्तम भरा हुआ है। गांधीजी उस समय प्रधान बात कह रहे हैं, जब वह कहते हैं कि यदि मैं पुनः जन्म लूँ, तो अछूत के घर।—संवाद ]

मेरी समझ में नहीं आता कि सुधार का चलन अर्थ लगाने-वालों या उसके विरोधियों को किस प्रकार अपने मत का बना लूँ। मैं उनके सामने कैसे यत्न करूँ, जो किसी दलित व्यक्ति को छू लेना गंदा होना समझते हैं, और इस अपवित्रता को दूर करने के लिये आवश्यक शुद्धि-स्नान इत्यादि करते हैं, तथा ऐसा न करना पाप समझते हैं। मैं उनके सामने केवल अपना मंत्रव्य-मात्र ही प्रकट कर सकता हूँ।

मैं अछूत-प्रथा को हिंदू-समाज का सबसे बड़ा कलंक

समझता हूँ। करने का धर्म-आदि का घोर संघाम में प्राप्त कटु अनुभवों में मेरे मन में यह विचार नहीं उठा है। कुछ लोगों का यह विचार भी उठता है कि ईसाई-धर्म तथा साहित्य के अध्ययन से मेरे मन में ऐसे भाव उठे हैं। ये विचार उस समय से पनपे हैं, जब मैं न तो बाइबिल को जानता था न उसके अनुयायियों को।

यह विचार उस समय मेरे मन में उत्पन्न हुआ, जब मैं गायट्ट पूरे १२ वर्ष का भी नहीं था। ऊसा-नामक भंगी हमारे घर के पागलाने की सहाई करने आया करता था। मैं प्रायः अपनी माता से पूछता था कि उसे छूने में क्या दोष है, पर मुझे उसे छूने की मनाही थी। यदि इच्छिकारुन् मैं ऊसा को छू लेता, तो मुझे स्नान करना पड़ता, पर ऐसे अवसरों पर मुस्किराते हुए मैं कह देता कि धर्म में अज्ञान का कदा विक्रम नहीं है। यद्यपि मैं बड़ा आज्ञाकारी बच्चा था, पर माता-पिता के प्रति पूर्ण सम्मान रखते हुए जहाँ तक संभव होता, मैं अपना विरोध प्रकट कर देता, और उनसे झगड़ बैठता था। मैंने अपनी मा से साफ कह दिया था कि उनका यह विचार बिल्कुल भ्रम-पूर्ण है कि ऊसा को छूना पाप है।

स्कूल में मैं प्रायः अछूतों को छू देता था। और, चूँकि मैं इस सत्य को अपनी माता से कभी नहीं छिपाता था, इसलिये मैं उनसे साफ कह दिया करता था, और उन्होंने मुझे बतलाया था कि अछूत को छूने के बाद जो पाप मित्या गया, उसको रद्द करने का सबसे सरल तरीका यह है -

## यदि मेरा पुनर्जन्म हो

[ इस पुस्तक का यह २०वाँ तथा अंतिम लेख है। गांधीजी के विचारों का हर पहलू से अध्ययन हो सकेगा, पर अंत में हम उनके एक व्याख्यान का अंशानुवाद दे देना चाहते हैं। १९२१ की १३-१४ एप्रिल को अहमदाबाद में दलित-जाति-सम्मेलन हुआ। गांधीजी उस अवसर पर सभापति थे। उस समय का भाषण था— हम हमलिये दे रहे हैं कि इस समय वही सबसे सजीव व्याख्यान है। उसकी प्रत्येक पंक्ति में गांधीजी का मार्मिक उद्गार, दलितों के प्रति अथवा स्नेह तथा हरिजनों के प्रति अगाध अनुराग भरा हुआ है। गांधीजी उस समय प्रधान बात कह देते हैं, जब वह कहते हैं कि यदि मैं पुनः जन्म लूँ, तो अछूत के घर।—संपादक ]

मेरी समझ में नहीं आता कि सुधार का चलत अर्थ लगाने-वालों या उसके विरोधियों को किस प्रकार अपने मत का बना लूँ। मैं उनके सामने कैसे बजावट करूँ, जो किसी दलित व्यक्ति को छू लेना गंदा होना समझते हैं, और इस अपवित्रता को दूर करने के लिये आवश्यक शुद्धि-स्नान इत्यादि करते हैं, तथा ऐसा न करना पाप समझते हैं। मैं उनके सामने केवल अपना मंतव्य-मात्र ही प्रकट कर सकता हूँ।

मैं अछूत-प्रथा को हिंदू-समाज का सबसे बड़ा कलंक

समझता हूँ। अपने दक्षिण-आफ्रिका का घोर संग्राम में प्राप्त कटु अनुभवों से मेरे मन में यह विचार नहीं उठा है। कुछ लोगों का यह विचार भी पलत है कि ईसाई-धर्म तथा साहित्य के अध्ययन से मेरे मन में ऐसे भाव उठे हैं। ये विचार उस समय से पनपे हैं, जब मैं न तो बाइबिल को जानता था न उसके अनुयायियों को।

यह विचार उस समय मेरे मन में उत्पन्न हुआ, जब मैं शायद पूरे १२ वर्ष का भी नहीं था। ऊका-नामक भंगी हमारे घर के पाखाने की सफाई करने आया करता था। मैं प्रायः अपनी माता से पूछता था कि उसे छूने में क्या दोष है, पर मुझे उसे छूने की मनाही थी। यदि इच्छिकाकन् में ऊका को छू लेना, तो मुझे स्नान करना पड़ता, पर ऐसे अवसरों पर मुस्कराते हुए मैं कह देता कि धर्म में लुआलूत का कदा विक्र नडा है। यद्यपि मैं बड़ा आझाकारी बच्चा था, पर माता-पिता के प्रति पूर्ण सम्मान रखते हुए जहाँ तक संभव होता, मैं अपना विरोध प्रकट कर देता, और उनसे झगड़ चेटता था। मैंने अपनी मा से साफ कह दिया था कि उनका यह विचार बिल्कुल भ्रम-पूर्ण है कि ऊका को छूना पाप है।

स्कूल में मैं प्रायः अलूनों को छू देता था। और, चूँकि मैं इस सत्य को अपनी माता से कभी नहा छिपाना था, इसलिये मैं उनसे साफ कह दिया करता था, और उन्होंने मुझे बतलाया था कि अलूत को छूने के बाद जो पाप मिला गया, करने का सबसे सरल तरीका यह है कि राह चले

किसी मुसलमान को छू दे। और, केवळ अपनी माना के प्रति  
 प्रेम और आदर-भाव के कारण मैं प्रायः ऐसा किया करता था।  
 यद्यपि मैंने कभी इसे धार्मिक रूप से आवश्यक न समझा।  
 कुछ समय बाद हम पोरबंदर चले गए, और यही मेरा सत्सङ्ग  
 से पहला परिचय हुआ। अभी तक मैं किसी अँगरेजी स्कूल  
 में भर्ती नहीं हुआ था। मुझे और मेरे भाई को पढ़ाने के लिये  
 एक माझण रक्ता गया। उस अन्यायक ने हमें रामरक्षा तथा  
 विष्णु-नाम पढ़ाना शुरू किया। तब से मैं इन पंक्तियों को  
 कभी नहीं भूल सका हूँ कि "जले विष्णुः स्थले विष्णुः।"  
 निराद में ही एक बूढ़ी मा रहती थी। इन दिनों मैं बड़ा  
 डरपोक था, और उस भी रोशनी बुझने पर भूत-प्रेत का  
 कल्पना करने लगता था। मेरा डर भगाने के लिये बूढ़ी मा ने  
 कहा था कि जब कभी मुझे भय माझम हो, मैं रामरक्षा के श्लोक  
 का पाठ करना शुरू कर दूँ, इससे सभी भूत-प्रेत भाग जाते  
 हैं। मैं ऐसा ही करने लगा, और इसका फल भी अच्छा हुआ।  
 उस समय मैं कभी यह विश्वास ही नहीं कर सकता था कि  
 रामरक्षा में कोई ऐसा श्लोक है, जिसके अनुसार अद्भुत का  
 संपर्क पाप बतलाया गया है। पहले तो मैं उसका अर्थ ही  
 अच्छी तरह नहीं समझता था—या समझता भी था, तो बहुत  
 कच्चे तौर पर। पर मुझे यह विश्वास था कि जिस रामरक्षा  
 के पाठ से भूत का भी भय भाग जाता है, वह अद्भुत से भय  
 या उसका स्पर्श पाप-जनक नहीं बतलाना होगा।

इसके परिवार में रामायण का निरामिन् रूप में पाठ होता था। लब्धा मजाराज उसका पठ करते थे। उन्हें कोढ़ हो गया था, और उनको विश्वास था कि यदि वह निरामिन् रूप में रामायण का पाठ करेंगे, तो कोढ़ अच्छा हो जाएगा। मैंने अपने मन में साचा, जिस रामायण में निराद ने राम को गंगा पार कराया, वही रामायण यह कैसे सिखल्य सखती है कि अद्भुत को दूना पाप है। हम परमात्मा को पवित्रपावन इत्यादि नामों से पुकारते हैं। ऐसी दशा में हिंदू-धर्म में किसी को अपवित्र या अद्भुत सोचना पाप है, ऐसा करना निरा शैतानी काम है। तब से मैं बार-बार यही बात दुहराते नहीं करता। बारह वर्ष की उम्र में मेरे मन में यह विचार जम नहीं गया था, मैं ऐसा कहने का पाखंड न करूँगा, पर मैं उस समय अद्भुत-प्रथा को पाप उल्लर समझता था। वैष्णवों तथा अन्य हिंदुओं की सूचना के लिये यहाँ पर मैं यह कहानी दे रहा हूँ।

मैं सदैव सनातनी हिंदू होने का दावा करता हूँ। मैं हिंदू-शास्त्रों से त्रिलकुल अनभिद्ध नहीं हूँ। मैं संस्कृत का विद्वान् नहीं हूँ। मैंने वेद-उपनिषद् का अनुवाद-मात्र पढ़ा है। अवश्य इसीलिये मेरा अध्ययन पांडित्य-पूर्ण नहीं है। मैं उनका घोर पंडित नहीं हूँ, पर मैंने एक हिंदू के समान उनका अध्ययन किया है, और मेरा दावा है कि मैंने उनका असली अर्थ समझ-

दिना है। २१ वर्ष की उम्र तक मैंने अन्ध धर्मों की जानकारी भी हासिल नहीं की थी।

एक समय मैं, जब मैं हिंदू-धर्म तथा ईसाई-धर्म के बीच सांझा-पानी में पड़ा हुआ था। जब मेरा दिमाग ठिराने आया, मैंने यह अनुभव किया कि केवल हिंदू-धर्म द्वारा ही मेरी मुक्ति हो सकती है, और हिंदू-धर्म में मेरी श्रद्धा तथा ज्ञान और भी विरगित हो गया।

उस समय भी मेरा दिमाग था कि अष्टन-प्रथा हिंदू-धर्म में नहीं है। यदि है, तो ऐसा हिंदू-धर्म मेरे लिये नहीं है।

यह सत्य है कि हिंदू-धर्म में अष्टन को छुना पाप नहीं समझा जाता। शास्त्रों के अर्थ के विषय में मैं कोई तर्क नहीं करना चाहता। मेरे लिये यह कठिन-सा है कि भाग्यवत अपना महा-भारत से उदाहरण उद्धृत करें। पर मेरा यह दावा है कि मैं हिंदू-धर्म का मान समझ गया हूँ। अष्टन-प्रथा की स्वीकृति देकर हिंदू-धर्म ने पाप किया है। इसने हमको नीचे गिराया और साक्षात्कार का अष्टन बना दिया है। हमारी छूत मुसलमानों को भी लग गई है, और हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही दक्षिण आफ्रिका, पूर्वी आफ्रिका तथा कनाडा में अष्टन समझे जाते हैं। यह सब अष्टन-प्रथा का परिणाम है।

अब मैं अपनी बात साफ कर दूँ। जब तक हिंदू जान-बूझकर अष्टन-प्रथा में विश्वास रखते तथा इसे धर्म समझते हैं, जब तक अधिकांश हिंदू अपने एक अंग को, भाइयों को, छुना

पाप समझते हैं, स्वराज्य प्राप्त करना असंभव है। युधिष्ठिर ने अपने दुःखों के बिना स्वर्ग जाना अस्वीकार कर दिया। इसी प्रकार अब उसी युधिष्ठिर की संतान बिना अछूतों के स्वराज्य प्राप्त करना चाहती है। आज जिन अपराधों के कारण हम सरकार को शैतान कहते हैं, क्या वही हमने अछूतों के प्रति नहीं किया है।

हम अपने भाइयों को दबाने के दोषी हैं। हम उन्हें पेट के बल रेंगाते हैं। हम उनकी नाक जमीन पर घिसाते हैं। गुस्से से लाल आँखें कर हम उन्हें रेल डब्बे के बाहर ढकेल देते हैं। ब्रिटिश शासन ने इससे ज़्यादा और क्या किया है। जो अपराध एम डायर, ओ, डायर के सर मढ़ने हैं, उनमें से कौन अपराध हमारे सिर नहीं मढ़ा जा सकता। हमें इस अपवित्रता को निकाल बाहर करना चाहिए। जब तक हम दरिद्र तथा निरसहायों को पीड़ा देते हैं, जब तक यह एक भी स्वराज्य के लिये संभव है कि किसी व्यक्ति के भाइयों को पीड़ा पहुँचावे, स्वराज्य की बात करना मूर्खता है। स्वराज्य का यह अर्थ है कि एक भी हिंदू या मुसलमान के लिये यह संभव न हो कि एक भा दरिद्र हिंदू या मुसलमान को दबावे—पीड़ा दे। जब तक यह शर्त नहीं पूरी होती, हमें एक ओर स्वराज्य मिलेगा, दूसरी ओर टिन जायगा। हम मनुष्य नहीं, पशु हैं, यदि अपने भाइयों के प्रति पाप का प्रायश्चित्त न करें। पर, मुझे अभी तक अपने में विश्वास है। मैं देख रहा हूँ,



कवि तुलसीदास ने, जैनों तथा वैष्णवों ने, भागवत तथा गीता ने अनेकों रूप से जिस एक वस्तु का गुण गाया है, वही दान-शीलता, वही दयालुता तथा वही प्रेम धीरे-धीरे, पर दृढ़ता के साथ हमारे देश की जनता के हृदय में घर कर रहा है।

आजकल हिंदू-मुसलमानों के अनेक झगड़े सुनने में आते हैं। अब भी ऐसे बहुत-से हैं, जो एक दूसरे को क्षति पहुँचाने में नहीं हिचकिचाते। पर, मैं तो यह समझता हूँ, कुल मिलाकर प्रेम तथा दयालुता बढ़ती जा रही है। हिंदू-मुसलमान ईश्वर से डरने लगे हैं। हमने अपने को अदालतों तथा स्कूलों के जादू से छुड़ा लिया है, और इसी प्रकार का और कोई कपटजाल हमें नहीं सता रहा है। मैंने यह भी अनुभव कर लिया है कि जिनको हम अपढ़ तथा अज्ञानी कहते हैं, वे ही लोग शिक्षित कहलाने के योग्य हैं। वे हमसे ज़्यादा संस्कृत, उनका जीवन-हमसे ज़्यादा न्यायशील है। जनता की वर्तमान मनोवृत्ति का जरा भी अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जन-सामूहिक मत के अनुसार स्वराज रामराज्य का पर्यायवाची है।

यदि मेरे अच्छूत भाइयों को इस जानकारी से कोई तसल्ली हो, तो मैं यह कहने के लिये तैयार हूँ कि अब उनकी समस्या से पहले इतनी बेचैनी नहीं पैदा हो जाती। मेरा यह मतलब नहीं है कि तुम हिंदुओं से जरा भी निराश न होओ। जब उन्होंने तुम्हारा इतना अहित किया है, तो वे अविश्वास के योग्य तो हैं ही। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि अच्छूत

दृष्टि नहीं, पीड़ित है, तथा उनको पीड़ा देकर स्वयं हिंदुओं ने भी अपने को पीड़ित बना लिया है।

शायद ६ एप्रिल को मैं नेलोर में था। उस दिन मैंने अछूतों के संग आज के ही समान प्रार्थना की थी। मैं तो मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं पुनः जन्म लेना नहीं चाहता। पर यदि मेरा पुनर्जन्म हो, तो मैं अछूत के घर पैदा होऊँ, ताकि मैं उनकी पीड़ा, विपत्ति, संकटों में उनका साथ दूँ, और उनके साथ मिलकर इस दुर्दशा को समाप्त करने की चेष्टा करूँ। इसी-लिये मैंने प्रार्थना की थी कि यदि मेरा पुनर्जन्म हो, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के घर नहीं, बल्कि अशूद्र की कोख से।

आज का दिन उस दिन से भी अधिक गभीर है। आज हमारे हृदय हज़ारों की हत्या से चलनी हों रहे हैं। इसलिये मैंने आज भी प्रार्थना की है कि यदि मैं अपनी किसी अपूर्ण इच्छा के कारण मर जाऊँ, या अछूतों के प्रति अधूरी सेवा करके ही मर जाऊँ, या अपने हिंदुत्व को बिना पूरा किए ही मर जाऊँ, तो मैं अछूतों में ही जन्म लूँ, ताकि मेरा हिंदुत्व पूर्ण हो जाय।

अछूतो से—अछूत कहलानेवालों से—भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। तुम्हें हिंदू होने का दावा है। इसलिये यदि हिंदू तुम्हें दबाते हैं, तो तुमको यह समझ लेना चाहिए कि यह हिंदू-धर्म का नहीं, धर्म के पालन करनेवालों का दोष है। आपको अपने को मुक्त करने के लिये स्वयं पवित्र बनना होगा। आपको मदिरा आदि की दुरी छत्तों को छोड़ना होगा।

मैंने देश-भर के अद्वैतों को देखा है, तथा मेरा-उनका संपर्क रहा है। मैंने यह देखा है कि उनमें सुधार की इतनी संभावनाएँ हैं, उनमें इतने गुण छिपे हुए हैं, जिनको न तो वे न हिंदू ही जानते हैं। उनका मस्तिष्क अक्षुण्ण रूप से पवित्र है। मैं तुमसे बुनना-कातना सीखने के लिये अनुरोध करूँगा, और यदि तुम इनको अपना लोगे, तो दरिद्रता को अपने दरवाजे से भगा दोगे।

अब वह समय आ गया है, जब चाहे त्रितनी भी सफाई से तुमको जूटन दिया जाय, तुम लेना अस्वीकार कर दो। केवल अच्छा, ताजा, बढ़िया नाज और वह भी आदर से दिया हुआ लो। मैंने जो आपसे कहा है, यदि उसके अनुसार आप काम करेंगे, तो कुछ महीनों में नहीं, कुछ दिनों में ही आपका उद्धार हो जायगा।

हिंदू स्वभावतः पापी नहीं हैं। वे अज्ञान में डूबे हुए हैं। इस साल अद्वैत-प्रथा नष्ट हो ही जानी चाहिए। संसार में केवल ऐसी दो ही वस्तुएँ हैं, जिनके कारण मुझे नर-चोला धारण करने का लोभ होता है, और वे हैं अद्वैतेश्वर तथा गो-रक्षा। जब ये दो इच्छाएँ पूर्ण हो जायँगी, तभी स्वराज्य हो जायगा, और मुझे मोक्ष मिलेगा। ईश्वर तुम्हें भी इतनी शक्ति दे कि अपना मोक्ष प्राप्त कर सको।





